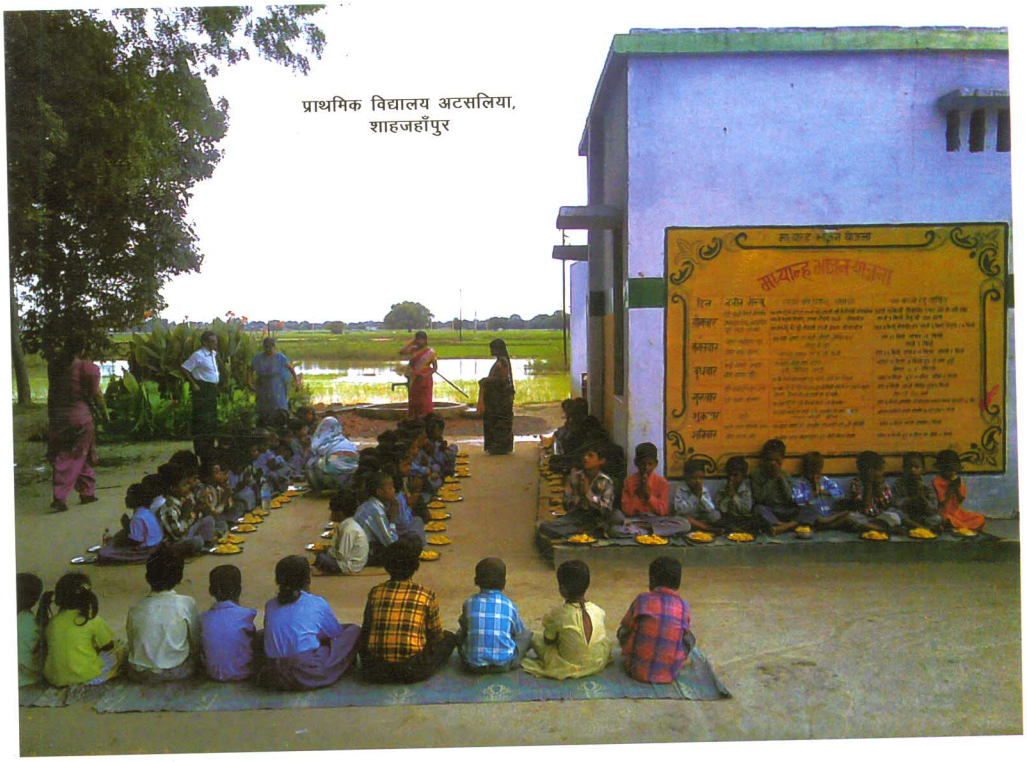
भारत के
नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन (सिविल)
31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



प्राथमिक विद्यालय अटसलिया,
शाहजहाँपुर

प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषकीय सहायता
(मध्यान्ह भोजन)

उत्तर प्रदेश सरकार

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन (सिविल)

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषकीय सहायता
(मध्यान्ह भोजन)

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

विषय	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन		V
विहंगावलोकन		VII
अध्याय –1 : परिचय		
संगठनात्मक ढांचा	1.1	02
लेखा परीक्षा उद्देश्य	1.2	02
लेखा परीक्षा मापदण्ड	1.3	02
लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं पद्धति	1.4	02
स्वीकारोक्ति	1.5	03
अध्याय–2 : प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव		
विद्यालयों, ई जी एस तथा ए आई ई केन्द्रों में नामांकन	2.1	04
उपस्थिति एवं ठहराव	2.2	05
निष्कर्ष	2.3	05
संस्तुतियां	2.4	06
अध्याय–3 : वित्तीय प्रबन्धन		
वित्तीय निष्पादन	3.1	07
प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	3.2	09
निष्कर्ष	3.3	10
संस्तुतियां	3.4	11
अध्याय–4 : खाद्यान्न प्रबन्धन		
खाद्यान्न की गुणवत्ता	4.1	12
राज्य स्तर पर खाद्यान्न का प्रबन्धन	4.2	13
विद्यालयों का संयुक्त निरीक्षण	4.3	16
खाद्यान्न निर्गत करने में विलम्ब	4.4	16
खाद्यान्न की चोरी	4.5	17
निष्कर्ष	4.6	17
संस्तुतियां	4.7	17
अध्याय–5 : खाद्यान्न का परिवहन		
परिवहन लागत की अधिक प्रतिपूर्ति	5.1	18
परिवहन व्यय/मार्जिन मनी का संदेहास्पद भुगतान	5.2	19
खाली बोरियों को अनधिकृत रूप से रख लेना	5.3	19
उचित दर दुकानदारों को ढुलाई भाड़े का भुगतान न करने का प्रभाव	5.4	19
परिवहन लागत से संबंधित निधि का अवरोधन	5.5	20
निष्कर्ष	5.6	20
संस्तुतियां	5.7	20

अध्याय–6 : बच्चों के पोषकीय स्तर में सुधार		
अपर्याप्त पौष्टिक मात्रा	6.1	21
सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रीष्मावकाश की अवधि में एम डी एम की आपूर्ति नहीं किया जाना	6.2	22
माइक्रोन्यूट्रियेंट सम्पूरण और कृमिनाशक	6.3	22
आयोडाईज़्ड नमक का प्रयोग	6.4	23
पके एम डी एम के गुणवत्ता की जांच	6.5	23
वजन मशीन की अनुपलब्धता	6.6	24
निष्कर्ष	6.7	24
संस्तुतियां	6.8	24
अध्याय–7 : ढांचागत		
रसोईघर	7.1	25
रसोई के उपकरण	7.2	27
हैण्ड पम्प	7.3	27
निष्कर्ष	7.4	28
संस्तुतियां	7.5	28
अध्याय–8 : स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका		
अभिलेखों एवं प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	8.1	29
स्वयंसेवी संस्थाओं को उपलब्ध मूलभूत संरचना एवं उनकी क्षमता	8.2	30
मध्यान्ह भोजन की आपूर्ति	8.3	31
निष्कर्ष	8.4	32
संस्तुतियां	8.5	33
अध्याय–9 : रिपार्ट प्रेषण, अनुश्रवण एवं प्रभाव मूल्यांकन		
टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण	9.1	34
अभिलेखों का रख–रखाव न करना	9.2	35
आवधिक विवरण	9.3	35
मध्यान्ह भोजन योजना से प्रभावित अध्ययन/अध्यापन	9.4	36
सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	9.5	37
अनुश्रवण	9.6	39
त्रुटिपूर्ण संकेत	9.7	39
मूल्यांकन	9.8	40
निष्कर्ष	9.9	40
संस्तुतियां	9.10	40

परिशिष्ट			
सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
I	एम डी एम प्राधिकरण तथा बी एस ए कार्यालयों में दर्शाये गये बच्चों के नामांकन का जिलेवार विवरण	2.1	43
II(अ)	शाहजहाँपुर जिले में सहायक बी एस ए द्वारा 16 ब्लाकों हेतु भिन्न–भिन्न माहों में प्रेषित नामांकन आंकड़े	2.1	44
II(ब)	सहायक बी एस ए द्वारा खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत हेतु बी एस ए को प्रेषित एक ही माह में भिन्न भिन्न नामांकन आंकड़े	2.1	45
III	नमूना जांच जनपदों में जिला नोडल अधिकारियों द्वारा प्राप्त एवं उपभोग किये गये परिवर्तन लागत का विवरण	3.1.2	48
IV	नमूना जांच जनपदों में खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत (प्रतिशत) उपयोग में भिन्नता	4.2.2	49
V	कैलोरी मूल्य और प्रोटीन का विवरण	6.1	50
VI	संयुक्त निरीक्षण के दिन पकाये गये खाद्यान्न की मात्रा और उससे प्राप्त कैलोरी और प्रोटीन	6.1	51
VII	नमूना जांच किये गये जिलों में स्वयंसेवी संस्थाओं की सूची	8	52
VIII	लखनऊ में स्वयंसेवी संस्थाओं को अधिक अवमुक्त खाद्यान्नों का विवरण	8.1	54
IX (अ)	दिसम्बर 2005 से जनवरी 2008 की अवधि में विद्यालयों में दी गयी मध्यान्ह भोजन की खराब गुणवत्ता से संबंधित प्रेस क्लिपिंग/शिकायतों का विवरण	9.7	56
IX(ब)	एम डी एम से संबंधित प्रेस क्लिपिंग का सार	9.7	58
X	सी ए जी की मार्च 1999 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट (सिविल) में उल्लिखित लेखापरीक्षा परिणाम एवं उस पर लोक लेखा समिति की संस्तुतिया	9.7	61
परिभाषिक शब्द कोष			66

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन 'प्राथमिक शिक्षा को पोषकीय सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम' जिसे सामान्यतः 'मध्यान्ह भोजन योजना' के नाम से जाना जाता है, के निष्पादन लेखा परीक्षा में प्राप्त निष्कर्षों को समाविष्ट करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को संविधान की धारा 151 के अंतर्गत प्रस्तुत करने के लिये बनाया गया है

2. इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण सम्मिलित हैं, जो वर्ष 2002–07 की अवधि के लेखों के नमूना लेखा परीक्षण के समय प्रकाश में आये। मार्च 2007 के पश्चात् के विषयों को भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया गया है।

3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानको के अनुरूप लेखा परीक्षण किया गया।

बेसिक शिक्षा विभाग

विहंगावलोकन

बच्चों के नामांकन, उपस्थिति, ठहराव व उनके पोषकीय स्तर में सुधार, स्वास्थ्य एवं सफाई की आदत डालने, साथ भोजन ग्रहण करने के द्वारा जाति की धारणा तोड़ने एवं लिंग समानता को प्रोत्साहित करने के द्वारा शिक्षा को सार्वभौमिक करने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा को पोषकीय सहायता प्रदान करने की राष्ट्रीय योजना, *जिसे सामान्यतः मध्यान्ह भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, अगस्त, 1995 में प्रारम्भ की गयी थी। योजना के उद्देश्य की पूर्ति सरकारी, स्थानीय निकाय, शासकीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों आदि के कक्षा I–V तक के बच्चों के पोषकीय स्तर में सुधार करके होनी थी। योजना का उद्देश्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों के प्राथमिक स्तर के बच्चों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में पोषकीय सहायता उपलब्ध कराना भी था।*

राज्य सरकार द्वारा सूचित नामांकन के आधार पर भारत सरकार ने जिलेवार खाद्यान्न का आबंटन किया, जिसका उठान परिवहन संस्थाओं द्वारा भारतीय खाद्य निगम के जिले के गोदामों से करना था एवं उचित दर दुकानों के माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं को आपूर्ति किया जाना था। भौतिक अवस्थापना, प्रबंधन, अनुश्रवण व मूल्यांकन तथा बच्चों को वितरित किया जाने वाले मध्यान्ह भोजन के लिए परिवर्तन लागत की सहायता भी भारत सरकार ने उपलब्ध करायी थी।

योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव के विश्वसनीय आंकड़े संकलित/सूचित नहीं किये गये। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के उपभोग से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया और न ही उनसे खाद्यान्न व परिवर्तन लागत का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। मध्यान्ह भोजन योजना हेतु खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गयी तथा परिवहन संस्थाओं एवं उचित दर दुकानदारों के पास अत्यधिक मात्रा में खाद्यान्न पड़ा रहा। उपयोग किये गये खाद्यान्न की मात्रा एवं भुगतान किये गये परिवर्तन लागत में विसंगति की जांच नहीं की गयी। परिवहन लागत के दावों के देयकों की जांच में कमी के कारण परिवहन संस्थाओं को अधिक परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति की गयी। बच्चों में पोषकीय स्तर का सुधार सुनिश्चित नहीं किया गया तथा संपूरक माइक्रोन्यूट्रिएण्ट व कृमिनाशक औषधियां नहीं दी गयीं। आवधिक स्वास्थ्य परीक्षण भी प्रारम्भ नहीं किया गया। अधिकांश विद्यालयों में रसोईघर की व्यवस्था नहीं की गयी थी और उनके मरम्मत व रख–रखाव का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। विद्यालयों के पास भोजन पकाने व परोसने के पर्याप्त बर्तन उपलब्ध नहीं थे। अधिकांश विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित नहीं की गयी थी। स्वयंसेवी संस्थाओं की आवश्यक ढांचागत व्यवस्था एवं उनके सामर्थ्य को सुनिश्चित किये बिना ही उन्हें कार्य दे दिया गया, जिसकी परिणति उनके असंतोषजनक कार्य के रूप में हुई। अध्यापक व बच्चे एम डी एम पकाने के कार्य में संलिप्त रहे तथा सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। योजना का न तो समुचित अनुश्रवण किया गया और न ही इसके निष्पादन का मूल्यांकन किसी वाह्य संस्था द्वारा कराया गया।

* प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्द संक्षेपों की सूची पृष्ठ 66–67 पर संक्षिप्त शब्द संग्रह में उल्लिखित है।

- वर्ष 2004–05 की अवधि में बच्चों के नामांकन को निर्धारित करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्देशित बेस लाइन सर्वेक्षण नहीं किया गया था। बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव से संबंधित विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित नहीं किये गये।

(प्रस्तर : 2.1 और 2.2)

- वर्ष 2004–07 की अवधि में परिवर्तन लागत हेतु अधिक बजट प्रावधान करने की परिणति प्रत्येक वर्ष के अंत में 14 से 24 प्रतिशत अप्रयुक्त अवशेष के रूप में हुई।

(प्रस्तर : 3.1.1)

- एम डी एम के खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई थी क्योंकि जांच किये गये 320 विद्यालयों में से 224 (76 प्रतिशत) व स्वयंसेवी संस्थाओं के यहाँ खाद्यान्न में खराब व क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, बाह्य तत्व तथा टूटे अंशों की मात्रा अनुमन्य सीमा से अधिक पायी गयी थी।

(प्रस्तर : 4.1)

- परिवहन संस्थाओं (वर्ष 2002–07) तथा उचित दर विक्रेताओं (वर्ष 2005–07) के पास 121.98 करोड़ रुपये मूल्य के खाद्यान्न अवशेष पड़े थे, जो उनके द्वारा परिवहन के खराब प्रबन्धन को दर्शाता था।

(प्रस्तर : 4.2)

- नमूना जांच किये गये 16 जिलों में से पांच में परिवहन एवं भंडारण के दौरान 30.82 लाख रुपये मूल्य के खाद्यान्न की क्षति (वर्ष 2004–07) प्रतिवेदित की गयी थी जबकि इस प्रकार की क्षति अनुमन्य नहीं थी।

(प्रस्तर : 4.2.1)

- उपभोग किये गये खाद्यान्न की मात्रा एवं उसके परिवर्तन लागत के बीच अनुरूपता नहीं पायी गयी तथा नमूना जांच किये गये 16 जिलों में से पांच से सात जनपदों ने खाद्यान्न का एक से 37 प्रतिशत तक अधिक उपभोग दर्शाया था एवं छः जनपदों ने परिवर्तन लागत का तीन से 70 प्रतिशत तक अधिक भुगतान दर्शाया था ।

(प्रस्तर : 4.2.2)

- परिवहन संस्थाओं के वर्ष 2002–07 की अवधि के परिवहन व्यय के दावों की जॉच में कमी के परिणामस्वरूप दिसम्बर 2007 तक उनको 81.88 करोड़ रुपये की अधिक प्रतिपूर्ति कर दी गयी।

(प्रस्तर : 5.1)

- उचित दर विक्रेताओं द्वारा वर्ष 2002–07 की अवधि में 3.58 करोड़ खाली बोरियों को रख लेने के फलस्वरूप उन्हें 43.86 करोड़ रुपये का अवांछित लाभ हुआ।

(प्रस्तर : 5.3)

- खाद्यान्न के परिवहन हेतु 1.47 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता एवं आठ करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फण्ड नवम्बर, 2002 से व्यैक्तिक खाते में अवरुद्ध पड़ा था।

(प्रस्तर : 5.5)

- निर्धारित मात्रा में पोषक तत्व युक्त आवश्यक मात्रा के एम डी एम तथा मीनू के अनुसार भोजन की आपूर्ति न किये जाने की परिणति वर्ष 2004–07 की अवधि में बच्चों को अपर्याप्त पोषकीय सहायता के रूप में हुई।

(प्रस्तर : 6.1)

- उच्चतम न्यायालय के निर्देशों (अप्रैल 2004) का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2005 व 2007 के ग्रीष्मकालीन अवकाश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 1.63 करोड़ बच्चों को एम डी एम उपलब्ध नहीं कराया गया।

(प्रस्तर : 6.2)

- संपूरक माइक्रोन्यूट्रिएन्ट व कृमिनाशक औषधियों को उपलब्ध कराकर बच्चों के पोषण स्तर में सुधार को सुनिश्चित नहीं किया गया। आवधिक स्वास्थ्य परीक्षण भी सुनिश्चित नहीं किया गया।

(प्रस्तर : 6.3 और 6.6)

- मार्च 2007 तक 36,489 विद्यालयों (96,457 में से) में रसोई घर उपलब्ध नहीं कराये गये थे। नमूना जांच किये गये 253 विद्यालयों में से 169 के रसोई घर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के पृथक केन्द्रीयकृत किचेन होने के कारण अक्रियाशील थे। रसोई घर के मरम्मत व रखरखाव हेतु निधि का प्रावधान भी नहीं किया गया।

(प्रस्तर : 7.1)

- नमूना जांच किये गये 320 विद्यालयों में से 61 में रसोई के पर्याप्त उपकरण व पीने योग्य पानी की व्यवस्था नहीं थी।

(प्रस्तर : 7.2 और 7.3)

- स्वयंसेवी संस्थाओं ने वर्ष 2004–07 की अवधि में सम्प्रेक्षित लेखे के साथ वार्षिक प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत नहीं किये थे।

(प्रस्तर : 8.1)

- स्वयंसेवी संस्थाओं को उनके सामर्थ्य व ढांचागत व्यवस्था को सुनिश्चित किये बिना ही कार्य दे दिया गया जिसकी परिणति उनके द्वारा असंतोषजनक कार्य निष्पादन एवं विद्यालय प्रांगण एवं कक्षाओं के अनधिकृत कब्जे के रूप में हुई।

(प्रस्तर : 8.2)

- विद्यालय स्तर पर योजना के पर्याप्त एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु गठित टास्क फोर्स ने अक्टूबर, 2006 से मार्च 2007 की अवधि में लक्षित विद्यालयों का केवल 65 से 69 प्रतिशत ही दौरा किया।

(प्रस्तर : 9.1)

- कार्यदायी संस्थाओं द्वारा खाद्यान्न व परिवर्तन लागत के लेखों का रखरखाव नहीं किया गया एवं बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने भी खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के उपभोग के सत्यापन हेतु इन अभिलेखों की कभी मांग नहीं की।

(प्रस्तर : 9.2)

- वर्ष 2004–07 की अवधि में त्रैमासिक प्रगति आख्यायें तीन से नौ माह विलम्ब से भारत सरकार को प्रेषित की गयी।

(प्रस्तर : 9.3)

- अनुश्रवण अपर्याप्त था एवं योजना के निष्पादन का किसी वाह्य संस्था द्वारा मूल्यांकन नहीं कराया गया।

(प्रस्तर : 9.6 और 9.8)

अध्याय-1: परिचय

प्राथमिक शिक्षा में पोषकीय सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्यान्ह भोजन)



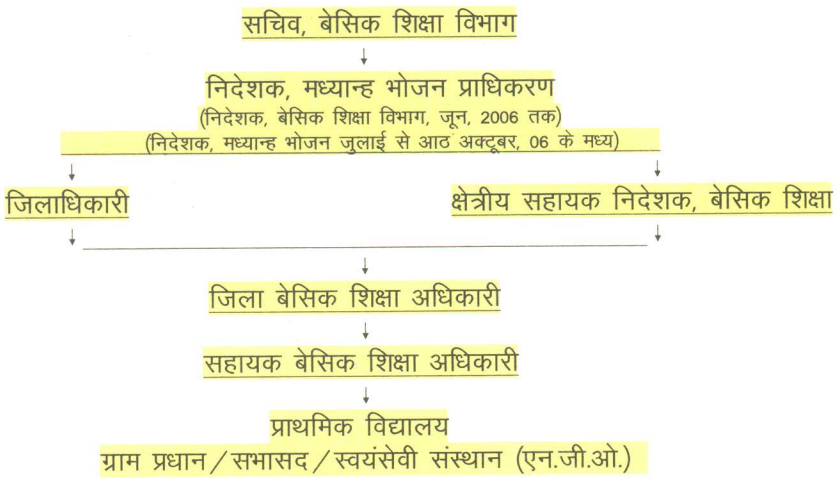
सरकारी, स्थानीय निकाय एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं (I से V) में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि करके प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता में बढ़ावा के साथ–साथ पोषकीय स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से केन्द्र द्वारा प्रायोजित मध्यान्ह भोजन (एम डी एम) योजना 15 अगस्त, 1995 को प्रारम्भ की गयी थी। शिक्षा गॉरंटी योजना (ई जी एस) तथा वैकल्पिक एवं नवीनतापरक शिक्षा (ए आई ई) केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को अक्टूबर, 2002 में योजना में सम्मिलित कर लिया गया था। योजना के प्रारम्भिक दौर में छात्रों को निश्चित मात्रा में सूखा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सितम्बर 2004 से इसके स्थान पर पका पकाया भोजन दिया जाने लगा। योजना (सितम्बर 2004) में अवनत समूहों को ग्रीष्मावकाश में भी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराये जाने के अतिरिक्त उद्देश्य पर विशेष बल दिया गया। सितम्बर 2006 के बाद भोजन में कैलारी की मात्रा 300 से बढ़ाकर 450 एवं प्रोटीन अंश 8-12 ग्राम से बढ़ाकर 12 ग्राम कर दी गयी थी जबकि इसके साथ–साथ आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएन्ट एवं कृमिनाशक दवायें उपलब्ध करायी जानी थी।

पके एम डी एम हेतु केन्द्रीय सहायता निम्नवत् उपलब्ध करानी थीः

- 100 ग्राम गेहूँ/चावल प्रति छात्र प्रति विद्यालय दिवस की दर से खाद्यान्न।
- अधिकतम 50 रुपये प्रति क्विंटल जिसे अक्टूबर, 2004 से 75 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था, की सीमा के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) के निकटतम गोदाम से विद्यालय तक खाद्यान्न के उठान की परिवहन लागत ।
- परिवर्तन लागत अर्थात् पकाने की लागत।
- प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (एम एम ई) की लागत ।
- अन्य केन्द्र पोषित योजनाओं में उपलब्ध धनराशि का उपयोग करके राज्य सरकार द्वारा भौतिक ढांचा यथा किचेन कम स्टोर, पीने एवं पकाने हेतु समुचित जल व्यवस्था, पकाने के बर्तन, खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों के भंडारण हेतु कन्टेनर तथा भोजन पकाने एवं परोसने के बर्तन आदि की व्यवस्था की जानी थी। वर्ष 2006–07 से किचेन निर्माण एवं किचेन उपकरण का व्यय एम डी एम निधि से किया जाना था।

1.1 संगठनात्मक ढांचा

योजना के क्रियान्वयन का संपूर्ण दायित्व सचिव, बेसिक शिक्षा, उ. प्र. सरकार में निहित था, जिनका सहयोग जून 2006 तक निदेशक, बेसिक शिक्षा तथा उसके उपरान्त निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ करते थे। खाद्यान्न के उठान एवं कार्यदायी संस्थाओं को वितरित करने का दायित्व प्रमुख सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का था। परिवहन लागत को सत्यापित एवं उठान एजेन्सियों को उसकी प्रतिपूर्ति बेसिक शिक्षा परिषद् जो निदेशक, बेसिक शिक्षा के प्रशासनिक नियंत्रण में थी, के द्वारा की जाती थी। जनपदों में जिलाधिकारी नोडल अधिकारी थे तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बी एस ए) के माध्यम से योजना के संचालन के लिये जिम्मेदार थे। निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यू पी आर) प्रेषित करने का दायित्व क्षेत्रीय सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा का था।



1.2 लेखा परीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव के संबन्ध में बनाये गये आंकड़े/कराये गये बेस लाइन सर्वेक्षण विश्वसनीय थे;
- योजना का क्रियान्वयन एक अच्छी रूपरेखा की क्रियाविधि से किया गया था एवं केन्द्र पोषित योजना से किये गये व्यय निर्धारित मानक के अनुरूप थे;
- आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त एवं समुचित था; एवं
- योजना के क्रियान्वयन से प्राथमिक शिक्षा पर कोई अवांछित प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था।

1.3 लेखा परीक्षा मापदण्ड

लेखा परीक्षा में प्रयुक्त मापदण्ड थे:

- योजना के दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट मानक एवं शर्तें;
- शासन के वित्तीय नियम;
- वार्षिक कार्य योजना एवं बजट प्रस्ताव; तथा
- शासन एवं योजना की संदर्शिका में प्रावधानित समीक्षा, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आख्याएं।

1.4 लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

योजना की 2002–2007 अवधि की निष्पादन लेखा परीक्षा जुलाई 2007 से नवंबर 2007 के बीच निदेशालय एवं 70 में से 16 जनपदों के जिला बी एस ए के अभिलेखों की

नमूना जांच करके की गयी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में ग्रामीण क्षेत्र के 14 प्राथमिक विद्यालयों (प्रा वि)/ई जी एस केन्द्रों/ए आई ई केन्द्रों एवं नगरीय क्षेत्र के छः प्रा वि/ई जी एस केन्द्रों/ए आई ई केन्द्रों को बिना प्रतिस्थापन के सामान्य यदृक्ष्य नमूना लेने की पद्धति (सिम्पल रैण्डम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेशमेन्ट मैथड) से चयनित किया गया। शिक्षा विभाग के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ नमूना जॉच किये गये जनपदों के चयनित विद्यालयों एवं 51 में से 20 स्वयंसेवी संस्थाओं के रसोई घरों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संभागीय खाद्य नियंत्रक (आर एफ सी)/आवश्यक खाद्य तथा वस्तु निगम (एफ ई सी सी) एवं जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के अभिलेखों की जांच की गयी। प्रमुख सचिव, शिक्षा के द्वारा जून 2007 में आयोजित परिचयात्मक गोष्ठी में लेखा परीक्षा के उद्देश्यों/मानदण्डों पर सहमति प्रदान की गयी। लेखा परीक्षा के निष्कर्ष तथा संस्तुतियों को शासन को उनकी टिप्पणी हेतु सूचित किया गया तथा समापन गोष्ठी (नवम्बर, 2007) में विचार–विमर्श भी किया गया। सम्प्रेक्षा द्वारा उपलब्ध कराये गये तथ्यों, आंकड़ों एवं संस्तुतियों को शासन ने स्वीकार किया। सचिव, बेसिक शिक्षा, उ.प्र. सरकार के साथ दिसम्बर, 2007 में ड्राफ्ट रिपोर्ट पर पुनः चर्चा की गयी।

1.5 स्वीकारोक्ति

प्रमुख सचिव, शिक्षा, उ.प्र. सरकार, सचिव, बेसिक शिक्षा, उ.प्र. सरकार तथा निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, लखनऊ के द्वारा परिचयात्मक एवं समापन गोष्ठी तथा लेखा परीक्षा के दौरान किये गये सहयोग को साभार स्वीकार किया जाता है।

अध्याय–2

प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव

योजना के दिशानिर्देशों (अगस्त 1995) के अनुसार खाद्यान्न, परिवर्तन लागत और एम एम ई लागत हेतु धनराशि अवमुक्त करने के लिये सरकारी, स्थानीय निकाय एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा I से V तथा ई जी एस एवं ए आई ई केन्द्रों में भी नामांकित बच्चों की संख्या मध्यान्ह भोजना प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार को प्रत्येक वर्ष फरवरी/मार्च में वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करते समय सूचित की जानी थी। इस प्रायोजन के लिए सर्वप्रथम सहायक बी एस ए द्वारा प्रत्येक विद्यालयों/केन्द्रों से नामांकन के आंकड़े प्राप्त कर ब्लाक स्तर पर संकलित किया गया। सहायक बी एस ए द्वारा इन आंकड़ों को जिला बी एस ए को देनी थी, जिनके द्वारा सम्पूर्ण जिले के आंकड़े संकलित कर मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना था। प्राधिकरण के द्वारा सभी 70 जिलों की सूचना संकलित कर भारत सरकार को भेजी जानी थी।

नामांकन की वास्तविक स्थिति प्राप्त करने के लिए बेस लाइन सर्वेक्षण नहीं किया गया।

भारत सरकार ने निर्देश (दिसम्बर 2004) भी दिये थे कि वर्ष 2004–05 के सत्र समाप्त होने के पूर्व बच्चों के नामांकन से संबंधित बेस लाइन सर्वेक्षण पूर्ण कर लियें जायें ताकि वर्ष 2004–2005 के लिये मध्यान्ह भोजन से संबंधित नामांकन के आंकड़े प्राप्त हो जायें। राज्य में इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

2.1 विद्यालयों, ई जी एस तथा ए आई ई केन्द्रों में नामांकन

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार को वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से वर्ष 2002–2007 की अवधि में प्रेषित नामांकन इत्यादि का विवरण निम्नवत था:

तालिका –1

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	भारत सरकार को सूचित नामांकन	मार्च की समाप्ति की क्यू पी आर के अनुसार लाभार्थियों की संख्या *(कालम 2 का प्रतिशत)*
1	2	3
2002–03	148.56	उपलब्ध नहीं
2003–04	163.75	उपलब्ध नहीं
2004–05	169.97	141.66 *(83)*
2005–06	186.44	147.91 *(79)*
2006–07	187.20	143.86 *(77)*

नोट : कालम 2 के आंकड़े पिछले वर्ष के 30 सितम्बर के एवं अगले वित्तीय वर्ष के अनुमानित नामांकन को जोड़कर है।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2004–07 की अवधि में नामांकित बच्चों के 77 से 83 प्रतिशत ही योजना से आच्छादित हुए थे। यद्यपि 2004–07 की अवधि में नामांकन में वृद्धि हुई थी फिर भी लाभार्थियों की संख्या में कमी हुई थी जिसका कोई कारण नहीं बताया गया। जबकि नमूना जांच किये गये जिलों के अभिलेख दर्शाते थे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को सूचित संख्या उनके अभिलेखों पर आधारित नहीं थीं तथा भारत सरकार को सूचित एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों में भिन्नता थी (***परिशिष्ट–I***)। चौदह जिलों में नामांकन संख्या 9.75 लाख बढ़ाकर तथा शेष दो जिलों में 1.74 लाख कम कर सूचित की गई थी। इसके अतिरिक्त, आंकड़ों में भिन्नता इंगित करती थी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा संकलित एवं मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को सूचित आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे जैसा कि निम्नलिखित दृष्टातों से स्पष्ट है:

- कुशीनगर जिले में जनवरी से मार्च 2007 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एम पी आर) के आधार पर लाभार्थियों की औसत संख्या 2.44 लाख निकलती थी जिसके विरुद्ध मार्च 2007 की समाप्ति के क्यू पी आर में यह संख्या 3.22 लाख प्रदर्शित की गई थी।

- प्रत्येक वर्ष के 30 सितम्बर का नामांकन वार्षिक कार्य योजना के साथ-साथ परिवर्तन लागत एवं खाद्यान्न के निर्गम का आधार के रूप में लिया गया है। शाहजहांपुर जिले में नामांकन अक्टूबर 2008 में 3.57 लाख से जनवरी 2007 में 3.69 लाख तक बदल गया जैसा कि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सूचित किया गया था, जो इंगित करता था कि उनके पास नामांकन के समुचित अभिलेख नहीं थे ***(परिशिष्ट– II अ)***।
- वर्ष 2004–07 की अवधि में क्यारा ब्लाक (बरेली जिला) तथा सालारपुर, समरेर, दातागंज एवं कादरचौक ब्लाक (बदायूं जिला) के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक ही माह में खाद्यान्न के उठान के लिये तथा परिवर्तन लागत की अवमुक्ति के लिये अलग–अलग आंकड़े सूचित किये गये थे। (***परिशिष्ट–II ब***)
- ब्लाक संसाधन केन्द्र कसया, कुशीनगर के समन्वयक[1] (109 विद्यालयों के) ने बताया (जुलाई 2007) कि उनके द्वारा विद्यालयों से नामांकन संख्या संकलित नहीं की गई थी।

नामांकन एवं उपस्थिति की सूचना हेतु कोई उचित प्रणाली विद्यमान नहीं थी

विद्यालयों से सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों अथवा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों से जिला बेसिक अधिकारियों को बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति की सूचना प्रेषित करने हेतु कोई उचित प्रणाली विद्यमान नहीं थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों से नामांकन की सूचना आवश्यकतानुसार या तो मासिक बैठकों में बिना किसी समर्थित अभिलेख के या दूरभाष पर प्राप्त कर लिया था। नामांकन आंकड़े की सही सूचना प्राप्त करने की उचित प्रणाली के अभाव की परिणति मध्यान्ह भोजन योजना प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार को अविश्वसनीय आंकड़े सूचित किये जाने के रूप में हुई।

2.2 उपस्थिति एवं ठहराव

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों में से केवल 64 प्रतिशत ही उपस्थित थे

कक्षाओं से बच्चों के ड्राप आउट के आंकड़े किसी स्तर पर प्राप्त/संकलित नहीं किये गये थे, यथा न तो राज्य स्तर पर और न ही जिला स्तर पर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ नमूना जांच किये गये 16 जिलों के 320 विद्यालयों का संयुक्त निरीक्षण परिलक्षित था कि उपस्थिति पंजिका के अनुसार 63,995 नामांकित बच्चों के विरुद्ध 41,024 (64 प्रतिशत) उपस्थित थे जो विद्यालय में नामांकित एवं उपस्थित बच्चों की संख्या के बीच काफी अन्तर दर्शाता था। वास्तविक गणना में उपस्थित बच्चों की संख्या 38,057 थी।

शासन ने उत्तर दिया (जनवरी 2008) कि विद्यालयों में बच्चों के ठहराव के लिये प्रयास किये गये थे तथा स्थिति में सुधार हेतु विभिन्न स्तरों पर अतिरिक्त प्रयास प्रक्रिया में थे। उपस्थिति एवं ठहराव के आंकड़े संकलित करने की पद्धति में सुधार हेतु उठाये गये कदमों के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

2.3 निष्कर्ष

बच्चों के नामांकन को निर्धारित करने हेतु 2004–05 के लिये भारत सरकार द्वारा निर्देशित बेस लाइन सर्वेक्षण नहीं कराया गया था। योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु नामांकन, उपस्थिति एवं बच्चों के ठहराव से सम्बन्धित विश्वसनीय आंकड़े संकलित/सूचित नहीं किये गये थे।

[1] ब्लाक के विद्यालयों से नामांकन की सूचना संकलित करने हेतु ब्लाक स्तर पर एक अध्यापक को समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था।

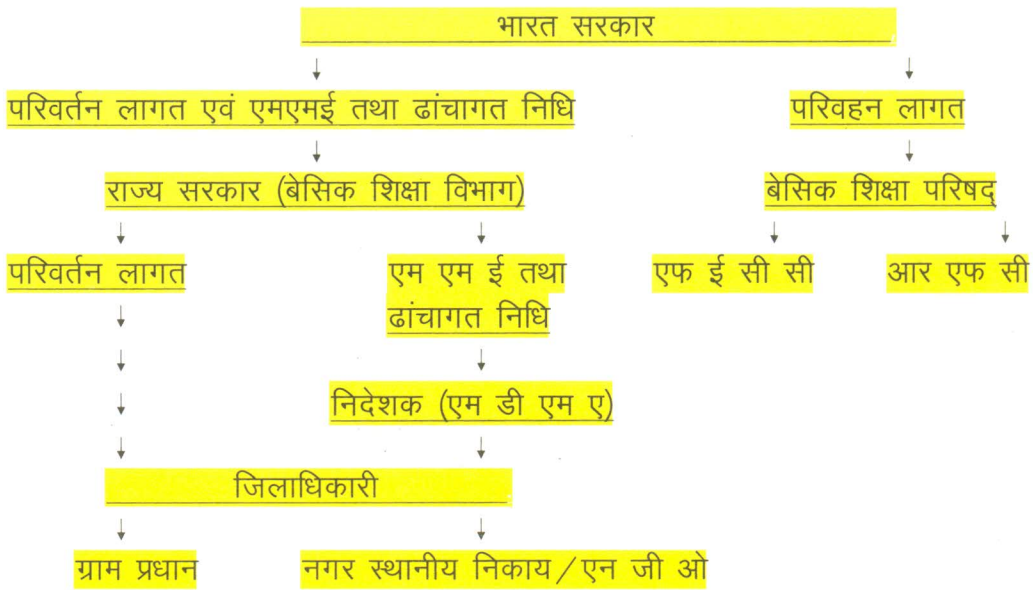
2.4 संस्तुतियाँ

- बच्चों के नामांकन के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के लिये भारत सरकार द्वारा निर्देशित बेस लाइन सर्वेक्षण कराया जाना चाहिये।
- सूचना तंत्र को आन लाइन संयोजन के माध्यम से सुधारा जाना चाहिए।
- पके मध्यान्ह भोजन की जांच के लिये गठित टास्क फोर्स को मासिक सूचना तथा स्कूलों की उपस्थिति पंजिका में उल्लिखित उपस्थिति का वास्तविक उपस्थिति से सत्यापन भी करना चाहिये एवं भिन्नता को सूचित करना चाहिये।

अध्याय–3

वित्तीय प्रबन्धन

एम डी एम योजना हेतु भारत सरकार ने राज्यों को (i) एफ सी आई के गोदामों से निःशुल्क खाद्यान्न, (ii) परिवर्तन लागत, (iii) एम एम ई निधि, (iv) ढांचागत निधि एवं (v) परिवहन देयकों की प्राप्ति पर प्रतिपूर्ति के द्वारा एफ सी आई के गोदामों से विद्यालयों तक खाद्यान्न ढुलाई के परिवहन व्यय के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की थी। भारत सरकार से कार्यदायी संस्थाओं तक निधियों का प्रवाह निम्नवत् था:



3.1 वित्तीय निष्पादन

इस अध्याय में भारत सरकार द्वारा परिवर्तन लागत एवं एम एम ई निधि को अवमुक्त करने एवं उसके उपभोग पर चर्चा की गयी है तथा खाद्यान्न, परिवहन लागत एवं ढांचा निर्माण से संबंधित चर्चाएं क्रमशः अध्याय 4, 5 एवं 7 में की गयी है।

भारत सरकार द्वारा धनराशि के अवमुक्त होने की प्रत्याशा में राज्य सरकार ने वार्षिक कार्य योजना के सापेक्ष बजट अनुमानों/पुनिरीक्षित अनुमानों में प्राविधान किया तथा ग्राम प्रधान/नगर पंचायत/स्वयंसेवी संस्थाओं (एन जी ओ) को परिवर्तन लागत स्थानान्तरित करने हेतु निधि जिलाधिकारियों को हस्तान्तरित कर दी। एम एम ई एवं ढांचागत निधियाँ एम डी एम प्राधिकरण को अवमुक्त की गयी थीं।

3.1.1 परिवर्तन लागत

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में दी जा रही 15 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त भोजन के अवयवों जैसे दाल, सब्जी, खाद्य, तेल, मसाले की लागत, ईंधन मूल्य एवं भोजन बनाने की मजदूरी हेतु परिवर्तन लागत एक रुपये प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस सितम्बर 2004 से देय थी। इस दर को बढ़ाकर (15 अगस्त 2006) दो रुपया (0.50 रुपये का राज्यांश सम्मिलित करते हुए) प्रति छात्र प्रति स्कूल दिवस कर दिया गया था। चूंकि राज्य सरकार नें बच्चों के नामांकन के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने हेतु न तो किसी तन्त्र की स्थापना की और न ही प्रा वि/केन्द्रों आदि के छात्रों की वास्तविक संख्या के आंकलन हेतु बेस लाइन सर्वेक्षण कराया इसलिए बजट में प्रावधान अवास्तविक डेटा के आधार पर किया गया था जो अधिक साबित हुआ। भारत सरकार

एवं राज्य सरकार द्वारा बजट के माध्यम से अवमुक्त धनराशि एवं उनके उपभोग का विवरण निम्नवत् था :–

तालिका–2

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त	राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त		कुल अवमुक्त धनराशि	पूर्व वर्ष का अंतिम अवशेष	कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय धनराशि	अंतिम अवशेष *(अवमुक्त धनराशि का प्रतिशत)*
		केन्द्रांश	राज्यांश					
2004–05	170.67	204.00	शून्य	204.00	––	204.00	175.42	28.58 *(14)*
2005–06	295.53	333.36*	शून्य	333.36	28.58	361.94	280.36	81.58 *(24)*
2006–07	436.48	436.48	84.16	520.64	81.58	602.22	497.13	105.09 *(20)*
योग	**902.68**	**973.84**	**84.16**	**1058.00**			**952.91**	

*एम डी एम योजना का 264.20 करोड़ रुपया तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का 69.16[2] करोड़ रुपया

नोट : पका मध्यान्ह भोजन योजना राज्य में सितम्बर, 2004 से प्रारम्भ हुई थी।

14 से 24 प्रतिशत परिवर्तन लागत का उपभोग नहीं हुआ

तालिका से देखा जा सकता है कि 2004–07 की अवधि में अवमुक्त की गयी धनराशि का 14 से 24 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अप्रयुक्त पड़ा था जो बजट में अधिक धनराशि का प्राविधान किया जाना इंगित करता है।

एस सी पी निधि के 69.16 करोड़ रुपये का अनियमित विचलन किया गया

इसके अतिरिक्त वर्ष 2005–06 में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र पोषित योजना यथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस सी पी) जो केवल अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ थी में से 69.16 करोड़ रुपये का परिवर्तन लागत हेतु विचलन कर दिया जबकि 292.78 करोड़ रुपये (264.20 करोड़ रुपये उक्त वर्ष में अवमुक्त एवं 28.58 करोड़ रुपये पूर्व वर्ष की अवशेष धनराशि) की धनराशि परिवर्तन लागत का व्यय वहन करने हेतु पर्याप्त थी। यह विचलन अनियमित एवं अनावश्यक था क्योंकि भारत सरकार ने एम डी एम योजना में पहले से ही अनुसूचित जाति के बच्चों के लिये भी परिवर्तन लागत का प्रबन्ध कर दिया था। विचलित धनराशि में से 12.60 करोड़ रुपया मार्च 2006 के अंत तक अप्रयुक्त पड़ा था।

3.1.2 जनपद स्तर पर परिवर्तन लागत

परिवर्तन लागत सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को बी एस ए के माध्यम से अवमुक्त की जानी थी एवं व्यय पर समुचित नियंत्रण हेतु उपभोग प्रमाण पत्र (यू सी) प्राप्त करना था। एम डी एम की परिवर्तन लागत वहन करने हेतु दिये गये वित्तीय अनुमोदन से विद्यालयों को भी अवगत कराना था। जबकि नमूना जांच किये गये जनपदों के बी एस ए के अभिलेख निम्नवत दर्शाते थे:

प्राथमिक विद्यालयों को अवमुक्त किये गये परिवर्तन लागत के संबंध में नहीं बताया गया

- कार्यदायी संस्थाओ को अवमुक्त परिवर्तन लागत के बारे में विद्यालयों को अवगत नहीं कराया गया था।

952.91 करोड़ रुपये के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये।

- कार्यदायी संस्थाओं के बैंक खातों में परिवर्तन लागत के लिये 952.91 करोड़ रुपये हस्तान्तरित किये गये थे परन्तु कार्यदायी संस्थाओं से उनके द्वारा किये गये व्यय के यू सी प्राप्त नहीं किये गये थे।
- नमूना जांच किये गये जनपदों के जिलाधिकारियों के पास मार्च 2007 के अन्त में 14.26 करोड़ रुपये (2004–05: 2.47 करोड़ रुपये, 2005–06: 4.56 करोड़ रुपये तथा 2006–07: 7.23 करोड़ रुपये) अप्रयुक्त पड़े थे (***परिशिष्ट–III***)।

[2] 71.25 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के सापेक्ष 69.16 करोड़ रुपया अवमुक्त किया गया।

- झांसी जनपद के जिला बी एस ए द्वारा जारी 9.85 लाख रुपये के 13 चेक मार्च 2007 में सहायक बी एस ए को सम्बन्धित ग्राम प्रधानों के बैंक खातों में जमा करने हेतु दिये गये थे। सहायक बी एस ए ने उन चेकों को समय से जमा नहीं किया तथा वे कालातीत हो गये।
- अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बलिया ने रोकी गयी धनराशि के बारे में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद परिवर्तन लागत के अप्रयुक्त पड़े 7.58 लाख रुपये (2004–05: 2.27 लाख रुपये एवं 2005–06: 5.31 लाख रुपये) अक्टूबर 2007 में समर्पित कर दिया।
- नगर आयुक्त[3], लखनऊ ने वर्ष 2004–05 से अप्रयुक्त पड़े 21.93 लाख रुपयों को दिसम्बर, 2007 तक समर्पित नहीं किया था।

उपरोक्त निष्कर्ष इंगित करते थे कि जनपद स्तर पर परिवर्तन लागत की निधि के उपभोग का प्रबन्धन एवं अनुश्रवण उचित ढंग से नहीं किया गया था।

निदेशक ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2007) कि शासन परिवर्तन लागत सीधे जनपदों को अवमुक्त करता था इसलिए परिवर्तन लागत के अप्रयुक्त अवशेष की सूचना शासन स्तर पर उपलब्ध होगी। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर, 2007) कि एम डी एम प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक से प्राप्त करके सूचना उपलब्ध करायी जायेगी। यह शासन के साथ–साथ प्राधिकरण स्तर पर परिवर्तन लागत निधि के कमजोर अनुश्रवण एवं कमजोर प्रबन्धन को दर्शाता था।

3.2 प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

भारत सरकार द्वारा मार्च 2005 तक एम डी एम योजना के खाद्यान्न, ढुलाई भाड़े एवं परिवर्तन लागत की सकल धनराशि का 0.9 प्रतिशत तथा उसके बाद 1.8 प्रतिशत प्रभावी एम एम ई हेतु प्रदान किया गया। एम एम ई निधि का उपयोग स्कूल स्तर के व्यय (50 प्रतिशत), प्रबन्धन, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण, आंतरिक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (35 प्रतिशत) तथा बाह्य अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (15 प्रतिशत) हेतु करना था। भारत सरकार से प्राप्त, राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त एवं एम डी एम प्राधिकरण द्वारा उपयोग की गयी निधियों का विवरण निम्नवत् था:

तालिका–3

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक अवशेष	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त	राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त	कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय	अवशेष
1	2	3	4	5 (2+4)	6	7
2004–05	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2005–06	00.00	6.47	3.88	3.88	3.34	0.54 (14)
2006–07	0.54	8.13	11.26	11.80	0.75	11.05 (94)
योग		**14.60**	**15.14**		**4.09**	

नोट :– राज्य में पके मध्यान्ह भोजन योजना सितम्बर, 2004 से प्रारम्भ हुई।

यह देखा गया कि:

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित नेशनल स्टीयरिंग कम मानिटरिंग कमेटी की संस्तुति के अभाव में एम डी एम योजना के अनुश्रवण हेतु वर्ष 2004–2005 में भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी। यह उल्लिखित था कि प्रबन्धन का कार्य संविदा पर नियुक्ति के द्वारा कराया जायेगा

[3] लखनऊ के शहरी क्षेत्रों में योजना का संचालन नगर आयुक्त (म्यूनिसीपल कमिश्नर) के हाथ में था।

तथा बाह्य अनुश्रवण/मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठित संस्थानों को आउटसोर्स करके करायी जायेगी। ऐसा नहीं किया गया था।

2.59 करोड़ रुपये की प्राप्ति उपभोग प्रमाण पत्र में लेखांकित नहीं की गयी थी

- राज्य सरकार ने भारत सरकार को प्रेषित उपभोग प्रमाण पत्र में मार्च 2007 के अंत में 7.92 करोड़ रुपये का अवशेष दर्शाया था। जबकि एम डी एम प्राधिकरण की रोकड़ बही वास्तविक अंतिम अवशेष 11.05 करोड़ रुपये दर्शाती थी। आगे जांच परिलक्षित करती थी कि राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 2006 में अवमुक्त 2.59 करोड़ रुपये को एम डी एम प्राधिकरण द्वारा उनकी रोकड़ बही में मार्च 2007 में लेखांकित किया गया। यद्यपि धनराशि का उपभोग नहीं किया गया था फिर भी उसे वर्ष 2006–07 के उपभोग प्रमाण पत्र के अवशेष में शामिल नहीं किया गया था। शेष 54.00 लाख रुपये के अन्तर का कारण एम डी एम प्राधिकरण द्वारा नहीं बताया गया।
- वर्ष 2005–07 की अवधि में दो बैंकों में पड़ी धनराशियों पर अर्जित 3.40 लाख रुपये के ब्याज को न तो एम डी एम प्राधिकरण के लेखे में सम्मिलित किया गया और न ही भारत सरकार को प्रेषित यू सी में दर्शाया गया।
- 70 जिलों के बी एस ए एवं 17 क्षेत्रीय कार्यालयों को एक–एक लाख रुपये कम्प्यूटर क्रय करने हेतु उपलब्ध कराया (अप्रैल, 2006) गया परन्तु अगस्त 2007 तक उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे। नमूना जांच किये गये 16 जनपदों में से आठ[4] में कम्प्यूटर क्रय किये गये थे तथा अनुबंध के आधार पर कम्प्यूटर आपरेटर मार्च 2007 तक के लिये नियुक्त किये गये थे। उसके उपरांत कोई आपरेटर नियुक्त नहीं हुआ। कम्प्यूटर या तो निष्क्रिय पड़े थे अथवा एम डी एम योजना से पृथक कार्य हेतु प्रयोग किये जा रहे थे।
- एम डी एम प्राधिकरण ने छात्रों के स्वास्थ्य अभिलेख के रख–रखाव हेतु पंजिका क्रय करने हेतु कन्टीजेन्सी के रूप में 100 रुपये की दर से 95,324 विद्यालयों हेतु 95.32 लाख रुपये जिलों के बी एस ए को अवमुक्त किये थे परन्तु न तो यू सी प्राप्त किये गये और न ही स्वास्थ अभिलेखों के रख–रखाव की प्रगति का अनुश्रवण प्राधिकरण स्तर पर किया गया।

2.27 करोड़ रुपये की उपलब्धता के बावजूद योजना का मूल्यांकन नहीं कराया गया

- एम एम ई निधि का 15 प्रतिशत योजना के वार्षिक मूल्यांकन पर व्यय किया जाना था। 2.27 करोड़ रुपये[5] की उपलब्धता के बावजूद निदेशक ने इस संबन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसकी परिणति कुपोषण के प्रकरणों का चिन्हीकरण, बच्चों के पोषण की स्थिति का आंकलन तथा योजना के क्रियान्वयन के कमजोर क्षेत्रों को चिन्हित न किये जाने के रूप में हुई।

राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2008) कि ब्याज की धनराशि के संबंध में भारत सरकार से निर्देश मांगे गये थे तथा कम्प्यूटर क्रय के यू सी प्राप्त किये जा रहे थे।

कम्प्यूटर हेतु धन अवमुक्त करने के 21 माह के बाद भी यू सी प्राप्त करने में असफलता राज्य सरकार स्तर पर कमजोर अनुश्रवण को दर्शाता था।

3.3 निष्कर्ष

बजट प्रावधान अधिक था जिसकी परिणति प्रत्येक वर्ष के अंत में अत्यधिक अप्रयुक्त अवशेष के रूप में होती थी। परिवर्तन लागत वहन करने हेतु अवमुक्त धनराशि के यू सी प्राप्त नहीं किये गये तथा धन की उपलब्धता के बावजूद योजना का वाह्य संस्था द्वारा अनुश्रवण/मूल्यांकन नहीं कराया गया।

4 बलिया, बरेली, एटा, गाजीपुर, कानपुर नगर, कन्नौज, शाहजहाँपुर तथा श्रावस्ती

5 15.14 करोड़ रुपये का 15 प्रतिशत

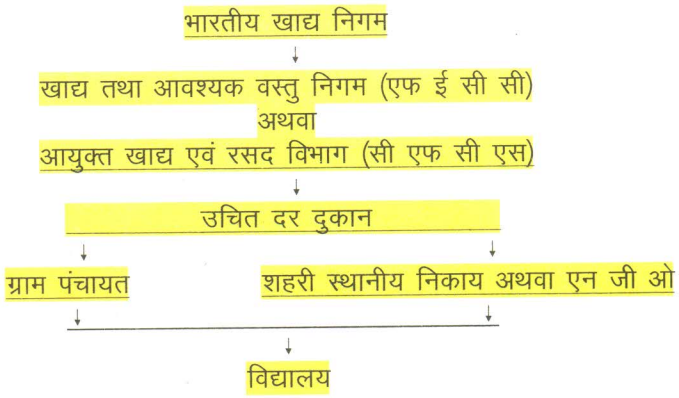
3.4 संस्तुतियां

- प्राथमिक विद्यालय, ई जी एस तथा ए आई ई केन्द्रों में बच्चों के वास्तविक नामांकन आंकड़ों के आधार पर बजट प्रावधान किया जाना चाहिए।
- उचित वित्तीय प्रबंधन हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।
- अवमुक्त किये गये परिवर्तन लागत के संबंध में विद्यालयों को सूचित किया जाना चाहिए।

अध्याय–4

खाद्यान्न प्रबन्धन

भारत सरकार ने सूखे खाद्यान्न योजना के अंतर्गत 10 माह के लिये तीन किग्रा प्रति माह प्रति छात्र एवं पके मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति विद्यालय दिवस निःशुल्क खाद्यान्न का प्रबन्ध किया था। अनुमोदित वार्षिक योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का आबंटन भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को किया गया था तथा विद्यालय स्तर तक इसका प्रवाह निम्नवत थाः



4.1 खाद्यान्न की गुणवत्ता

खाद्यान्न की अच्छी औसत गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एफसीआई को योजना के लिए अच्छी औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) का खाद्यान्न सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित (नवम्बर 2001) किया था। भारत सरकार ने भी दिशानिर्देशिका एनपी–एनएसपीई, 2004 में इसको समाविष्ट किया था। एफसीआई तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाना था। एफसीआई से उठान, ब्लाक स्तरीय गोदामों से उठान तथा उचित दर दुकानों से निर्गत करने के समय खाद्यान्न का नमूना लिया जाना था।

राज्य सरकार के निर्देशों (जुलाई 2006) के अनुसार इन नमूनों को विभिन्न स्तर पर खाद्यान्न की गुणवत्ता के सत्यापन के लिए जिलाधिकारियों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों तथा खाद्य व रसद विभाग के अधिकारियों को भेजा जाना था। जबकि सहायक महाप्रबन्धक (गुणवत्ता नियंत्रण), एफसीआई, लखनऊ ने सूचित किया (जून 2007) कि खाद्यान्न की गुणवत्ता परीक्षण हेतु राज्य अथवा जिला स्तर पर कोई नमूना प्राप्त नहीं किया गया था।

इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद खाद्यान्न की गुणवत्ता किसी भी स्तर पर सुनिश्चित नहीं की गयी जबकि समस्त नमूना जांच किये गये जिलों में खाद्यान्न विशेषकर चावल की गुणवत्ता में कमी की बहुत सी शिकायतें थी। संयुक्त निरीक्षण दल (सम्प्रेक्षा दल तथा विभाग का एक प्रतिनिधि) द्वारा खाद्यान्न का भौतिक परीक्षण दर्शाता था कि 320 निरीक्षित विद्यालयों में से 244 (76 प्रतिशत) में एवं लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, बलिया तथा कन्नौज के सभी एनजीओ के यहाँ खाद्यान्न में 25 प्रतिशत की अनुमन्य सीमा से अधिक टुकड़े, विजातीय तत्व, क्षतिग्रस्त/बदरंग दाने, इत्यादि पाये गये।

शासन ने उत्तर (जनवरी 2008) दिया कि नमूना एकत्र किये जाने तथा त्री–स्तरीय नमूना मिलान हेतु जिले, ब्लाक व उचित दर दुकान पर उसे प्रदर्शन के लिए रखे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी।

4.2 राज्य स्तर पर खाद्यान्न का प्रबन्धन

एम डी एम प्राधिकरण, खाद्य व रसद विभाग तथा एफसीआई के अभिलेखों के अनुसार 2002–07 की अवधि में खाद्यान्न की आवश्यकता, आवंटन, उठान तथा उपभोग निम्नवत था:

वर्ष	कुल नामांकित संख्या (लाख में)	खाद्यान्न आवश्यकता[6]	भारत सरकार द्वारा आवंटन	एफसीआई से निर्गत मात्रा	सीएफसीएस/एफईसीसी से उठान मात्रा	उचित दर दुकानों को निर्गत मात्रा	प्रगति प्रतिवेदन[7] में दर्शाया गया उपयोग	लाभार्थी दिवस[8] (करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002-03	148.56	44.57	44.57	40.53	37.94	35.25	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2003-04	163.75	49.12	49.12	41.94	40.48	38.31	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
अप्रैल 2004 - अगस्त 2004	169.97	15.30	50.99	45.23	42.36	39.86	17.11	उपलब्ध नहीं
सितम्बर 2004 - मार्च 2005		23.80					28.12	171.29
2005-06	186.44	41.02	33.60	29.41	35.62	33.55	28.03	267.88
2006-07	187.20	43.99	28.15	26.90	33.54	32.01	26.90	314.49
कुल		**217.80**	**206.43**	**184.01**	**189.94**	**178.98**		

नोट : वर्ष 2005 से खाद्यान्न का आवंटन घटा दिया गया क्योंकि सितम्बर, 2004 से पका–पकाया भोजन योजना प्रारम्भ हुयी जिसमें सूखे खाद्यान्न योजना की तुलना में कम मात्रा में खाद्यान्न की आवश्यकता थी।
2002–04 की अवधि के लिए सूखे खाद्यान्न से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन निदेशक, बेसिक शिक्षा/मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं थे।
2005–07 की अवधि के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता वार्षिक कार्य योजनाओं पर आधारित थी।

प्रगति प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपभोग के आधार पर, खाद्यान्न का प्रति छात्र प्रति दिन उपभोग 2004–05 की अवधि में 164 ग्राम, 2005–06 की अवधि में 105 ग्राम तथा 2006–07 की अवधि में 86 ग्राम पाया गया था। इस प्रकार, 100 ग्राम खाद्यान्न की निर्धारित मात्रा के सापेक्ष 2004–06 की अवधि में खाद्यान्न का औसत उपभोग अधिक था जबकि 2006–07 में औसत मात्रा केवल 86 ग्राम रही। 2004–07 की अवधि में प्रति छात्र उपभोग में हुई भिन्नता के कारणों का कोई विश्लेषण मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया।

खाद्यान्न कीमत रु. 121.98 करोड़ परिवहन संस्थाओं तथा उचित दर दुकानदारों के घर पड़ा था

2005–07 की अवधि का 10.63 लाख कुन्तल खाद्यान्न (लागत : 60.06 करोड़ रुपया, 565 रुपये की दर से) उचित दर दुकानों पर दिसम्बर 2007 तक पड़ा रहा जो कि कार्यदायी संस्थाओं को खाद्यान्न आपूर्ति के खराब प्रबंधन को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, 2002–07 की अवधि में एफईसीसी/सीएफसीएस द्वारा एफसीआई से 189.94 लाख कुन्तल खाद्यान्नों (184.01 लाख कुन्तल निर्गमन के सापेक्ष) का उठान किया गया एवं उचित दर दुकानों को मात्र 178.98 लाख कुन्तल खाद्यान्न निर्गत किया गया। परिवहन संस्थाओं के पास पड़े 61.92 करोड़ रुपये मूल्य के 10.96 लाख कुन्तल खाद्यान्न की स्थिति विश्लेषित/सुनिश्चित करने के लिये एमडीएम प्राधिकरण/विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। इतनी अधिक मात्रा में उचित दर दुकानदारों एवं परिवहन संस्थाओं के पास खाद्यान्न पड़े रहने के कारण के साथ ही परिवहन संस्थाओं द्वारा एफसीआई से 2002–07 की अवधि में 5.93 लाख कुन्तल के अधिक उठान का कारण भी शासन/एमडीएम प्राधिकरण द्वारा नहीं बताया गया था (दिसम्बर 2007)।

6 भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर खाद्यान्न की आवश्यकता का लेखा परीक्षा द्वारा गणना
वर्ष 2002–03 से अगस्त 2004 के मध्य आगणन का आधार
नामांकन X 3 कि. ग्रा. X 10 माह
सितम्बर 2004 से मार्च 2005 के मध्य आगणन का आधार
नामांकन X 140 विद्यालय दिवस X 100 ग्राम

7 भारत सरकार को भेजा गया मार्च माह का त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

8 एक वर्ष के वास्तविक विद्यालय दिवसों को छात्रों की संख्या से गुणा कर गणना की गई।

4.2.1 जिला स्तर पर खाद्यान्न का प्रबन्धन

सीएफसीएस तथा एफईसीसी द्वारा उचित दर दुकानदारों को निर्गत किये जाने के लिए खाद्यान्न का उठान बीएसए द्वारा प्रस्तुत मासिक मांग के आधार पर किया जाना था। जिला स्तर पर खाद्यान्न के प्रबन्धन से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में निम्नलिखित बिन्दु पाये गये:

उचित दर दुकानदारों को 62.15 लाख रुपये मूल्य के अधिक खाद्यान्न निर्गत किये गये

- आगरा परिक्षेत्र के सात[9] जिलों में परिवहन संस्थाओं ने 2004–07 की अवधि में एफसीआई से 8.69 लाख कुन्तल खाद्यान्न उठाया तथा उचित दर दुकानदारों को 8.80 लाख कुन्तल खाद्यान्न निर्गत किया। परिवहन संस्थाओं द्वारा 62.15 लाख रुपये मूल्य के 11,000 कुन्तल खाद्यान्न अधिक निर्गत किये जाने के कारणों को नहीं बताया गया (जनवरी 2008)।

30.82 लाख रुपये मूल्य के खाद्यान्न को गोदामों में हानि के रूप में दर्शाया गया

- पांच[10] जिलों के एफईसीसी तथा कुशीनगर के सीएफसीएस के अभिलेखों में 2003–07 की अवधि के 30.82 लाख रुपये मूल्य के 5,454.20 कुन्तल खाद्यान्न की उनके गोदामों में हानि दर्शायी गयी थी। जबकि, दिशानिर्देशों के अनुसार परिवहन एवं भंडारण के फलस्वरूप किसी भी प्रकार की हानि अनुमन्य नहीं थी।

जिला स्तर पर परिवहन संस्थाओं द्वारा खाद्यान्न के उठान एवं निर्गमन में विसंगतियां एवं परिवहन/भंडारण के दौरान हानियां जैसा कि पूर्व के प्रस्तरों में लाया गया था, परिवहन संस्थाओं के उठान/निर्गमन पर प्रभावी अनुश्रवण की कमी प्रदर्शित करती थी जिससे खाद्यान्न के दुर्विनियोग की आशंका बढ़ जाती थी।

शासन ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2007) कि खाद्यान्न का उठान उस तिथि की वास्तविक छात्र संख्या के आधार पर किया जाता था। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि खाद्यान्न के उठान एवं उचित दर दुकानदारों को निर्गमन के मध्य अत्यधिक अन्तर था।

4.2.2 जिला स्तर पर खाद्यान्न के उपभोग तथा परिवर्तन लागत का विसंगत होना

खाद्यान्न तथा परिवर्तन लागत के बीच विसंगति की जांच नहीं की गई

पके एमडीएम के लिए आवश्यक खाद्यान्न की गणना 100 ग्राम तथा परिवर्तन लागत 14 अगस्त 2006 तक एक रुपया एवं उसके उपरांत दो रुपये प्रति उपस्थित लाभार्थी की दर से की गयी थी। उपभोग किये गये खाद्यान्न का परिवर्तन लागत से सीधा संबंध होना था। नमूना जांच किये गये 16 जनपदों में से तीन से पॉच में 2004–07 की अवधि के मध्य खाद्यान्न का उपभोग परिवर्तन लागत के सुसंगत था। शेष 11 से 13 जनपदों में से पांच से सात जनपदों ने खाद्यान्न का एक से 37 प्रतिशत तक अधिक उपभोग दर्शाया था एवं छः जनपदों ने परिवर्तन लागत का तीन से 70 प्रतिशत तक अधिक भुगतान दर्शाया था (*परिशिष्ट–IV*)

खाद्यान्न की मात्रा एवं परिवर्तन लागत में विसंगति को देखते हुए खाद्यान्न के दुर्विनियोग/चोरी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

4.2.3 खाद्यान्न का उपभोग

निर्धारित मीनू के अनुसार सप्ताह में दो दिन गेहूँ एवं चार दिन चावल आधारित एमडीएम का वितरण किया जाना था। कार्यदायी संस्थाओं को तद्नुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था। प्रा वि रसड़ा, बलिया में 2004–07 की अवधि में चावल आधारित एमडीएम वितरित नहीं किया गया था एवं प्रा वि करनई, बलिया में उक्त अवधि में केवल खिचड़ी का वितरण किया गया था। प्रा वि एहार प्रथम डलमऊ, रायबरेली में ग्राम प्रधान द्वारा सितम्बर 2004 से नवंबर, 2006 की अवधि में केवल

9 आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा तथा मैनपुरी।

10 बरेली, बदायूं, जेपी नगर, शाहजहांपुर एवं श्रावस्ती

खिचड़ी का वितरण कराया गया था एवं प्रा वि सिधौली, शाहजहांपुर में ग्राम प्रधान द्वारा अप्रैल 2005 से मार्च 2007 की अवधि में केवल खिचड़ी एवं चावल दाल का वितरण किया गया था।

उक्त उद्धरण इंगित करते थे कि चार दिनों के लिए पर्याप्त चावल का प्रयोग चावल आधारित एमडीएम के वितरण हेतु छः दिनों तक किया गया एवं केवल दो दिनों के लिए पर्याप्त गेहूं का प्रयोग गेहूँ आधारित एमडीएम के वितरण हेतु छः दिनों तक किया गया। जिसके फलस्वरूप बचे हुए गेहूँ/चावल के निस्तारण का उल्लेख अभिलेखों में नहीं था। बीएसए ने न तो उक्त अवधि में प्राप्त और उपयोग किये गये गेहूं/चावल का विवरण मांगा और न ही कार्यदायी संस्थाओं ने प्रस्तुत किया।

शासन ने उत्तर दिया (जनवरी 2008) कि जिला स्तरीय अधिकारियों को पके एमडीएम की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच के लिए सप्ताह में दो विद्यालयों के निरीक्षण करने के निर्देश दे दिये गये थे एवं रसोइयों को ग्राम प्रधान से खाद्यान्न लेते समय उसका वजन करा लेने के निर्देश दे दिये गये थे। शासन ने जनपद बलिया, रायबरेली तथा शाहजहांपुर में छात्रों को केवल खिचड़ी या चावल आधारित भोजन दिये जाने के प्रकरणों कीं जांच के आदेश कर दिये थे।

वस्तुस्थिति यह थी कि लेखा परीक्षा में अनियमिततायें उल्लिखित किये जाने पर ही शासन द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं ऐसी सभी अनियमितताओं को रोकने में आंतरिक नियंत्रण प्रभावी नहीं था।

4.2.4 उचित दर दुकानों तथा कार्यदायी संस्था स्तर पर खाद्यान्न प्रबन्धन

एफईसीसी/सीएफसीएस के ब्लाक स्तरीय गोदामों द्वारा खाद्यान्न आगे कार्यदायी संस्थाओं को आपूर्ति करने के लिये उचित दर दुकानों को निर्गत किया जाना था।

नमूना जांच किये गये जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एफईसीसी/सीएफसीएस के ब्लाक स्तरीय गोदाम प्रभारियों को उचित दर दुकानदारों को निर्गत किये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा की सूचना दी थी। जबकि छः जनपदों[11] के 106 उचित दर दुकानदारों से प्राप्त सूचना में पाया गया कि संबंधित उचित दर दुकानों एवं कार्यदायी संस्थाओं को निर्गत की जाने वाली खाद्यान्न की मात्रा विभिन्न समयों पर सूचित नहीं की गयी थी। इसकी परिणति जनपद लखनऊ में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जुलाई 2005 से 7.15 कुन्तल गेहूँ एवं 23.40 कुन्तल चावल का उठान नहीं किये जाने के रूप में हुई। जिला पूर्ति अधिकारी लखनऊ के कथनानुसार उठान न किये गये खाद्यान्न एफपीएस के गोदामों में पड़े रहे एवं सड़ गये जिसके फलस्वरूप 30.55 कुन्तल खाद्यान्न की हानि हुई।

खाद्यान्न का भण्डारण विद्यालय प्रांगण में निर्मित भंडार सह रसोई कक्ष में किया जाना अपेक्षित था। जबकि ग्रामीण क्षेत्र के 224 चयनित विद्यालयों[12] से प्राप्त सूचना के अनुसार 36 प्रकरणों में खाद्यान्न को विद्यालय भवन में तथा 88 प्रकरणों में ग्राम प्रधानों के आवास अथवा कहीं अन्यत्र रखा गया था। शेष 100 विद्यालयों के खाद्यान्न भण्डारण के स्थान की सूचना विद्यालयों पर उपलब्ध नहीं थी।

दिशानिर्देशों में उल्लिखित था कि जिला नोडल अधिकारी यथा जिलाधिकारी प्रत्येक विद्यालय को उसके लिये खाद्यान्न के मासिक आबंटन को सूचित करेगा। जबकि ऐसा नहीं किया गया था। खाद्यान्न का स्टाक तथा लाभार्थियों की संख्या 320 विद्यालयों में से किसी में भी प्रदर्शित नहीं की गयी थी जो योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी की ओर इंगित करता था।

11 आगरा–23, बरेली–19, बदायूं–24, एटा–01, जे. पी. नगर–33 तथा कुशीनगर–06।

12 320 चयनित विद्यालयों में से 224 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के थे एवं 96 विद्यालय नगरीय क्षेत्र में थे।

राज्य सरकार के निर्देशों (जुलाई 2006) के अनुसार ग्राम प्रधानों द्वारा खाद्यान्न तथा परिवर्तन लागत के अभिलेखों का रखरखाव करना तथा शिक्षा विभाग को इसका मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित करना अपेक्षित था। ग्राम प्रधानों द्वारा न तो खाद्यान्न की प्राप्ति तथा उपयोग से संबंधित कोई आख्या दी और न ही संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने इनकी मांग की थी। इस प्रकार ग्राम प्रधान स्तर पर खाद्यान्न की यदि कोई अधिकता/दुरुपयोग था, तो इसका आंकलन नहीं किया जा सकता था।

4.3 विद्यालयों का संयुक्त निरीक्षण

निरीक्षण दल द्वारा विद्यालयों के संयुक्त निरीक्षण में पाया गया :

- प्रा वि किलाबालक, रायबरेली में परिवर्तन लागत के लिये धन तो उपलब्ध था परन्तु खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की गयी थी जबकि प्रा वि गोराबाजार, रायबरेली में परिवर्तन लागत के अभाव में उपयोग न हो पाने के कारण 5 कुन्तल चावल सड़ गया (अगस्त 2007)
- श्री गांधी आदर्श कन्या विद्यालय, जमुना ब्रिज आगरा में 2004–05 की अवधि का 4.21 कुन्तल चावल उपयोग नहीं किया गया था तथा सड़ने जैसी दशा में था।



प्रा वि गोराबाजार, रायबरेली में सड़े चावल के बोरे

- नगर क्षेत्र कुशीनगर के प्रा वि राजभवन मार्ग एवं प्रा वि कनोजिया वार्ड ने 7,550 लाभार्थी दिवस के लिये एमडीएम के समतुल्य 2.81 कुन्तल तथा 4.74 कुन्तल चावल को क्रमशः छः रुपये एवं पाँच रुपये प्रति किग्रा की दर से खुले बाजार में बेच दिया तथा उसकी प्राप्ति का उपयोग भोजन पकाने में कर लिया क्योंकि परिवर्तन लागत नहीं उपलब्ध करायी गयी थी।

उपरोक्त तथ्य कार्यदायी संस्थाओं को खाद्यान्न निर्गत करने एवं परिवर्तन लागत का भुगतान करने में जिलाधिकारी स्तर पर उचित समन्वय का अभाव दर्शाते थे।

शासन ने उत्तर दिया (जनवरी 2008) कि उक्त स्थिति में सुधार के लिए निर्देश जून 2007 में जारी कर दिये गये थे एवं निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण ने इन निर्देशों को नवंबर 2007 में पुनः जारी कर दिया था।

4.4 खाद्यान्न निर्गत करने में विलम्ब

समय से मांग न किये जाने के कारण बच्चे एम डी एम से वंचित रह गये थे

- खाद्यान्न का आबंटन उसी माह के लिए वैद्य था जिस माह के लिए उसे उप क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक द्वारा आबंटित किया गया था और उसे अगले माह के लिए अग्रसारित नहीं किया जा सकता था। बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी ने मार्च 2004 के लिए खाद्यान्न उपभोग का कोई विवरण नहीं दिया और न ही जुलाई 2004 के लिए मांग समय से भेजी। फलस्वरूप उप क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक बाराबंकी ने अप्रैल 2004 तथा जुलाई 2004 के लिए क्रमशः 8,783.76 कुन्तल एवं 9,305.79 कुन्तल खाद्यान्न निर्गत नहीं किया। इस प्रकार बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी द्वारा मांग न किये जाने एवं जिलाधिकारी बाराबंकी एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा अनुश्रवण के अभाव में छात्र अप्रैल 2004 तथा जुलाई 2004 में एम डी एम (सूखे खाद्यान्न के रूप में) से वंचित रह गये थे।

- शासन ने उत्तर दिया (जनवरी 2008) कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा, जो कि संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नियंत्रक प्राधिकारी हैं, को दोषी बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया था।

4.5 खाद्यान्न की चोरी

यू पी से बाहर ले जाते समय 440 एम टी खाद्यान्न से लदे आठ ट्रक दिल्ली में बरामद हुए

जनपद बुलन्दशहर हेतु दिल्ली स्थित स्वयंसेवी संगठन, एकता शक्ति संगठन को निर्गत एमडीएम के 440 मीट्रिक टन (एम टी) खाद्यान्न से लदे आठ ट्रक दिल्ली में बरामद हुए (जनवरी 2006) जबकि खाद्यान्न का उठान बुलन्दशहर में ही आपूर्ति हेतु एफसीआई के बुलन्दशहर स्थित गोदाम से किया जाना था।

निदेशक ने बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलन्दशहर को खाद्यान्न वापस बुलन्दशहर लाने एवं विधिक व्यय वहन करने के लिए एमएमई निधि से 70 हजार रुपये निर्गत किया (जून 2006) था। जबकि केवल 105.70 एमटी खाद्यान्न प्राप्त एवं उपयोग किया गया। शेष 334.30 एमटी खाद्यान्न के पता ठिकाने के बारे में कोई सूचना नहीं दी गयी थी। निदेशक ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2007) कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलन्दशहर को निलंबित कर दिया गया था एवं तत्कालीन जिलाधिकारी को चार्ज शीट दी गयी थी। खाद्यान्न के उपभोग के संबंध में बताया गया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलन्दशहर से सूचना मांगी गयी थी। प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भी प्रकरण पर एक विस्तृत प्रतिवेदन चाहा (मई 2007) था परन्तु जनवरी 2008 तक कोई आख्या नहीं भेजी गयी थी।

शासन ने उत्तर दिया (जनवरी 2008) कि दोषी जिलाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी थी।

इस प्रकार जिलाधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर पर उचित अनुश्रवण के अभाव में 4.40 लाख बच्चे दस दिनों तक मध्यान्ह भोजन से वंचित रहे।

4.6 निष्कर्ष

एमडीएम के खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गयी थी। परिवहन के लचर प्रबन्धन के कारण 2002–07 की अवधि में खाद्यान्न परिवहन संस्थाओं एवं उचित दर दुकानदारों के पास पड़ा रहा। परिवहन संस्थाओं के गोदामों पर दर्शायी गयी खाद्यान्न की हानि की जांच नहीं की गयी थी। उपयोग किये गये खाद्यान्न की मात्रा एवं भुगतान किये गये परिवर्तन लागत में विसंगति थी।

4.7 संस्तुतियां

- अच्छी औसत गुणवत्ता वाले खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- परिवहन संस्थाओं द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न की उठान पूर्व उठान के अप्रयुक्त अवशेषों को समायोजित कर अनुमत किया जाना चाहिये एवं इन संस्थाओं द्वारा प्रतिवेदित हानियों की जांच की जानी चाहिये।
- उचित दर दुकानदारों को खाद्यान्न निर्गत करने के तन्त्र को सुव्यवस्थित होना चाहिये तथा उनके पास पड़े खाद्यान्न अथवा उसकी लागत को वापस लेने की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- खाद्यान्न की मात्रा एवं परिवर्तन लागत में विसंगति में सुधार के लिए जाँच की जानी चाहिये।

अध्याय–5

खाद्यान्न का परिवहन

दिशानिर्देशों में उल्लिखित था कि भारतीय खाद्य निगम के नज़दीकी गोदामों से प्राथमिक विद्यालयों तक खाद्यान्न के परिवहन की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के द्वारा की जानी थी। भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों में पुनः अनुबद्ध शर्तें थीं कि सितम्बर 2004 तक वास्तविक लागत अधिकतम 50 रुपये प्रति कुन्तल तथा इसके पश्चात् 75 रुपये प्रति कुन्तल सीमित की गयी थी। एफइसीसी/सीएफसीएस राज्य नोडल परिवहन संस्थाएं थीं जिन्हें भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न के परिवहन के लिए निजी परिवहनकर्ताओं को आबद्ध करना था। परिवहन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए इन संस्थाओं को वास्तविक व्यय का ब्योरा निर्धारित प्रारूप में इस प्रमाण के साथ देना था कि खाद्यान्न की मात्रा नज़दीकी भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठाई गयी थी और विद्यालयों/केन्द्रीय रसोई घरों तक परिवहन की गयी थी। भारत सरकार को प्रतिपूर्ति के लिए अग्रसारित करने के पूर्व वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद् (एफ सी, बी एस पी) द्वारा उनके दावों को जांच करनी थी।

5.1 परिवहन लागत की अधिक प्रतिपूर्ति

एफ ई सी सी तथा सी एफ सी एस ने खाद्यान्न का परिवहन एफ सी आई के जनपद स्थित गोदामों से अपने ब्लाक स्तरीय गोदामों तक किया एवं इसके उपरांत उचित दर दुकानदारों को खाद्यान्न अवमुक्त किया। यद्यपि खाद्यान्न का परिवहन ब्लाक स्तरीय गोदामों से उचित दर दुकानदारों तक एवं उचित दर दुकानदारों से विद्यालयों तक सम्बन्धित उचित दर दुकानदारों एवं ग्राम प्रधानों/पार्षदों/स्वयंसेवी समूहों द्वारा किया गया तथापि परिवहन संस्थाओं ने विद्यालयों तक खाद्यान्न परिवहन के लिए सितम्बर 2004 तक 50 रुपये प्रति कुन्तल एवं उसके उपरांत 75 रुपये प्रति कुन्तल की दर से प्रतिपूर्ति दावा किया। इन दावों को वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमन्य किया गया एवं भारत सरकार को प्रतिपूर्ति के लिए भेजा गया तद्नरूप जिसकी प्रतिपूर्ति की गयी।

परिवहन संस्थाओं द्वारा 2002–07 की अवधि में परिवहन किये गये खाद्यान्न एवं उनको प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है :–

तालिका–5

(मात्रा लाख कुन्तल में एवं धनराशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	एफईसीसी/सीएफसीएस द्वारा परिवहन किये गये खाद्यान्न की मात्रा	खाद्यान्न की मात्रा जिसके लिए एफईसीसी/सीएफसीएस को भुगतान किया गया	एफईसीसी/सीएफसीएस को प्रतिपूरित धनराशि	परिवहनकर्ताओं को भुगतान की गयी धनराशि	अधिक प्रतिपूरित धनराशि
1	2	3	4	5	6 (4-5)
2002-03	37.94	40.63	20.32	4.19	16.13
2003-04	40.48	41.63	20.82	4.62	16.20
2004-05	42.36	44.86	29.40	5.86	23.54
2005-06	35.62	28.16	21.12	4.89	16.23
2006-07	33.54	26.51	19.52[13]	4.24	15.28
योग	**189.94**	**181.79**	**111.18**	**23.80**	**87.38**

परिवहन संस्थाओं को 81.88 करोड़ रुपये की धनराशि का अधिक भुगतान किया गया

जैसा कि तालिका 5 से देखा जा सकता है कि परिवहन संस्थाओं ने परिवहनकर्ताओं को 2002–07 (दिसम्बर 2007 तक) की अवधि में किये गये 23.80 करोड़ रुपये के वास्तविक भुगतान के विरुद्ध भारत सरकार से 111.18 करोड़ रुपये का दावा किया। एफ सी, बी एस पी द्वारा निर्धारित जांच की प्रक्रिया न अपनाने के कारण परिवहन

[13] जनवरी से मार्च 2007 की अवधि के 7.72 लाख कुन्तल के खाद्यान्न के मूल्य 5.50 करोड़ रुपये के दावे, जिनकी प्रतिपूर्ति जनवरी 2008 तक नहीं की गयी थी, सम्मिलित है

संस्थाओं को 81.88 करोड़ रुपये (एफ सी, बी एस पी के पास 5.50 करोड़ रुपये के लंबित बिलों को छोड़कर) की धनराशि की अधिक प्रतिपूर्ति कर दी गयी। इस धनराशि में ब्लाक से उचित दर दुकानों तक परिवहन का व्यय 10.84 करोड़[14] रुपये सम्मिलित था, जिसे परिवहन संस्थाओं ने नहीं किया था।

शासन ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2007) कि लेखा परीक्षा की आपत्ति के आधार पर जांच के आदेश दिये गये थे कि किस प्रकार अधिक भुगतान किया गया तथा एफ सी, बी एस पी को भी अनुदेशित कर दिया गया था कि बिलों को भारत सरकार को प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत करने के पूर्व उनकी जांच कर लें।

5.2 परिवहन व्यय/मार्जिन मनी का संदेहास्पद भुगतान

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, आगरा ने लेखा परीक्षा को सूचित किया (दिसम्बर 2007) कि 20.38 लाख रुपये की मार्जिन मनी/परिवहन व्ययों का भुगतान आगरा तथा एटा जिलों सहित उनके क्षेत्र के उचित दर दुकानदारों को कर दिया गया था। इन दो जिलों के उचित दर दुकानदारों को 2002–07 की अवधि में 12.31 लाख रुपये (आगराः 6.27 लाख रुपये तथा एटाः 6.04 लाख रुपये) का भुगतान किया गया था। आगरा तथा एटा जिले के जिला आपूर्ति अधिकारियों से लेखा परीक्षा द्वारा प्रोफार्मा में एकत्रित सूचनाएं दर्शाती हैं कि 146 उचित दर दुकानदारों में से 79 (54 प्रतिशत) ने 2002–07 की अवधि में भुगतान प्राप्त होने से इंकार किया तथा 61 (42 प्रतिशत) द्वारा कालम रिक्त छोड़ दिया था। आगरा तथा एटा जिलों में प्रत्येक के तीन उचित दर दुकानदारों द्वारा क्रमशः 2004–05 तथा 2005–06 के मध्य भुगतान की प्राप्ति को स्वीकार किया गया। 96 प्रतिशत उचित दर दुकानदारों द्वारा अस्वीकारोक्ति/उत्तर देने से इन्कार, विभाग द्वारा मार्जिन मनी का भुगतान न किया जाना दर्शाता है, जिसकी जांच किया जाना आवश्यक है।

5.3 खाली बोरियों को अनधिकृत रूप से रख लेना

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सिविल) की उत्तर प्रदेश सरकार के 31 मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में 'प्राथमिक विद्यालयों को पोषकीय सहायता' पर समीक्षा के प्रस्तर 3.1.12 में उचित दर दुकानदारों को खाद्यान्न के खाली बोरों को रख लेने के रूप में अवांछित लाभ के सम्बन्ध में वर्णन किया गया था। भारत सरकार द्वारा जारी (दिसम्बर 2004) योजना के दिशानिर्देशों में उल्लिखित था कि खाली बोरियों का निस्तारण ग्राम शिक्षा समिति/अध्यापक–अभिभावक संघ/विद्यालय प्रबन्धन सह विकास समिति/विद्यालय प्रबन्धन द्वारा पारदर्शी तरीके से इस प्रकार करना था कि अधिकतम प्राप्य मूल्य प्राप्त किया जा सके तथा उस विक्रय प्राप्ति को मध्यान्ह भोजन योजना के और समृद्धिकरण हेतु प्रयोग किया जा सके।

उचित दर दुकानदारों को खाली बोरियों के रुप में 43.86 रुपये का अनुचित लाभ दिया गया

भारतीय खाद्य निगम से 2002–07 की अवधि में 178.98 लाख कुन्तल खाद्यान्न के निर्गमन पर लगभग 43.86 करोड़[15] रुपये मूल्य की 3.58 करोड़ खाली बोरियां (50 किग्रा भार क्षमता की) उपलब्ध हुई थी। इन खाली बोरियों का उचित दर दुकानदारों द्वारा रख लिया गया जो उचित दर दुकानदारों को अनुचित लाभ के रूप में था।

5.4 उचित दर दुकानदारों को ढुलाई भाड़े का भुगतान न करने का प्रभाव

कानपुर नगर के एक स्वयंसेवी संगठन के संयुक्त निरीक्षण में खाद्यान्न की 40 बोरियों के ढेर में से यदृक्ष्य चयनित की गयी 10 बोरियों का भार तौलने पर निर्धारित 50 किग्रा प्रति बोरी के विरुद्ध 42.980 किग्रा एवं 49.320 किग्रा के बीच पाया गया। कम भार की

14 इसकी गणना जून 1997 में राज्य सरकार द्वारा आदेशित 6 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 184.01 लाख कुन्तल खाद्यान्न की लागत में से क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक आगरा द्वारा पहले ही भुगतान की गई धनराशि 20.38 लाख रुपये को कम कर के की गयी।

15 50 किलो की दो बोरियों का मूल्य 24.50 रुपये X 179

बोरियों की आपूर्ति लाभार्थियों को कम मात्रा में भोजन देने का कारण हो सकता था, जैसा कि संयुक्त निरीक्षण में पाया गया था।

परिवहन व्यय का भुगतान न किये जाने का प्रभाव खाद्यान्न की मात्रा एवं गुणवत्ता से समझौता किये जाने के रूप में हो सकता था।

विद्यालयों तक खाद्यान्न पहुंचाना सुनिश्चित करने में खाद्य एवं रसद विभाग की विफलता एवं उचित दर दुकानदारों को ब्लाक गोदामों से अपनी दुकानों तक परिवहन किये खाद्यान्न के ढुलाई भाड़ों के भुगतान के निर्णय में देरी (फरवरी 2007) ने मध्यान्ह भोजन योजना पर विपरीत प्रभाव डाला था।

5.5 परिवहन लागत से संबंधित निधि का अवरोधन

शासन ने आठ करोड़ रुपये का एक रिवाल्विंग फण्ड बनाया (अक्टूबर 2001) था तथा खाद्यान्न उठाने हेतु परिवहन संस्थाओं को भुगतान को स्वीकार्य करने के लिये इसे बेसिक शिक्षा परिषद् (बी एस पी) के पी एल ए में रखा गया था। इस निधि की भरपाई भारत सरकार से सहायता प्राप्त होने पर की जानी थीं

9.47 करोड़ रुपये पी एल ए में अनुपयोगी पड़ा रहा।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार से 1999–04 की अवधि में खाद्यान्न के परिवहन के लिए प्राप्त निधि में से 1.47 करोड़[16] रुपये दिसम्बर 2007 तक बीएसपी के पीएलए में पड़ा था। यह निधि नवम्बर 2002 से अप्रयुक्त पड़ी थी।

इस प्रकार 9.47 करोड़ रुपये एफसी, बीएसपी, इलाहाबाद द्वारा उनके पीएलए में अनुपयोगी रखा गया था।

5.6 निष्कर्ष

खाद्यान्न के परिवहन व्यय से संबंधित प्रतिपूर्ति दावों के एफ सी, बी एस पी द्वारा जांच में अभाव के परिणामस्वरूप परिवहन संस्थाओं को अधिक परिवहन व्यय का भुगतान कर दिया गया। परिवहन के उस भाग के दावों का भी भुगतान कर दिया गया जो परिवहन संस्थाओं द्वारा किया ही नहीं गया था। उचित दर दुकानदारों ने खाली बोरों को अपने पास ही रख लिया जिसके फलस्वरूप उन्हें अनुचित लाभ मिला। राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2001 में बनाये गये रिवाल्विंग फंड को क्रियाशील न करने से निधियाँ अवरुद्ध रहीं।

5.7 संस्तुतियां

- भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से ब्लाकों एवं ब्लाक गोदामों से विद्यालयों/केन्द्रीयकृत रसोईघरों तक परिवहन भाड़ा भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन रहते हुए अलग–अलग निश्चित की जानी चाहिये।
- उचित दर दुकानदारों से खाली बोरे अथवा उनकी लागत योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप वसूल की जानी चाहिये।
- रिवाल्विंग फण्ड का उपयोग प्रावधान के अनुरूप किया जाना चाहिये।

[16] 1999–2000 : 42.50 लाख रुपये, 2000–01 : 0.89 लाख रुपये, 2001–02 : 80.53 लाख रुपये, 2002–03 : 9.69 लाख रुपये और 2003–04 : 13.16 लाख रुपये

अध्याय–6

बच्चों के पोषकीय स्तर में सुधार

एमडीएम दिशानिर्देश में उल्लिखित था कि सम्पूरक माइक्रोन्यूट्रियेंट एवं कृमिनाशक के सम्बंध में योजना को समुचित हस्तक्षेप करना था। बच्चों की पोषकीय स्तर में सुधार इस योजना का द्वितीयक उद्देश्य था। बच्चों के पोषकीय स्तर में सुधार के मापन हेतु एक तन्त्र स्थापित करने की आवश्यकता थी।

6.1 अपर्याप्त पौष्टिक मात्रा

योजना का लक्ष्य पर्याप्त मात्रा में ताजी सब्जी और सोयाबीन बरी डालकर निर्धारित मानक के अनुरूप कैलोरी और प्रोटीन युक्त पके पकाये भोजन का प्रबंध करना था। मीनू–वार कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा ***परिशिष्ट–V*** में दर्शायी गयी है।

बच्चों को केवल 17 से 73 ग्राम खाद्यान्न ही दिया गया

कानपुर नगर और आगरा के दो स्वयंसेवी संस्थाओं तथा बरेली, एटा, कन्नौज और लखनऊ जिले के 12 विद्यालयों के संयुक्त निरीक्षण दर्शाते थे कि 48,410 बच्चों को दिये गये भोजन में कच्चे खाद्यान्न की मात्रा निर्धारित 100 ग्राम के स्थान 17 से 73 ग्राम थी जिससे अपेक्षित कैलोरी 450 के सापेक्ष 58 से 248 एवं अपेक्षित प्रोटीन 12 ग्राम के सापेक्ष एक से छः ग्राम ही मिल सकती थी। (***परिशिष्ट–VI***)

नमूना जांच किये गये 16 जनपदों के 320 विद्यालयों के संयुक्त निरीक्षण में पायी गयी कमियां निम्नवत थीं :

क्र. सं.	पायी गयी कमियां	विद्यालयों की संख्या	प्रतिशत (320 में से)
1	भोजन निर्धारित मीनू के अनुसार नहीं उपलब्ध कराया जाता था	86	27
2	निर्धारित मात्रा में भोजन नहीं मिलता था	87	27
3	निर्धारित मीनू दीवाल पर नहीं लिखे थे	31	10
4	भोजन पकने से पूर्व खाद्यान्न एवं अन्य अवयवों का निरीक्षण अध्यापकों द्वारा नहीं किया जाता था	126	39
5	बच्चों को दिये जाने वाले चावल और दाल के निर्धारित अनुपात का अध्यापकों को ज्ञान नहीं था।	170	53
6	एमडीएम मीनू हेतु रसोइये को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था	233	73
7	परोसने के पूर्व पके पकाये भोजन को नहीं चखा गया था	116	36
8	गर्म पका पकाया भोजन नहीं परोसा गया था	18	6

प्रकाश में आये कुछ रोचक प्रकरण निम्नवत हैं :

- ई जी एस बुधकुलावा (श्रावस्ती जिला) में 2004–07 की अवधि में 794 दिन पका पकाया भोजन नहीं दिया गया और उसकी जगह कच्चा खाद्यान्न दिया गया। प्राथमिक विद्यालय खैरकाला (श्रावस्ती जिला) में 2005–06 की अवधि में ग्राम प्रधान द्वारा खाद्यान्न और ईंधन की आपूर्ति नहीं करने के कारण मध्यान्ह भोजन नहीं दिया गया था।
- कानपुर नगर की स्वयंसेवी संस्था जो 392 प्राथमिक विद्यालयों के 33,000 बच्चों को एम डी एम आपूर्ति करती थी, ने तहरी[17] में प्रोटीन का मुख्य स्रोत सोयाबीन नहीं डाला था।

मीनू के अनुसार भिन्न–भिन्न भोजन एवं निर्धारित मात्रा में न्यूट्रिएन्ट्स युक्त आवश्यक मात्रा में एमडीएम की आपूर्ति नहीं होने के फलस्वरूप बच्चों को अपर्याप्त पौष्टिक सहायता दी गयी।

[17] चावल, सब्जियों एवं अन्य अवयवों को एक साथ पका कर बनाया गया भोजन

शासन ने उत्तर दिया (जनवरी 2008) कि सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रभावी अनुश्रवण के द्वारा बच्चों को मानक के अनुरूप एमडीएम दिया जाना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत कर दिये गये थे एवं आगरा और कानपुर नगर के जिलाधिकारियों को उनके जिलों में हुयी अनियमितताओं की जांच करने को कह दिया गया था।

6.2 सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रीष्मावकाश की अवधि में एमडीएम की आपूर्ति नहीं किया जाना

वर्ष 2004–05 में 155.37 लाख एवं 2006–07 में 7.73 लाख को ग्रीष्मावकाश में एम डी एम नहीं दिया गया

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश[18] (अप्रैल 2004) के अनुपालन में भारत सरकार ने सूखाग्रस्त जिलों में बच्चों को ग्रीष्मावकाश की अवधि में भी एम डी एम उपलब्ध कराये जाने के निर्देश (सितम्बर 2004) जारी किये जिसे वर्ष 2005 के ग्रीष्मावकाश से प्रभावी होना था। वर्ष 2004–05 में 65 जिलों, जिसमें 155.37 लाख नामांकित बच्चे सम्मिलित थे और वर्ष 2006–07 में 5 जिलों, जिसमें 7.73 लाख नामांकित बच्चे सम्मिलित थे को सूखाग्रस्त घोषित किया गया (फरवरी 2007) था। शासन ने 2005 और 2007 के ग्रीष्मावकाश में सूखाग्रस्त जनपदों में एम डी एम उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

शासन ने बताया (जनवरी 2008) कि सूखाग्रस्त जिलों में ग्रीष्मावकाश की अवधि में एम डी एम उपलब्ध नहीं कराया गया क्योंकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों से सम्बन्धित निर्देश नवम्बर 2004 में प्राप्त हुए थे, तब तक 2004–05 का ग्रीष्मावकाश बीत चुका था। इसके अतिरिक्त ग्रीष्मावकाश में योजना का संचालन करने हेतु विद्यालयों में कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं था। वर्ष 2007 में एम डी एम वितरण नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया गया।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सूखाग्रस्त घोषित होने के बाद पड़ने वाले ग्रीष्मावकाश में एम डी एम दिया जाना था। वर्ष 2004–05 के सूखाग्रस्त होने पर वर्ष 2005 के ग्रीष्मावकाश में ग्राम प्रधानों/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा एम डी एम उपलब्ध कराया जाना था।

इस प्रकार वर्ष 2005 और 2007 के ग्रीष्मावकाश में सूखाग्रस्त जिलों के कुल 1.63 करोड़ बच्चे एम डी एम से वंचित रहे।

6.3 माइक्रोन्यूट्रियेंट सम्पूरण और कृमिनाशक

माइक्रोन्यूट्रियेन्ट्स और कृमिनाशक बच्चों को बिल्कुल नही दिये गये

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, (अ) प्रोटीन : ऊर्जा कुपोषण (ब) लौह कमी : रक्तहीनता (स) विटामिन 'ए' की कमी और (द) आयोडीन की कमी से उत्पन्न व्याधियाँ छोटे बच्चों को प्रभावित करने वाली प्रमुख पोषक कमियां थी। सम्पूरक माइक्रो न्यूट्रियेन्ट्स और कृमिनाशक जैसे (i) कृमिनाशक और विटामिन ए सम्पूरण की छह माही खुराक (ii) साप्ताहिक लौह और फोलिक एसिड सम्पूरण और (iii) स्थानीय क्षेत्र में पायी जाने वाली अन्य कमियों हेतु उपयुक्त सम्पूरण के सम्बन्ध में उचित हस्तक्षेप करने के लिए एमडीएम योजना का उपयोग करना था।

राज्य सरकार ने माइक्रोन्यूट्रिएन्ट और कृमिनाशक दवाएं उपलब्ध कराने हेतु न तो कोई दिशानिर्देश जारी किये और न ही एम डी एम योजना में कोई निधि आवंटित की। किसी भी नमूना जांच किये गये विद्यालय में माइक्रोन्यूट्रिएन्ट जैसे आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए और कृमिनाशक दवाओं का प्रावधान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (जनवरी 2008) कि महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन से विचार–विमर्श करके राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) के

[18] सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रीष्मावकाश की अवधि में भी एमडीएम दिया जाना था।

अन्तर्गत माइक्रोन्यूट्रिएन्ट और कृमिनाशक दवाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया जा रहा था। सत्यता यह थी कि बच्चों को माइक्रोन्यूट्रिएन्ट और कृमिनाशक दवाएं नहीं दी जा रही थी।

6.4 आयोडाईज़्ड नमक का प्रयोग

36 प्रतिशत विद्यालयों में आयोडाइज़्ड नमक का प्रयोग नहीं किया गया

योजना के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत एमडीएम पकाने हेतु आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग किया जाना उल्लिखित था क्योंकि बाल अवस्था में आयोडीन की कमी बच्चों की बौद्धिक क्षमता (आई क्यू) में ह्रास और खराब शारीरिक और मानसिक विकास उत्पन्न करती है। विद्यालयों का संयुक्त निरीक्षण दर्शाता था कि 320 विद्यालयों में से 60 (19 प्रतिशत) में आयोडीन नमक का प्रयोग नहीं होता था और 53 (17 प्रतिशत) विद्यालय प्राकृतिक खड़ा नमक प्रयोग करते थे।





कन्नौज तथा रायबरेली के प्रा वि में प्राकृतिक खड़ा नमक का प्रयोग

राज्य सरकार नें उत्तर दिया (जनवरी 2008) कि आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग हेतु निर्देश जारी कर दिये गये थे और समय–समय पर पुनः जारी किये जाते रहते थे। सत्यता यह थी कि अधिकतर विद्यालयों में राज्य सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था।

6.5 पके एम डी एम के गुणवत्ता की जांच

योजना के अंतर्गत बच्चों के पोषकीय स्तर में सुधार के लिए उन्हें ताजे, गरम और पौष्टिक भोजन की आपूर्ति करना उल्लिखित था। शासन ने सभी जिलाधिकारियों को जिले में उपलब्ध खाद्य निरीक्षकों द्वारा पके एम डी एम के नमूना जांच हेतु निर्देश जारी कर दिये थे (दिसम्बर 2004)। खाद्य निरीक्षकों द्वारा भोजन का नमूना लेकर एवं चख कर भोजन की गुणवत्ता पर निगरानी रखना तथा अपने सुझाव देना अपेक्षित था।

खराब गुणवत्ता के एम डी एम की अनेक शिकायतों के बावजूद भी पके पकाये भोजन की गुणवत्ता जाँच कभी सुनिश्चित नहीं की गई

आगरा, कानपुर नगर और लखनऊ के जिलाधिकारियों ने शहरी क्षेत्र में केन्द्रीय किचेन से 2,500 से 37,260 बच्चे प्रति एनजीओ एमडीएम की आपूर्ति के लिए एनजीओ को अनुबंधित किया था। एनजीओ द्वारा संचालित रसोईयों की स्वच्छता और एम डी एम की गुणवत्ता की खाद्य निरीक्षकों द्वारा कभी जांच नहीं की गयी।

एम डी एम के जांच हेतु नमूना लेने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी जबकि प्रत्येक जिले में मुख्य चिकित्साधिकारी (सी एम ओ) के अधीन खाद्य निरीक्षक कार्यरत थे। मुख्यमंत्री ने भी पाया (अक्टूबर 2007) कि भोजन की आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था दोषपूर्ण थी क्योंकि अधोमानक खाद्यान्नों को, खराब खाद्य तेल में पकाकर बच्चों को वितरित किया जाता था। सात[19] जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों ने उत्तर दिया (अगस्त से दिसम्बर 2007) कि उन्हें निर्देशों की जानकारी नहीं थी और उनके पास इस सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं थे। उत्तर दर्शाता था कि जिलाधिकारियों ने संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारियों को शासन के निर्देशों से अवगत नहीं कराया था।

[19] बदायूं, बरेली, झांसी, कुशीनगर, लखनऊ, महाराजगंज तथा रायबरेली के सीएमओ।

6.6 वजन मशीन की अनुपलब्धता

धन की उपलब्धता के बावजूद वजन मशीन क्रय नहीं की गयी

स्कूली बच्चों में प्रोटीन–ऊर्जा कुपोषण को उनके वजन में कमी से निर्धारित किया जा सकता था। अतः बच्चों का वजन तौलने और कम वजन के प्रकरणों पर ध्यान रखने हेतु उनके वजन को अभिलिखित करने के लिए एम डी एम से आच्छादित प्रत्येक विद्यालय को वजन मशीन उपलब्ध कराना था। एम एम ई मद में 3.61 करोड़ रुपये की धनराशि की उपलब्धता के बाद भी निदेशक ने 24,040 विद्यालयों (25 प्रतिशत) हेतु 500 रुपये प्रति विद्यालय की दर से कुल 1.20 करोड़ रुपये की धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खातों में हस्तान्तरित करनें तथा बच्चों के वजन के अभिलेख रखने के लिए उच्च गुणवत्ता के वजन मशीन क्रय किया जाना सुनिश्चित करने के आदेश के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्गत किया (मई 2006)। जबकि नमूना जांच किये गये 16 में से 11 जनपदों में उक्त धनराशियों का विद्यालयों को हस्तान्तरण नहीं किया गया था। शेष पाँच[20] जिलों में जहां उक्त धनराशियों का हस्तान्तरण किया गया था वहां भी दिसम्बर 2007 तक वजन मशीन का क्रय नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप योजना के अन्तर्गत विद्यालयों में दिये जा रहे अनुपूरक पोषण के प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिये बच्चों के वजन का अनुश्रवण नहीं किया जा सका। आवधिक स्वास्थ्य जाँच का कोई तन्त्र स्थापित नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (जनवरी 2008) कि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच कराने और विद्यालयों की दीवारों पर ऊंचाई वजन चार्ट पेन्ट कराने के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश निर्गत कर दिये गये थे तथा यह कि बचे हुए विद्यालयों में भी वजन मशीन क्रय करने हेतु धनराशि जल्दी ही उपलब्ध करा दी जायेगी। स्पष्टतः संबंधित कार्यपालकों द्वारा इस सम्बन्ध में शासन के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

6.7 निष्कर्ष

पर्याप्त पौष्टिक मात्रा के भोजन द्वारा न तो बच्चों के पोषकीय स्तर में सुधार सुनिश्चित किया गया था और न ही सम्पूरक माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स एवं कृमिनाशक दवाएं ही उपलब्ध करायीं गयीं थी। आवधिक स्वास्थ जांच हेतु कोई पद्धति लागू नहीं की गयी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी सूखाग्रस्त क्षेत्रों के बच्चों को ग्रीष्मावकाश की अवधि में एमडीएम नहीं उपलब्ध कराया गया था।

6.8 संस्तुतियां

- निर्धारित कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा सहित एमडीएम की निर्धारित मात्रा सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- बच्चों के स्वास्थ और पौषिणिक स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने के लिए आवधिक स्वास्थ्य जांच पद्धति लागू करना चाहिये।
- जन साधारण को जागरूक करने तथा बच्चों को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रीष्मावकाश में एमडीएम की आपूर्ति जैसे लाभों से वंचित न होने देने के लिये योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

[20] बदायूं, गोण्डा, कानपुर नगर, कन्नौज तथा श्रावस्ती।

अध्याय–7

ढांचागत

योजना के दिशानिर्देशों में उल्लिखित था कि विद्यालय में ही पकाने की सुविधा प्रदान कर बच्चों को गरम और ताजा भोजन वितरित करने हेतु प्रत्येक विद्यालय में रसोईघर का निर्माण किया जाना चाहिये। रसोईघर में पर्याप्त प्रकाश, हवा तथा नाली/कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था सहित भोजन पकाने हेतु एक प्लेटफार्म होना था तथा हमेशा साफ सुथरा रखना था। भोजन बनाने में प्रयुक्त समस्त अवयव मिलावट एवं कीड़े मकोड़ों रहित होने थे। सभी विद्यालयों को भोजन बनाने के उपकरण जैसे गैस चूल्हा, खाद्यान्न भंडारण के कंटेनर, भोजन बनाने एवं वितरण के बर्तन उपलब्ध कराने थे। अवयवों के रखरखाव एवं भोजन बनाने में लगे सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य परक आदतों का प्रशिक्षण देना था।

7.1 रसोईघर

मार्च 2007 को समाप्त हुए त्रैमास की प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार 96,457 विद्यालयों में से 59,968 (62 प्रतिशत) में रसोईघर का निर्माण जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा तथा सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) के अंतर्गत किया गया था।

शेष 36,489 अनाच्छादित विद्यालयों में से 22,920 में रसोईघरों के निर्माण हेतु भारत सरकार ने 137.52 करोड़ रुपये (नवम्बर 2006: 79.86 करोड़ रुपये और फरवरी 2007: 57.66 करोड़ रुपये) की धनराशि अवमुक्त की। जबकि राज्य सरकार ने मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को मार्च 2007 तक केवल 79.86 करोड़ रुपया ही अवमुक्त किया था। नमूना जांच किये गये जनपदों में रसोई घरों के निर्माण हेतु प्राप्त 22.15 करोड़ रुपया पी एल ए में रखा था तथा अप्रयुक्त पड़ा था (सितम्बर 2007)। शासन ने रसोई घर के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु किसी निधि का प्रावधान भी नहीं किया था।

23 रसोईघर जीर्ण शीर्ण स्थिति में तथा 146 उपयोग में नहीं थे।

नमूना जांच किये गये 16 जनपदों के 253 रसोईघरों में 23 जीर्ण–शीर्ण अवस्था में एवं अप्रयुक्त थे। सात जनपदों[21] में स्वयंसेवी संगठन द्वारा केन्द्रीय रसोईघर से भोजन की आपूर्ति किये जाने के कारण 146 रसोईघर प्रयोग में नहीं थे।



रायबरेली में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में किचेन शेड तथा बाहर पकता एमडीएम

रसोई घरों का निर्माण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः डूडा तथा ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया था। सक्षम अधिकारी द्वारा मानक एवं नक्शे अनुमोदित होने के बावजूद भी रसोई घर छोटे आकार के बनाये गये थे तथा उनमें समुचित रोशनदान, नाली तथा कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था नहीं की गयी थी।

ग्रामीण क्षेत्रों के नमूना चयनित विद्यालयों के संयुक्त निरीक्षण में पाये गये कुछ रुचि पूर्ण प्रकरण इस प्रकार थे:

[21] आगरा, बलिया, बरेली, एटा, कन्नौज, कानपुर नगर तथा लखनऊ

- चार जनपदो[22] के 23 विद्यालयों में रसोई घर होने के बावजूद भी एम डी एम ग्राम प्रधानों के प्रबन्धन में उनके घरों पर बन रहा था। फलस्वरूप एम डी एम में प्रयुक्त खाद्यान्न एवं अन्य अवयवों की मात्रा एवं गुणवत्ता की जांच विद्यालय के शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा नहीं की जा सकी जो कि योजना के दिशानिर्देशों में अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त भोजन बनाने के स्थान के स्वास्थ्यपरक अवस्था की भी जांच नहीं की जा सकी। झांसी जनपद के प्राथमिक विद्यालय खुशिपुरा में रसोइयां अपने घर से खिचड़ी बना कर लाया था।
- रसोई घर अनुपयोगी होने के कारण झांसी के तीन विद्यालय[23], प्राथमिक विद्यालय, विश्वेश्वरगंज, गाजीपुर, प्राथमिक विद्यालय मलिक मऊआइमा (रायबरेली) तथा बलिया के दो[24] विद्यालयों में एम डी एम पेड़ के नीचे खुले स्थान पर पकाया जा रहा था।




झांसी जिले में ग्राम प्रधान के घर स्थित रसोईघर व गाजीपुर के एक प्रा वि में पेड़ के नीचे पकता एम डी एम

- बलिया जनपद के प्रा वि नौरंगा और प्रा वि हरिजन छितबरगांव में रसोई घर हवादार न होने के कारण एम डी एम कक्षाओं में बनाया जा रहा था।




बलिया जनपद के प्रा वि नौरंगा और प्रा वि हरिजन छितबरगांव में कक्षाओं में पकता एम डी एम

- दो प्रकरणों में एम डी एम में छिपकली और कीड़े पाये गये थे जिसके कारण भोजन विषाक्त हो गया एवं बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।

शासन ने उत्तर दिया (जनवरी 2008) कि प्रशिक्षण के अभाव एवं सामाजिक प्रथाओं के कारण कुछ रसोइयों ने रसोईघर को आसानी से ग्रहण नहीं किया तथा अपने पुराने तरीके से ही भोजन पकाते रहे। आगे यह भी बताया गया कि कुछ स्थानों पर निर्माण की गुणवत्ता खराब पायी गयी थी। शासन ने 60,000 रुपया प्रति इकाई की लागत से एक नया उन्नत ढांचा विकसित किया था। सभी विद्यालयों को उन्नत रसोई घर से आच्छादित करने हेतु चरणबद्ध तरीके से धनराशि अवमुक्त की जा रही थी। रसोइयों को भोजन पकाने की उन्नत पद्धति अपनाने हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा था।

उत्तर से पुष्टि होती थी कि आवश्यकताओं के अनुरुप रसोई घरों की रूपरेखा एवं निर्माण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। जिसके फलस्वरूप राज्य नगरीय विकास

22 एटा–9, कानपुर नगर–6, झांसी–3, तथा कन्नौज–5

23 प्रा वि रेलवे स्टेशन मऊ देहात, मऊरानीपुर, प्रा वि खरकासानी मऊरानीपुर तथा प्रा वि कंचनपुर, मऊरानीपुर

24 प्रा वि घराहरा तथा प्रा वि चिलकाढार प्रथम

अभिकरण द्वारा नगरीय क्षेत्र में 169 रसोईघर के निर्माण पर किया गया 59.15[25] लाख रुपये मूल्य का व्यय निरर्थक हुआ।

7.2 रसोई के उपकरण

नमूना जांच किये गये 18 प्रतिशत विद्यालयों में पर्याप्त बर्तन न होने के बावजूद भी पुराने बर्तनों को बदलने के लिए 16.67 करोड रुपये निर्गत नहीं किये गये

भारत सरकार ने विद्यालयों में रसोई घरों के पुराने बरतनों को बदलने हेतु 31.40 करोड़ रुपया (नवंबर 2006: 14.73 करोड़ रुपया एवं मार्च 2007: 16.67 करोड़ रुपया) अवमुक्त किया। जबकि राज्य सरकार ने मार्च 2007 तक 14.73 करोड़ रुपया ही अवमुक्त किया।

शासन द्वारा नवम्बर, 2006 में अवमुक्त 14.73 करोड़ रुपये में से 3.70 करोड़ रुपये नमूना जांच किये गये 16 जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पी एल ए में अप्रयुक्त पड़े थे (सितम्बर 2007)। विद्यालयों ने भी वर्ष 2006–07 तक अपने विद्यालय विकास निधि[26] (2000 रुपया प्रतिवर्ष) का प्रयोग बर्तन क्रय करने हेतु नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप 320 विद्यालयों में से 56 (18 प्रतिशत) के पास पर्याप्त मात्रा में बर्तन, खाद्यान्न के भंडारण हेतु डिब्बे तथा गैस चूल्हे नहीं थे। जनपद झांसी के प्रा वि लोहारी में मीठा चावल (गुड़ के साथ पकाया गया चावल) परोसने के लिए पेन्ट के खाली डिब्बे का प्रयोग किया जा रहा था।





प्राथमिक विद्यालय लोहारी, झांसी में एमडीएम वितरण हेतु पेन्ट के खाली डिब्बे का प्रयोग

शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2008) कि विधान सभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाने के कारण रसोई के उपकरणों हेतु धनराशि का उपयोग समय से नहीं किया जा सका।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि रसोई के उपकरणों का क्रय एस एस ए के अंतर्गत उपलब्ध विद्यालय विकास निधि के धन से किया जा सकता था।

7.3 हैंड पम्प

नमूना जाँच किये गये 320 विद्यालयों में से 61 में पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं था

निदेशालय के अभिलेखों के अनुसार मार्च 2007 तक सभी 96457 विद्यालयों में हैंडपम्प लगाये गये थे। संयुक्त निरीक्षण में देखा गया कि 320 विद्यालयों में से 28 में हैंडपम्प नहीं थे और 33 विद्यालयों में पानी पीने योग्य न होने के कारण हैंडपम्प का उपयोग नहीं किया जा रहा था।



शाहजहाँपुर के प्राथमिक विद्यालय में हैण्ड पम्प



रायबरेली के प्राथमिक विद्यालय में हैण्ड पम्प

[25] 169 = (23+146) रसोईघर X 35000 रुपया प्रति रसोईघर = 59.15 करोड़ रुपया

[26] सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वार्षिक अनुदान के रूप में विद्यालयों को दी जाने वाली धनराशि

7.4 निष्कर्ष

सभी विद्यालयों में रसोईघर उपलब्ध नहीं कराये गये थे एवं अधिकतर रसोईघर प्रयोग में नहीं थे। निर्मित रसोईघर छोटे आकार के थे एवं उनमें रोशनदान तथा नाली की सुविधा की कमी थी। रसोईघरों के मरम्मत एवं रख रखाव हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था। धन की उपलब्धता के बावजूद भी विद्यालयों के पास पर्याप्त बर्तन नहीं थे। कुछ विद्यालयों में या तो हैंड पम्प उपलब्ध नहीं थे या पानी पीने योग्य नहीं होने के कारण प्रयोग में नहीं थे।

7.5 संस्तुतियां

- रोशनदान तथा नाली के प्रावधानों सहित निर्धारित मानक के रसोईघरों के निर्माण सुनिश्चित किये जाने चाहिए। रसोईघरों के रखरखाव के प्रावधान भी किये जाने चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में केवल विद्यालय प्रांगण में ही एमडीएम पकाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- पीने योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- एमडीएम पकाने एवं वितरित करने हेतु रसोई के उपकरणों की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अध्याय –8

स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका

दिशानिर्देशों (दिसम्बर 2004) में उल्लिखित था कि शहरी क्षेत्रों में जहां विद्यालयों के एक समूह हेतु एक केन्द्रीयकृत रसोईघर की स्थापना सम्भव हो, भोजन केन्द्रीयकृत रसोईघर में पकाया जाये तथा विभिन्न विद्यालयों को गर्म पका भोजन स्वास्थ्यप्रद स्थिति में एक विश्वसनीय परिवहन तन्त्र द्वारा पहुंचाया जाये। आगे यह भी वर्णित था कि स्वयंसेवी संस्थाओं को अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करना था:

- स्वयंसेवी संस्था द्वारा शासन को अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा विधिवत प्रमाणित वार्षिक प्रतिवेदन, परिवहन व्यय तथा शासन से प्राप्त अन्य अनुदानों के लेखे के सम्प्रेक्षित विवरण के साथ उपलब्ध कराना था।
- स्वयंसेवी संस्था को खाद्यान्नों के उठान, उपभोग लाभान्वित विद्यालयों एवं बच्चों की संख्या पर मासिक प्रतिवेदन राज्य सरकार/भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना था।
- लेखा अभिलेख भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा जांच हेतु उपलब्ध रहने थे, इसके अतिरिक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखों की नमूना जांच उनके स्वयं के विवेक पर निर्भर थी।
- विश्वसनीय तथा कार्यक्रम को चलाने की क्षमता वाले स्वयंसेवी संस्थाओं का ही चयन किया जाना था।
- स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रत्येक छात्र को 100 ग्राम सूखे चावल/गेहूँ के समतुल्य पका पकाया भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना था।

शहरी क्षेत्रों में पके मध्यान्ह भोजन वितरण हेतु 688 स्वयंसेवी संस्थाएं लगाई गयीं थीं। नमूना जांच किये गये 16 जिलों में से नौ में 51 स्वयंसेवी संस्थाएं कार्यरत थी ***(परिशिष्ट–VII)*** ।

8.1 अभिलेखों एव प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

बेसिक शिक्षा अधिकारियों के अभिलेखों की जाँच एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के संयुक्त निरीक्षण दर्शाते थे कि:

- नमूना जांच किये गये जिलों के स्वयंसेवी संस्थाओं ने शासन को लेखों का सम्प्रेक्षित विवरण एवं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया।
- सात जिलों के 34 स्वयंसेवी संस्थाओं ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मासिक लेखे प्रस्तुत नहीं किये थे जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के उपभोग का सम्प्रेक्षा में सत्यापन नहीं हो सका।

लखनऊ की स्वयं सेवी संस्थाओं को 18.95 लाख रुपये की लागत के अधिक खाद्यान्न दिये गये थे

- लखनऊ के नगर शिक्षा अधिकारी एवं जिला प्रबंधक, एफ ई सी सी के अभिलेख दर्शाते थे कि 12 स्वयंसेवी संस्थाओं को अप्रैल 2005 से मई 2007 की अवधि में 18.95 लाख रुपये की लागत के 3,354.16 कुन्तल अधिक खाद्यान्न ***(परिशिष्ट–VIII)*** निर्गत किये गये थे। शेष चार[27] स्वयंसेवी संस्थाओं के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये थे जिससे खाद्यान्न की मात्रा यदि अधिक अवमुक्त कर दी गई हो तो उसका आंकलन नहीं किया जा सकता था।

कानपुर नगर की स्वयं सेवी संस्था को 7.79 लाख रुपये की लागत के अधिक खाद्यान्न तथा 59 लाख रुपये की अधिक परिवर्तन लागत दी गयी थी

- कानपुर नगर में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था ने भी बेसिक शिक्षा अधिकारी को कभी लेखे उपलब्ध नहीं कराये थे सिवाय नवम्बर 2004 के, जिसमें निधि के खाद्य अवयवों पर 70, ईंधन पर 10 तथा प्रशासनिक मद पर 22 प्रतिशत निर्धारित व्यय

[27] छंगाराम बहुद्देशीय जन कल्याण समिति, छत्तीसगढ़ सामाजिक जन चेतना मंच, उत्तम कल्याण ट्रस्ट व जनता सेवा संस्थान

के विरुद्ध क्रमशः 23, 22 तथा 55 प्रतिशत व्यय दिखाया गया था। खाद्य अवयवों के कम प्रयोग से मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मासिक लेखे प्रस्तुत न करने के बावजूद बी एस ए द्वारा कानपुर नगर की स्वयंसेवी संस्था को लगातार खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत उपलब्ध कराया जाना वर्ष 2004–07 की अवधि में 7.79 लाख रुपये मूल्य के 1,379.30 कुन्तल खाद्यान्न एवं 59 लाख रुपया परिवर्तन लागत के अधिक भुगतान के रूप में परिणति हुई।

- आगरा, बलिया, बरेली, एटा, जे पी नगर, कन्नौज, कानपुर नगर, लखनऊ एवं शाहजहांपुर में मध्यान्ह भोजन की आपूर्ति करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं ने खाद्यान्न, अन्य खाद्य सामग्रियों तथा परिवर्तन लागत के अभिलेख सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत नहीं किये। फलस्वरूप इन संस्थाओं को उपलब्ध कराये गये 12.54 करोड़[28] रुपये मूल्य के खाद्यान्न तथा परिवर्तन लागत को सत्यापित नहीं किया जा सका। आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ने भी अनुस्मारकों के बावजूद लेखा परीक्षा दल के आडिट मेमो तथा जिला बी एस ए लखनऊ द्वारा जारी पत्रों (दिसम्बर 07) का जनवरी 2008 तक कोई अभिलेख/उत्तर नहीं दिया।

शासन को प्रतिवेदन एवं सम्प्रेक्षित लेखा उपलब्ध न कराने के कारण स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य निष्पादन का पर्याप्त अनुश्रवण नहीं हुआ।

8.2 स्वयंसेवी संस्थाओं को उपलब्ध मूलभूत संरचना एवं उनकी क्षमता

स्वयं सेवी संस्थाओं के पास एम डी एम वितरण हेतु पर्याप्त ढॉचा/क्षमता नहीं थी

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि:

- बी एस ए, कानपुर नगर (अक्टूबर 2004) ने स्वयंसेवी संस्था के पास उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं एवं 75 किलोमीटर दूर (बिल्हौर) तक स्थित विद्यालयों में पौष्टिक एवं गर्म पका एम डी एम आपूर्ति करने की क्षमता का आकलन किये बिना ही 'सोसायटी फार एजुकेशन एण्ड वेलफेयर अवेयरनेस' (सेवा) नामक स्वयंसेवी संस्था को एक केन्द्रीकृत रसोईघर से आपूर्ति करने का कार्य सौंप दिया गया जिस पर प्रतिवेदन के प्रस्तर 8.3 में टिप्पणी की गई है। गठित अनुबन्ध में न तो अनुबन्ध के प्रभावी रहने की अवधि का और न ही संस्था द्वारा मध्यान्ह भोजन आपूर्ति करने में विफल रहने की दशा में दण्ड का कोई प्रावधान किया गया था। अन्य नमूना जांच किये गये जिलों में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा गठित अनुबन्ध में इसी प्रकार की कमियां पायी गयीं।
- लखनऊ में 15 स्वयंसेवी संस्थाओं को अप्रैल 2005 में मध्यान्ह भोजन वितरण का कार्य सौंपा गया था, परन्तु चार[29] संस्थाओं ने मई 2005 में कार्य छोड़ दिया तथा दिसम्बर 2006 से अगस्त 2007 के बीच छः संस्थाओं[30] को खाद्यान्न बेचने, अस्वास्थ्यकर भोजन बनाने तथा निर्धारित मीनू का पालन न करने के कारण काली सूची में डाल दिया गया। कानपुर नगर की स्वयंसेवी संस्था 'सेवा' के विरुद्ध खराब गुणवत्ता एवं निर्धारित मात्रा से कम भोजन आपूर्ति करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

लखनऊ एवं कानपुर की स्वयंसेवी संस्थाओं ने एम डी एम पकाने हेतु विद्यालयों के प्रांगण एवं कक्षाएं अनुचित रूप से अधिग्रहित कर लिया था

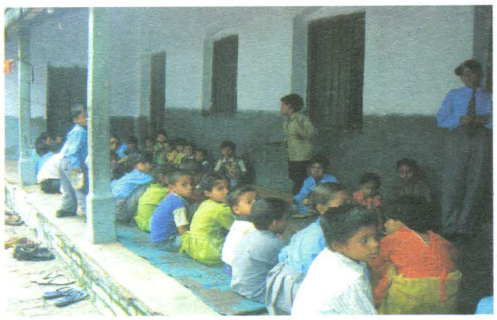
- कानपुर नगर की स्वयंसेवी संस्था ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीआरसी) प्रेमनगर, जिसमें तीन प्राथमिक विद्यालय एवं एक जूनियर हाई स्कूल संचालित था का एक बड़ा भाग कब्जा कर लिया था जिससे सी आर सी के कर्मचारी तथा विद्यालयों के बच्चें जगह की कमी के कारण बरामदों में बैठ रहे थे। संस्था ने उसके द्वारा

28 स्वयंसेवी संस्था कन्नौज को दिया गया खाद्यान्न तथा स्वयंसेवी संस्था जेपीनगर को दिया गया खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत उपलब्ध न होने के कारण शामिल नहीं है।

29 महिला उत्थान एवं ग्रामीण संस्थान, सेवा सहायता समिति, प्रियादर्शिनी ज्ञानोदय समिति, निर्बल वर्ग महिला शक्ति सेवा संस्थान

30 ग्रामीण एवं निर्बल विकास संस्थान, राम महिला कल्याण समिति, सावित्री ग्रामोदय सेवा संस्थान, जनता सेवा संस्थान, पहल, ललिता भारतीय ग्रामोद्योग संस्थान

अधिकृत स्थान के किसी किराये का भुगतान नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, प्रांगण में एक बड़े रसोईघर होने के कारण विद्यालय का वातावरण खराब हो गया था। इसी प्रकार, लखनऊ की एक स्वयंसेवी संस्था ने प्राथमिक विद्यालय, नौबस्ता, लखनऊ की एक कक्षा एवं बरामदे में रसोईघर बना रखा था।



कानपुर के सीआरसी में बरामदे को कक्षा के रूप में उपयोग करते बच्चे



लखनऊ में कक्षा में भोजन पकाते स्वयंसेवी संस्था

स्वयंसेवी संस्थाओं के पास अपर्याप्त आधारभूत ढांचा/क्षमता होने की परिणिति उनके असंतोषजनक कार्य तथा विद्यालय प्रांगण की जगह का अनुचित अधिग्रहण के रूप में हुई।

8.3 मध्यान्ह भोजन की आपूर्ति

कानपुर नगर में एक स्वयंसेवी संस्था (सेवा) को 392 विद्यालयों के बच्चों को एक केन्द्रीयकृत रसोईघर से मध्यान्ह भोजन की आपूर्ति का कार्य सौंपा गया (अक्टूबर 2004) था। बी एस ए, कानपुर नगर के अभिलेखों की जांच दर्शाती थी कि:

- दूरस्थ स्थित विद्यालयों के बच्चों को कभी भी गर्म भोजन नहीं मिला।
- मीनू में अपेक्षित मौसमी सब्जियों का उपयोग नहीं किया गया।
- नगर शिक्षा अधिकारी (एन एस ए), कानपुर नगर ने सूचित किया था (दिसम्बर 2006) कि स्वयंसेवी संस्था द्वारा पतली पालक दाल की आपूर्ति की जा रही थी। कानपुर नगर के प्रा वि मानपुर का संयुक्त निरीक्षण दर्शाता था कि कच्ची रोटी तथा पतली दाल दी गयी थी।

वितरित भोजन, निर्धारित मात्रा एवं मीनू के अनुसार नहीं था।

- एन एस ए द्वारा जिलाधिकारी कानपुर नगर को सौंपी गयी जांच आख्या के अनुसार, (दिसम्बर 2006) सेवा संस्था द्वारा भोजन समय से नहीं दिया जा रहा था तथा दो पतली रोटी दी जा रही थी जो 100 ग्राम की नहीं हो सकती थी। इस तथ्य की संयुक्त निरीक्षण में भी पुष्टि हो गयी कि कानपुर नगर में 35,000 से अधिक बच्चों को आपूर्ति की जा रही दो रोटियों का वजन 82–84 ग्राम था।
- कानपुर नगर की सेवा संस्था ने अक्टूबर 2004 से दिसम्बर 2006 की अवधि में रोटी बनाने की मशीन नहीं होने के कारण रोटी या पूरी की आपूर्ति नहीं की थी। उसने उक्त अवधि में मीनू के विपरीत चावल से बने खाद्य पदार्थ या हलवा का वितरण किया था। यह तथ्य एन एस ए द्वारा जिलाधिकारी, कानपुर नगर को भी बताया गया था।

आगरा, एटा, कानपुर नगर के शहरी क्षेत्र के विद्यालयों तथा संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं की संयुक्त जांच में पाया गया कि:

- आदर्श बेसिक कन्या प्रा वि, प्रेमनगर (कानपुर नगर) की प्रधानाध्यापिका ने बताया (अगस्त 2007) कि अच्छा नहीं दिखने पर बच्चे मध्यान्ह भोजन नहीं लेते। प्रधानाध्यापिका द्वारा संयुक्त जांच टीम को सेवा संस्था द्वारा आपूर्तित 'तहरी' दिखायी गयी जो दिखने में खाने लायक नहीं थी (संदर्भ: नीचे छपी फोटो)। इसी तरह की शिकायत बेसिक प्राथमिक विद्यालय अनवरगंज, कानपुर नगर के बच्चों

द्वारा भी की गयी थी। एन एस ए द्वारा जिलाधिकारी कानपुर नगर को यह भी बताया गया था।



कानपुर नगर के संस्था द्वारा आपूर्तित तहरी

- पांच ग्राम प्रोटीन देने के लिये निर्धारित 25 ग्राम दाल प्रति बच्चा के विरुद्ध आगरा के 79 विद्यालयों में देने के लिये दो स्वयंसेवी संस्थाओं (आचार्य ज्ञानी राम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा निकेतन तथा माया देवी आदर्श शिक्षा समिति) द्वारा प्रयुक्त औसत दाल केवल पांच से छः ग्राम प्रति बच्चा पायी गयी।
- प्रा वि, बालक यूनिवर्सल–II, एटा में स्वयंसेवी संस्था, आदर्श ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ने गर्म एमडीएम का आपूर्ति समय से नहीं की थी। आपूर्ति किये गये भोजन की मात्रा उपस्थित बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसकी पुष्टि श्री दिगम्बर जैन कन्या जूनियर हाईस्कूल, एटा की प्रधानाध्यापिका द्वारा की गयी थी एवं जिलाधिकारी, एटा को सूचित किया गया था (नवम्बर 2006)।

आगरा एवं लखनऊ के सभी स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आयोडीन युक्त नमक प्रयुक्त नहीं किया जा रहा था।

- दिशानिर्देशों में उल्लिखित था कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग किया जाना चाहिये। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि आगरा की दो[31] एवं लखनऊ की दो[32] स्वयंसेवी संस्थाएं प्रतिष्ठित कंपनियों के पैकेट से मिलते–जुलते पैकेट में आयोडीन रहित नमक का प्रयोग कर रही थीं।





लखनऊ में संस्थाओं द्वारा उपयोग किये जा रहे नमक के मिलते–जुलते पैकेट

जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं का अपर्याप्त अनुश्रवण किये जाने के कारण अपर्याप्त मात्रा के भोजन की आपूर्ति की जा रही थी।

8.4 निष्कर्ष

स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन/सम्प्रेक्षित लेखे शासन को प्रस्तुत न करना स्वयंसेवी संस्थाओं की दक्षता के अपर्याप्त अनुश्रवण के रूप में परिणति हुआ। स्वयंसेवी संस्थाओं के ढांचागत सुविधाओं तथा क्षमता का आकलन सुनिश्चित किये बिना कार्य देने के परिणति संस्थाओं द्वारा असंतोषजनक कार्य तथा अनुचित तरीके से विद्यालयों की जगह/कक्षाओं के कब्जे के रूप में हुई। जिलाधिकारियों/बेसिक शिक्षा अधिकारियों

31 सुप्रभात एजुकेशनल संस्था तथा भारतीय ग्रामोत्थान सेवा समिति आगरा।

32 विश्वेश्वर दयाल माध्यमिक विद्यालय समिति तथा हेल्प हैन्ड्स सामाजिक सेवा संस्थान, लखनऊ।

द्वारा अपर्याप्त अनुश्रवण के फलस्वरूप बच्चों को अपर्याप्त मात्रा के भोजन की आपूर्ति की गयी।

8.5 संस्तुतियां

- स्वयंसेवी संस्थाओं को अनाज, परिवर्तन लागत तथा अन्य खाद्य पदार्थों के लेखों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए तथा उनके पास पड़े अवशेषों का समायोजन करने के बाद ही आगे निर्गत की कार्यवाही की जानी चाहिए।
- स्वयंसेवी संस्थाओं से लेखा के सम्परीक्षित विवरण के साथ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा जाना चाहिए।
- व्यय को सत्यापित करने हेतु सब्जियों तथा अन्य खाद्य पदार्थों के क्रय/उपयोग संबंधी बीजकों की टास्क फोर्स द्वारा जांच की जानी चाहिए।
- बच्चों को पौष्टिक एवं गर्म मध्यान्ह भोजन देने की क्षमता सुनिश्चित करने के बाद ही स्वयंसेवी संस्थाओं को कार्य आवंटित किया जाना चाहिए।
- पठन पाठन की प्रक्रिया में होने वाले किसी व्यवधान से बचने के लिए विद्यालय प्रांगण में भोजन बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अध्याय–9

रिपार्ट प्रेषण, अनुश्रवण एवं प्रभाव मूल्यांकन

राज्य सरकार ने मध्यान्ह भोजन के पर्यवेक्षण एवं वितरण हेतु ग्राम स्तर से राज्य स्तर की समितियों के गठन के लिए निर्देश (जून 2004 से जनवरी 2006) जारी किये थे। समितियों द्वारा उक्त निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के कारण राज्य सरकार ने जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली क्रमशः बारह[33] एवं आठ[34] सदस्यों की जिला एवं खण्ड स्तर की टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया (मार्च 2006) और योजना के पर्याप्त एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु चेक लिस्ट निर्धारित किया। टास्क फोर्स के प्रत्येक सदस्य द्वारा पांच विद्यालय प्रतिमाह निरीक्षण करना अपेक्षित था जिससे प्रत्येक तिमाही में सभी विद्यालय आच्छादित हो जायें।

9.1 टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण

टास्क फोर्स द्वारा केवल 65 से 69 प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण किया गया

टास्क फोर्स ने दिसम्बर, 2006 में समाप्त तिमाही की अवधि में वांछित 1,19,426 के विरुद्ध 77,765 (65 प्रतिशत) विद्यालयों/केन्द्रों का तथा मार्च 2007 में समाप्त तिमाही में वांछित 1,21,583 के विरुद्ध 83,932 (69 प्रतिशत) विद्यालयों/केन्द्रों का दौरा किया। अप्रैल 2006 से सितम्बर 2006 की सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी।

टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण की संख्या बढ़ाकर दिखायी गयी थी

नमूना जांच किये गये 16 जिलों में से 15 में टास्क फोर्स का गठन अप्रैल 2006 एवं अगस्त 2006 के मध्य किया गया। झांसी में टास्क फोर्स का गठन सितम्बर 2007 तक नहीं किया गया था। आठ[35] नमूना जांच किये गये जिलों में टास्क फोर्सों ने 2006–07 की अवधि में 1822 विद्यालयों का निरीक्षण किया जबकि शेष आठ जिलों[36] के संदर्भ में टास्क फोर्स की रिपोर्ट संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं थी। फिर भी निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में अक्टूबर 2006 से मार्च 2007 की अवधि में इन जिलों में 39,636 विद्यालयों का निरीक्षण दर्शाया गया था। यद्यपि बी एस ए झांसी ने बताया (सितम्बर 2007) कि टास्क फोर्स का गठन की कार्यवाही अभी प्रगति में थी, निदेशक ने अक्टूबर 2006 मार्च 2007 के दौरान यहां 2,329 विद्यालयों का निरीक्षण दर्शाया था। लखनऊ में टास्क फोर्स का गठन अगस्त 2006 में किया गया तथा केवल एक सदस्य[37] ने मार्च 2007 तक छः विद्यालयों का निरीक्षण (सितम्बर 2006) किया जिसके विरुद्ध निदेशक ने अक्टूबर 2006 से मार्च 2007 के दौरान 2,486 निरीक्षण सूचित किया था। 320 नमूना जांच हेतु चयनित में से 239 (75 प्रतिशत) विद्यालयों में टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया था।

अक्टूबर 2006 से मार्च 2007 की अवधि हेतु टास्क फोर्स की रिपोर्ट दर्शाती थी कि 1.62 लाख विद्यालयों में से 2,086 में मध्यान्ह भोजन वितरित नहीं किया गया, 1,151 में निर्धारित मात्रा से कम भोजन दिया गया, 3,589 में निर्धारित मीनू का पालन नहीं किया गया तथा 1723 विद्यालयों में भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं थी। इन रिपोर्टों में इंगित की गयी कमियों पर जिलाधिकारी/राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

33 जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलापूर्ति अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, डी आर डी ए, जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा जिला पंचायतराज अधिकारी

34 एस डी एम, ए बी एस ए/एस डी आई, खण्ड विकास अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत, नायब तहसीलदार, पूर्ति निरीक्षक एवं एक एस डी एम द्वारा नामित सदस्य

35 बलिया, बरेली, बदायूं, गोण्डा, जे. पी. नगर, कन्नौज, कानपुर नगर एवं लखनऊ

36 आगरा, एटा, गाजीपुर, झाँसी, कुशीनगर, रायबरेली, शाहजहाँपुर एवं श्रावस्ती

37 जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखनऊ

इस प्रकार टास्क फोर्स द्वारा अक्टूबर, 2006 से मार्च 2007 की अवधि में आच्छादित विद्यालयों की दर्शायी गयी संख्या संदेहास्पद थी। टास्क फोर्स द्वारा पायी गयी कमियों पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार, योजना क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु प्रति तिमाही समस्त विद्यालयों के निरीक्षण के लिए टास्क फोर्स के गठन का उद्देश्य अपूर्ण था।

शासन ने उत्तर (जनवरी 2008) में बताया कि अनुश्रवण को प्रभावी बनाने हेतु लेखा परीक्षा परिणाम को विचाराधीन ले लिया गया था।

9.2 अभिलेखों का रखरखाव न करना

योजना संदर्शिका के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भोजन पकाने की लागत तथा खाद्यान्न से संबंधित अभिलेखों के रख रखाव किया जाना तथा विद्यालय स्तर पर खाद्यान्न की प्राप्ति, उपभोग, अन्य खाद्य अवयवों के क्रय एवं उपभोग तथा लाभार्थी छात्रों की संख्या का भी प्रदर्शन किया जाना था।

विद्यालयों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि :

- 320 विद्यालयों में से 112 (37 प्रतिशत) के अध्यापक खाद्यान्न से संबंधित अभिलेखों के रखरखाव में सहायता कर रहे थे जिन्हें कि ग्राम प्रधान द्वारा किया जाना था।
- 320 विद्यालयों में से 114 (36 प्रतिशत) में बताया गया कि खाद्यान्न की प्राप्ति एवं उपभोग से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव किया गया था परन्तु कोई भी अभिलेख संयुक्त निरीक्षण टीम को सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। शेष 206 (64 प्रतिशत) विद्यालयों में अभिलेख नहीं बनाये गये थे।

स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अभिलेखों का रख रखाव न करने के कारण 12.54 करोड़ रुपये के व्यय का सत्यापन नहीं किया जा सका

- नमूना जांच किये गये जिलों के स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अभिलेखों के रखरखाव/प्रस्तुत न किये जाने के कारण 12.54 करोड़[38] रुपया मूल्य के खाद्यान्न उपभोग तथा परिवर्तन लागत का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2008) कि मध्यान्ह भोजन प्राप्त करने वाले बच्चों के अभिलेख विद्यालय स्तर पर रखे गये थे तथा स्वयंसेवी संस्थाओं, जिन्होंने अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये थे, से स्पष्टीकरण हेतु सभी संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया था।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव संबंधित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जाना था। इस प्रकार अभिलेखों के रखरखाव/प्रस्तुत न किये जाने से खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का वास्तविक उपभोग सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

9.3 आवधिक विवरण

9.3.1 त्रैमासिक प्रगति आख्या

क्यू पी आर तीन से नौ माह विलम्ब से प्रेषित किये गये

योजना के दिशानिर्देशों में उल्लिखित था कि त्रैमासिक प्रगति आख्या (क्यू पी आर) जैसे मध्यान्ह भोजन प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, खाद्यान्न, आधारभूत ढांचा, धन का उपभोग तथा तिमाही के दौरान की गयी अनुश्रवण बैठकों आदि जैसे महत्वपूर्ण मापदण्डों पर वांछित सूचनाएं प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर प्रावधानित सात प्रपत्रों[39] में अंकित कर भारत सरकार को प्रेषित की जानी थी। यह

38 स्वयंसेवी संस्था कन्नौज को दिया गया खाद्यान्न तथा स्वयंसेवी संस्था जे. पी. नगर को दिया गया खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत उपलब्ध न होने के कारण शामिल नहीं है।

39 1. विद्यालयों / छात्रों का आच्छादन, 2. आधारभूत ढांचा के प्रावधानों की प्रगति, 3. कुकिंग की व्यवस्था, 4. खाद्यान्न उठान की प्रगति, 5. एम. एम. ई. एवं कुकिंग लागत का उपभोग, 6. सूखाग्रस्त क्षेत्रों में योजना का क्रियान्वयन तथा 7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

योजना के अनुश्रवण हेतु प्रमुख आधार था। फिर भी भारत सरकार को क्यू. पी. आर. तीन से नौ माह विलम्ब से प्रेषित किये गये।

निदेशक ने बताया (अक्टूबर 2007) कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्यू पी आर प्राप्ति में विलम्ब था फलस्वरूप निदेशक स्तर पर आंकड़ों के संकलन में विलम्ब हुआ। यह क्षेत्रीय कार्यालयों से आंकड़ों की समयबद्ध प्राप्ति हेतु प्रभावी अनुश्रवण में कमी दर्शाता था।

9.3.2 उपभोग प्रमाण पत्र

खाद्यान्नों से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे।

दिशानिर्देशों के अनुसार खाद्यान्न, कुकिंग लागत एवं एम एम ई व्यय के रूप में प्रदान की गयी केन्द्रीय सहायता से संबंधित यू सी को संबंधित वर्षों के लिए क्रमशः 30 जून एवं 30 सितम्बर को भारत सरकार को प्रेषित करना था। निदेशक द्वारा खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत से संबंधित उपभोग विवरण विद्यालय स्तर पर कार्यदायी संस्थाओं से नहीं मांगी गयी। परिवर्तन लागत एवं एम एम ई के यू सी वर्ष 2004–05 एवं 2006–07 हेतु निर्गम को ही उपभोग मानकर क्रमशः फरवरी 2006 एवं जून 2007 में प्रेषित कर दी गयी। वर्ष 2005–06 की यू सी नहीं प्रेषित की गयी।

बी एस ए लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत का यू सी ग्राम पंचायत और नगर आयुक्त, नगर निगम लेखनऊ से प्राप्त नहीं होता तथा क्यू पी आर में उल्लिखित खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के उपभोग की गणना, स्कूल दिवस एवं लाभार्थी छात्र संख्या के आधार पर की जाती है। यही प्रक्रिया अन्य नमूना जांच किये गये जिलों में भी अपनायी गयी थी।

9.4 मध्यान्ह भोजन योजना से प्रभावित अध्ययन/अध्यापन

योजना में सहायक एवं रसोइया को भत्ता केन्द्रीय सहायता से देने का प्रावधान था तथा किन्हीं भी परिस्थितियों में शिक्षकों को मध्यान्ह भोजन योजना से संबंधित जिम्मेदारियां देने से निषेध किया गया था सिवाय इसके कि प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या बच्चों को अच्छी गुणवत्ता का पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने एवं स्वास्थ्यवर्धक एवं समुचित तरीके से आपसी सहयोग बढ़ाने की इच्छा से वास्तविक वितरण एवं भोजन कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे।

जबकि संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि :–

- 320 में 63 विद्यालयों में शिक्षक सब्जियां क्रय करने में सम्मिलित थे तथा 267 में मध्यान्ह भोजन वितरण में सहायता करते थे। 198 विद्यालयों के शिक्षकों ने बताया कि मध्यान्ह भोजन के कारण उन्हें पढ़ाने का समय कम मिलता था।
- छः[40] प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे मध्यान्ह भोजन बनाने में संलिप्त थे जिससे उनकी पढ़ाई बाधित होती थी।
- पूर्व माध्यमिक विद्यालय, मुस्तफाबाद, रायबरेली के एक सहायक अध्यापक दिसम्बर 2005 से मध्यान्ह भोजन के खाद्यान्न का उचित मूल्य दुकान से उठाने एवं वितरण कर रहे थे।

[40] धरमपुर, बलिया; गौसपुर बुजुर्ग प्रथम तथा मार्टिनगंज, गाजीपुर; शारदा सदन झांसी; महानन्दपुर, रायबरेली तथा रूजहाकला खुटार, शाहजहांपुर




शाहजहाँपुर तथा गाजीपुर में एम डी एम पकाते बच्चे

- कक्षाएं खाद्यान्न के भंडारण एवं भोजन पकाने में उपयोग की जा रही थी। फलस्वरूप बच्चे के लिए कम स्थान उपलब्ध था।

बच्चों एवं अध्यापकों के मध्यान्ह भोजन बनाने में संलिप्त होने तथा कक्षाओं के खाद्यान्न भंडारण एवं पकाने में प्रयोग करने से बच्चों के अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया पर विपरीत असर पड़ रहा था।

9.5 सुरक्षा एवं स्वास्थ्य

मध्यान्ह भोजन का क्रियान्वयन सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देते हुए किया जाना अपेक्षित था। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि :–

- छः जिलों[41] के 14 विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कक्षाओं में पकाया जा रहा था।





लखनऊ एवं गाजीपुर में कक्षाओं में पकता एम डी एम

नमूना जाँच किये गये विद्यालयों में से 69 प्रतिशत एम डी एम पकाने हेतु जलावन लकड़ी का उपयोग कर रहे थे।

- चूंकि लकड़ी के ईंधन युक्त चूल्हा को हतोत्साहित करके धुंआ रहित चूल्हा विशेषकर गैस चूल्हा का प्रयोग किया जाना था इसलिए मार्च 2007 तक 34,005 विद्यालयों को गैस चूल्हा की सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी। जबकि 254 नमूना जांच किये गये विद्यालयों[42] जहां एम डी एम पकाया जाता था में केवल 79 विद्यालय (31 प्रतिशत) ही गैस चूल्हा प्रयोग कर रहे थे तथा शेष 69 प्रतिशत विद्यालय जलावन लकड़ी का प्रयोग कर रहे थे।




रायबरेली के प्रा वि जगदीशपुर एवं रुजहाँकला में प्रयोग किया जा रहा लकड़ी का ईंधन

41 बलिया, कन्नौज, कुशीनगर, लखनऊ– 2. रायबरेली–4 तथा शाहजहांपुर–5

42 66 विद्यालयों (320–254) मध्यान्ह भोजन केन्द्रीय किचेन से वितरित किया जा रहा था।

- भोजन पकाने एवं वितरण में लगे व्यक्तियों का स्वास्थ्यपरक आदतों का प्रशिक्षण देना था तथा भोजन पकाने एवं वितरण के पूर्व उन्हें अपने हाथ एवं पैर साबुन से धोने थे। जबकि 320 में से 33 विद्यालयों (10 प्रतिशत) में लगे रसोइयों का ड्रेस स्वच्छ नहीं था तथा कानपुर नगर एवं गाजीपुर के दो विद्यालयों में भोजन बिना हाथ साफ किये तथा अस्वास्थ्यकर तरीके से वितरित किया जा रहा था।

नमूना जांच किये गये सभी जिलों में बच्चों द्वारा भोजन करने से पूर्व हाथ नहीं धोया गया था

- मध्यान्ह भोजन बच्चों में स्वास्थ्यपरक आदतों को बढ़ाने के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाना था। उनके अन्दर भोजन करने के पूर्व साबुन से हाथ धोने, साफ बर्तनों के प्रयोग, भोजन के गिराने एवं बरबादी से रोकने जैसी आदतों को बढ़ावा देना था। 320 विद्यालयों में प्रत्येक के पांच बालक एवं पांच बालिकाओं के साक्षात्कार से परिलक्षित हुआ कि वे भोजन लेने के पूर्व अपने हाथ साबुन से नहीं धोते थे।

320 नमूना जांच किये गये विद्यालयों में से मात्र पांच[43] (दो प्रतिशत) में योजना बहुत अच्छी तरह क्रियान्वित की जा रही थी। बच्चों में वितरण किये जाने वाले भोजन की वांछित मात्रा एवं गुणवत्ता का ध्यान अध्यापक दे रहे थे। वे स्वच्छता एवं स्वास्थ्यपरकता का भी विशेष ध्यान दे रहे थे। इस प्रकार, अधिकांश विद्यालयों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा था।

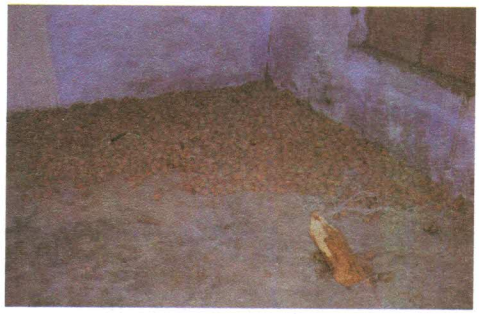
9.5.1 अस्वास्थ्यपरक अवयवों का प्रयोग

विद्यालयों में संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि :–

एम डी एम में प्रयुक्त अवयव समुचित रूप से धोये नहीं गये थे

- 320 में से 18 विद्यालयों में पकाने के पूर्व चावल एवं सब्जियों को समुचित रूप से धुला नहीं गया था।
- प्रा वि महमूदनगर-प्रथम मलिहाबाद लखनऊ में कीड़ेयुक्त सब्जी वितरित की जा रही पायी गयी थी। ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त निरीक्षण टीम को आश्वासन दिया कि भविष्य में ध्यान दिया जायेगा।
- प्रा वि महिपत मऊ, काकोरी, लखनऊ एवं कन्या प्रा वि खैरनगर, कन्नौज में सड़ी सब्जियां पायी गयीं।





लखनऊ एवं कन्नौज में एम डी एम में प्रयुक्त सड़ी सब्जियाँ

शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2008) कि शिक्षकों को मध्यान्ह भोजन से संबधित किसी भी कार्य से मुक्त रखने के ईमानदार प्रयास किये गये थे। यह भी बताया गया कि बच्चों का उनके अधिकार क्षेत्र में होने के कारण विद्यालय में किसी भी प्रकार भोजन कार्यक्रम में उन्हें पर्यवेक्षण करना आवश्यक था तथा किचेन के साफ सुथरा रखने तथा स्वास्थ्यपरकता पर कड़ी नज़र रखने हेतु निर्देश दिये जा चुके थे।

[43] दबकईया, आगरा; गुरसराय एवं शारदा सदन नगर क्षेत्र, झांसी; रविन्द्रनगर, कुशीनगर तथा अटसलिया, शाहजहांपुर

9.6 अनुश्रवण

योजना दिशानिर्देश में राष्ट्र, राज्य, जिला एवं ब्लाक जैसे चार स्तरों पर स्टीयरिंग–सह अनुश्रवण समिति (एस एम सी) के माध्यम से कार्यक्रम का प्रबंधन एवं अनुश्रवण किया जाना उपबंधित था। अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एस एम सी को सामान्य तौर पर विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को दिशानिर्देश देना, योजना के प्रभाव का आंकलन तथा आवश्यकतानुसार, सुधारात्मक कदम उठाने एवं सामुदायिक सहायता को गतिमान करना था। भारत सरकार के दिशानिर्देशो के अनुसार राज्य स्तरीय एस. एम. सी. को प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार तथा जिला एवं ब्लाक स्तर की एस. एम. सी. को प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार मीटिंग करना वांछित था। जबकि, शासन ने योजना के क्रियान्वयन एवं जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय करने के लिए आवर्ती मीटिंग राज्य स्तर पर प्रति तिमाही तथा जिला एवं ब्लाक स्तर पर मासिक निर्धारित की (जुलाई 2006)। जबकि अभिलेखों की जांच से परिलक्षित होता है कि :–

प्रत्येक स्तर पर अपर्याप्त अनुश्रवण था

- राज्यस्तरीय एस एम सी अगस्त 2007 में गठित की गयी। यह इंगित करता था कि 2004–07 की अवधि में कोई समुचित अनुश्रवण तंत्र उपलब्ध नहीं था।
- नमूना जांच किये गये जिलों में बी. एस. ए. के अभिलेख दर्शाते हैं कि आठ जिलों के जिलाधिकारियों ने सितम्बर, 2004 से मार्च 2007 के मध्य एक से 10 मीटिंग की जबकि शेष 8 जिलों में इस अवधि में कोई मीटिंग नहीं की गयी जो जिला स्तर पर बुरे अनुश्रवण को इंगित करता था।
- जिलों में ब्लाक स्तरीय बैठकों की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी जो यह दर्शाता है कि ब्लाक स्तर पर कोई अनुश्रवण नहीं किया गया था।

इस प्रकार, सभी तीनों स्तर पर समुचित अनुश्रवण की कमी थी। जिसने योजना के दक्षता को प्रभावित किया। शासन ने बताया कि (नवम्बर, 2007) कि सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को योजना के अनुश्रवण हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा था।

शासन ने पुनः बताया (जनवरी, 2008) कि ब्लाक स्तर पर अनुश्रवण की आवृत्ति बढ़ा दी गयी थी तथा जिलाधिकारियों को जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति/टास्क फोर्स की नियमित बैठक सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया जा चुका था। राज्यस्तर पर अनुश्रवण को प्रभावी बनाने हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे थे जैसा कि 2002–07 में योजना के क्रियान्वयन में सुधार के लिए शासन द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णयों तथा क्यू पी आर द्वारा भारत सरकार को रिपोर्ट की गयी स्थिति से परिदर्शित था।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि क्यू पी आर में दी गयी स्थिति को राज्य में किसी भी स्तर पर विश्लेषण नहीं किया गया था तथा योजना समुचित रूप से अनुश्रवित नहीं की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप योजना में वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की गयी।

9.7 त्रुटिपूर्ण संकेत

27 जिलों के 57 संस्थानों से संबंधित दिसम्बर, 2005 से जनवरी 2008 की अवधि में निरन्तर शिकायतों (8) एवं प्रेस क्लीपिंग (39) इंगित करते थे कि मध्यान्ह भोजन में कीड़ों की उपस्थिति, खराब गुणवत्ता एवं विषाक्त भोजन जैसे मामले पाये जा रहे थे ***(परिशिष्ट–IX अ एवं ब)*** शिकायतों पर की गयी कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया था (दिसम्बर 2007)। कानपुर नगर की स्वयंसेवी संस्था की शिकायत के संबंध में यद्यपि शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2008) कि स्वयंसेवी संस्था से स्पष्टीकरण मांगने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया गया था। फिर भी जनवरी, 2008 तक स्वयंसेवी संस्था के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी।

मार्च 1999 की सी ए जी रिपोर्ट में उल्लिखित कमियां अभी भी अस्तित्व में थी

मार्च 1999 में समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की, उत्तर प्रदेश शासन से सम्बन्धित रिपोर्ट (सिविल) के प्रस्तर 3.1 में योजना क्रियान्वयन में

नामांकन आंकड़ों में भिन्नता, खाद्यान्न के अनधिकृत भण्डारण/निर्गम खाद्यान्न के हानि, परिवहन लागत के अनियमित भुगतान, उचित दर दुकानों को अनुचित लाभ, स्वतंत्र संस्था द्वारा मूल्यांकन न कराये जाने से संबंधित तथ्य प्रकाश में लाये गये थे। लोक लेखा समिति (पी ए सी) ने भी अक्टूबर, 2000 से मई 2001 की अवधि में 19 संस्तुतियां की थी। शिक्षा विभाग यह बताते हुए कि 14 मामलों में सतर्कता जांच ***(परिशिष्ट X)*** तथा पी ए सी की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए योजना को संशोधित कर दिया गया था, पी ए सी की संस्तुतियों पर कृत कार्यवाही टिप्पणी पांच वर्ष के विलम्ब से जून 2006 में उपलब्ध करायी थी। वर्तमान दक्षता निष्पादन रिपोर्ट भी दर्शाती है कि पूर्व में उल्लिखित सी ए जी रिपोर्ट में वर्णित कमियां अभी भी प्रचलित थी जो यह इंगित करता है कि शासन के विभिन्न स्तरों पर समुचित ध्यान/कार्यवाही नहीं की गयी थी।

9.8 मूल्यांकन

योजना के प्रभाव का आंकलन करने हेतु वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया गया

दिशानिर्देशों में उपबंधित था कि एम एम ई के अंतर्गत उपलब्ध 15 प्रतिशत धनराशि से वर्ष में कम से कम एक बार वाह्य संस्था से मूल्यांकन अध्ययन अवश्य कराना था।

एम एम ई के अंतर्गत धन की उपलब्धता के बाद भी दिसम्बर 2007 तक योजना का मूल्यांकन नहीं कराया गया था।

शासन द्वारा बताया गया (सितम्बर 2007) कि संस्थाओं के नामित नहीं होने के कारण वाह्य संस्था द्वारा योजना के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं कराया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि भारत सरकार ने योजना का मूल्यांकन एस एस ए के लिए नामित संस्था से कराने हेतु निर्देश जारी कर दिये थे (सितम्बर 2004), तदोपरांत शासन ने मध्यान्ह भोजन योजना मूल्यांकन हेतु चार संस्थाओं [44] को नामित किया था (सितम्बर 2006), शासन ने पुनः बताया (जनवरी 2008) कि मूल्यांकन भारतीय प्रबन्धन संस्था, लखनऊ द्वारा कराया जाना था जिसके लिए नियमों विनियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा था।

9.9 निष्कर्ष

टास्क फोर्स द्वारा निर्धारित संख्या में विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया गया। उपलब्ध खाद्यान्न के स्टाक एवं परिवर्तन लागत का न तो विद्यालय स्तर पर प्रदर्शन किया गया और न ही कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उनके अभिलेखों का रखरखाव किया गया। भारत सरकार को क्यू पी आर अतिविलम्ब से प्रेषित किये गये तथा कार्यदायी संस्थाओं से यू सी नहीं प्राप्त की गयी। अध्यापकों एवं छात्रों को मध्यान्ह भोजन पकाने में सम्मिलित किया गया तथा सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। योजना में दक्षता निष्पादन का न तो समुचित अनुश्रवण किया और न ही वाह्य संस्था द्वारा मूल्यांकित कराया गया।

9.10 संस्तुतियां

- टास्क फोर्स द्वारा निरन्तर निरीक्षण तथा उनकी रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सरकार को त्रैमासिक प्रगति आख्या को समय से प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- कार्यदायी संस्थाओं द्वारा खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के लेखों का रखरखाव तथा बी एस ए को उन्हें उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा एवं परिवर्तन लागत की धनराशि को भी विद्यालयों में प्रतिदिन प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

[44] गिरी सामाजिक विज्ञान संस्थान लखनऊ; जी. वी. पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद; एडवांस डेवलपमेंट रिसर्च, लखनऊ; लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

- योजना के क्रियान्वयन एवं उस पर हुए व्यय का अनुश्रवण करने हेतु बी एस ए द्वारा कार्यदायी संस्थाओं से निरन्तर उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए।
- अध्यापक एवं छात्रों को भोजन पकाने में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए तथा योजना के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान देना चाहिए।
- योजना की दक्षता निष्पादन का वाह्य संस्था द्वारा मूल्यांकन कराया जाना चाहिए।

रीता मित्रा

इलाहाबाद
दिनांक
8 मई, 2008

(रीता मित्रा)
प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

Vinod Rai

नई दिल्ली
दिनांक
15 मई, 2008

(विनोद राय)
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट -I

(संदर्भ : प्रस्तर 2.1; पृष्ठ 4)

एम डी एम प्राधिकरण तथा बी एस ए कार्यालयों में दर्शाये गये बच्चों के नामांकन का जिलेवार विवरण

जिला	2004-05			2005-06			2006-07			योग		
	निदेशालय के अनुसार	बी एस ए के अनुसार	अन्तर	निदेशालय के अनुसार	बी एस ए के अनुसार	अन्तर	निदेशालय के अनुसार	बी. एस. ए. के अनुसार	अन्तर	निदेशालय के अनुसार	बी. एस. ए. के अनुसार	अन्तर
लखनऊ	234361	221553	12808	235773	215630	20143	215679	210404	5275	685813	647587	38226
एटा	319353	319183	170	358376	344919	13457	372964	372964	0	1050693	1037066	13627
रायबरेली	306179	302745	3434	330120	322068	8052	334117	329973	4144	970416	954786	15630
शाहजहाँपुर	339618	339016	602	354839	346184	8655	376041	365964	10077	1070498	1051164	19334
बरेली	392327	366284	26043	410384	384690	25694	412006	400375	11631	1214717	1151349	63368
गोंडा	389138	352636	36502	483343	387146	96197	397924	384536	13388	1270405	1124318	146087
बदायूं	392216	284521	107695	446559	268186	178373	439836	300687	139149	1278611	853394	425217
ज्योतिबा फूले नगर	178299	187819	-9520	158469	154604	3865	152243	152543	-300	489011	494966	-5955
श्रावस्ती	127036	110786	16250	131437	123302	8135	129928	126452	3476	388401	360540	27861
बलिया	318267	298670	19597	356245	319971	36274	347556	338682	8874	1022068	957323	64745
कानपुर नगर	185659	184345	1314	26412	193227	-166815	187212	190157	-2945	399283	567729	-168446
झांसी	168403	161056	7347	173461	169230	4231	174906	172049	2857	516770	502335	14435
कुशीनगर	349764	294558	55206	397706	358508	39198	395617	397706	-2089	1143087	1050772	92315
आगरा	288605	284554	4051	300191	292869	7322	294160	294160	0	882956	871583	11373
कन्नौज	170503	167194	3309	173231	171119	2112	179786	179786	0	523520	518099	5421
गाजीपुर	332932	343371	-10439	373553	347274	26279	394665	373553	21112	1101150	1064198	36952
योग	**4492660**	**4218291**	**274369**	**4710099**	**4398927**	**311172**	**4804640**	**4589991**	**214649**	**14007399**	**13207209**	**800190**

टिप्पणी :– 14 जिलों में 974591 बढ़ाकर एवं दो जिलों में 174401 कम करके दिखाया गया था।

परिशिष्ट -II (अ)

(संदर्भ : प्रस्तर 2.1; पृष्ठ 5)

शाहजहाँपुर जिले में सहायक बी एस ए द्वारा 16 ब्लाकों हेतु भिन्न–भिन्न माहों में प्रेषित नामांकन आंकड़े

क्रम संख्या	ब्लाक	10/06	11/06	12/06	01/07
1	भावलखेड़ा	32631	30199	32097	32097
2	ददरौल	24604	24604	24994	24994
3	काँट	23476	23476	23897	23897
4	मदनापुर	23779	23779	24890	24890
5	जलालाबाद	30887	31548	31548	31548
6	मिर्जापुर	20487	22447	24060	24060
7	कलान	18131	21722	21722	21722
8	तिलहर	23678	23678	23803	23803
9	कटरा	18696	18696	18349	18349
10	जैतीपुर	22520	22520	22833	22833
11	निगोही	22112	22112	22952	22952
12	पुवायाँ	21583	21583	22617	22617
13	सिधौली	25060	25060	25030	25030
14	बण्डा	23704	24091	24114	24114
15	खुटार	15333	14480	14971	14971
16	नगर	9891	9891	10592	10786
योग		**356572**	**359886**	**368469**	**368663**

परिशिष्ट -II (ब)

(संदर्भ : प्रस्तर 2.1; पृष्ठ 5)

सहायक बी एस ए द्वारा खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत हेतु बी एस ए को प्रेषित एक ही माह में भिन्न–भिन्न नामांकन आंकड़े

जिला, ब्लाक का नाम	क्रम संख्या	प्राथमिक विद्यालय का नाम	नामांकित छात्रों की संख्या		अन्तर %
			खाद्यान्न	परिवर्तन लागत	
बरेली, क्यारा (जुलाई 07)	1	बारी नागला	204	221	-8%
"	2	वाभिया	304	405	-33%
"	3	परगांवा	273	280	-3%
"	4	कंधारपुर	679	800	-18%
"	5	लखौरा	355	389	-10%
"	6	चनहेटी	252	290	-15%
"	7	चनहेटा	209	178	15%
"	8	बुक्खारा	352	320	9%
"	9	मिर्जापुर	209	225	-8%
"	10	उमरसिया	318	347	-9%
"	11	सिरसा	309	287	7%
"	12	नवीननगर	609	640	-5%
"	13	बेहजुइया जगीर	150	258	-72%
"	14	सेना	355	309	13%
"	15	जोगी ढेर	411	368	10%
"	16	महेशपुर ठकुरान	192	254	-32%
"	17	रौंधी	343	374	-9%
"	18	चौबारी	191	394	-106%
"	19	दौली रघुवारपुर दयाल	319	390	-22%
"	20	धौरा राघवपुर	266	298	-12%
बदायूं, दातागंज (जुलाई, 07)	1	आजमपुर	268	210	22%
"	2	नगरिया खानू	172	148	14%
"	3	कतौरा	10	90	-800%
"	4	शेरपुर	244	195	20%
"	5	लालपुर खादर	183	145	21%
"	6	पूरन भेड़ा	167	130	22%
"	7	कुन्दरा मझरा	247	190	23%
"	8	जलेबी मगला	165	145	12%
"	9	बिहारीपुर अजब	134	105	22%
"	10	कौली	332	290	13%
"	11	सैजानी	444	360	19%
"	12	काजीखेड़ा	107	125	-17%
"	13	मुदिया खेड़ा	149	80	46%
"	14	चिंगारी	258	21	92%
"	15	भक्तपुर	276	220	20%
"	16	बक्सेना	578	460	20%
"	17	सलेमपुर	474	390	18%
"	18	कलौरा	341	280	18%
"	19	अटसेना	105	90	14%

"	20	बौरा	167	140	16%
बदांयू, कादरचौक (जुलाई 06)	1	कादरचौक	310	250	19%
"	2	सिमरिया	99	110	-11%
"	3	लभारी	48	500	-942%
"	4	सिमरा लभारी	157	180	-15%
"	5	सिमरा	115	135	-17%
"	6	गरिया मोहम्मद नूरपुर	104	100	4%
"	7	ललुआ नगला	60	70	-17%
"	8	खंजन नगला	94	80	15%
"	9	नूरपुर	370	410	-11%
"	10	लालूपुर नगरिया	65	50	23%
"	11	मनुआ नगला	75	90	-20%
"	12	तातरपुर	227	210	7%
"	13	ककौरा	442	570	-29%
"	14	खुन्नी नगला	60	70	-17%
"	15	काशी नगला	110	120	-9%
"	16	बन्ने बगला	62	60	3%
"	17	गांगी नगला	160	180	-13%
"	18	गिन्से नगला	106	80	25%
"	19	धौकन नगला	50	40	20%
बदायूँ, सालारपुर (अगस्त 06)	1	बिलहट	385	415	-8%
"	2	नादौलिया	181	180	1%
"	3	नवादा	10	108	-980%
"	4	ददमई	225	243	-8%
"	5	बिनावर	446	475	-7%
"	6	मलिकपुर	120	126	-5%
"	7	पलिया झंडा	238	239	0%
"	8	रैपुरा	351	372	-6%
"	9	सिकरोदी	450	486	-8%
"	10	नरखेड़ा	160	161	-1%
"	11	अहेरवाड़ा	83	78	6%
"	12	बरखेड़ा	198	218	-10%
"	13	कान्हा लगला	179	225	-26%
"	14	सादुल्लापुर भितारा	189	266	-41%
"	15	पादौलिया	169	167	1%
"	16	बारातघर	209	228	-9%
"	17	सिलहरी	172	161	6%
"	18	करतौली	342	347	-1%
"	19	मोहम्मदनगर	42	40	5%
"	20	हसननगर	48	40	17%
बदायूं, समरेर (अगस्त 06)	1	कामा	226	235	-4%
"	2	धीरावरी	110	94	15%
"	3	धरमपुर	68	49	28%
"	4	सिताबनगर	65	58	11%
"	5	मेहताबनगर	159	128	19%
"	6	खुर्दी	171	136	20%
"	7	सिरजई लाल	63	100	-59%
"	8	सिमरइया	119	82	31%

"	9	सकतपुर	125	91	27%
"	10	कल्हायी	208	169	19%
"	11	गदा	351	172	51%
"	12	टिगुलापुर	267	220	18%
"	13	गैंगपुर	61	46	25%
"	14	कौरी	285	226	21%
"	15	चितमूरी	95	66	31%
"	16	परहा	178	114	36%
"	17	झुकसा I	248	175	29%
"	18	झुकसा II	233	199	15%
"	19	खलीलपुर	99	83	16%
"	20	बौरा	257	220	14%

परिशिष्ट -III

(संदर्भ : प्रस्तर 3.1.2; पृष्ठ 8)

नमूना जांच जनपदों में जिला नोडल अधिकारियों द्वारा प्राप्त एवं उपभोग किये गये परिवर्तन लागत का विवरण

जनपद	2004-05			2005-06			2006-07		
	प्राप्ति	व्यय	अवशेष	प्राप्ति	व्यय	अवशेष	प्राप्ति	व्यय	अवशेष
लखनऊ	265.89	211.63	54.26	425.18	355.56	69.62	631.39	609.44	21.95
एटा	383.06	383.06	00	579.37	579.37	00	1008.56	1002.00	6.56
रायबरेली	362.40	362.40	00	555.47	555.47[1]	00	916.45	789.84	126.61
ज्योतिबा फूलेनगर	172.13	108.65	63.48	323.47	234.93	88.54	432.50	371.33	61.17
शाहजहांपुर	402.20	299.98	102.22	718.36	546.09	172.27	1069.13	956.99	112.14
बरेली	00	00	00	711.76	680.33	31.43	1131.78	1131.53	0.25
कुशीनगर	353.51	346.85	6.66	634.56	529.96	104.60	1002.24	804.99	197.25
गोण्डा	423.21	423.21	00	705.98	705.98	00	1102.87	1102.87	00
बदायूं	257.39	257.39	00	711.56	711.56	00	1187.16	1037.64	149.52
श्रावस्ती	138.53	138.53	00	230.47	230.47	00	364.93	314.50	50.43
बलिया	350.20	350.20	00	577.40	577.40	00	824.36	824.34	0.02
कानपुर नगर	192.44	196.83	-4.39	529.26	529.26	00	458.52	467.92	-9.40
झांसी	94.31	94.31	00	64.03	64.03	00	412.76	412.76	00
आगरा	419.35	405.25	14.10	523.59	523.59	00	827.89	827.89	00
कन्नौज	168.89	168.89	00	309.32	309.32	00	482.52	482.52	00
गाजीपुर	337.35	326.35	11.00	604.01	614.00	-9.99	888.89	882.32	6.57
योग	**4320.86**	**4073.53**	**247.33**	**8203.79**	**7747.32**	**456.47**	**12741.95**	**12018.88**	**723.07**

[1]कुल एस. सी. पी. का 113.03 लाख रुपा संलग्न करते हुए जिसे मार्च 2006 में समाप्ति किया गया।

परिशिष्ट -IV

(संदर्भ : प्रस्तर 4.2.2; पृष्ठ 14)

नमूना जांच जनपदों में खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत (प्रतिशत) उपयोग में भिन्नता

जनपद	2004-05			2005-06			2006-07		
	खाद्यान्न	परिवर्तन लागत	अन्तर	खाद्यान्न	परिवर्तन लागत	अन्तर	खाद्यान्न	परिवर्तन लागत	अन्तर
गोण्डा	100	100	00	100	100	00	100	100	00
श्रावस्ती	100	100	00	100	100	00	100	86	14
झांसी	100	100	00	100	100	00	100	100	00
कन्नौज	100	100	00	100	100	00	100	100	00
लखनऊ	94	100	-6	72	100	-28	95	100	-5
बलिया	85	100	-15	92	100	-8	76	100	-24
एटा	73	100	-27	97	100	-3	100	99	1
कानपुर नगर	67	100	-33	30	100	-70	35	100	-65
रायबरेली	55.93	100	-44.07	83.52	80	3.52	98.73	99	-.27
बरेली	173	NA		76	96	-20	85	100	-15
कुशीनगर	100	98	2	100	84	16	100	80	20
गाजीपुर	100	97	3	100	100	00	100	99	1
ज्योतिबा फूलेनगर	100	63	37	100	73	27	98	86	12
शाहजहांपुर	94	75	19	83	76	7	80	90	-10
बदायूं	89	74	15	74	100	-26	88	87	1
आगरा	74.40	96	-21.60	108.70	100	8.70	98.06	86	12.06

परिशिष्ट V

(संदर्भ : प्रस्तर 6.1; पृष्ठ 21)

कैलोरी मूल्य और प्रोटीन का विवरण

मीनू	खाद्यान्न की मात्रा, कैलोरी (कै.) एवं प्रोटीन (प्रो.)							
	गेहूँ/रोटी	घी/तेल	दाल	सब्जी/सोयाबीन	चावल	दूध	चीनी	योग
रोटी और सब्जी युक्त दाल	100 267 (कै.) 8 (प्रो.)	05 45(कै.)	25 70(कै.) 5 (प्रो.)	50 25 (कै.)				407 (कै.) 13 (प्रो.)
चावल सब्जी/सांभर सोयाबीन		14 126 (कै.)		60 30 (कै.) 05 (प्रो.)	100 340 (कै.) 08 (प्रो.)			496 (कै.) 13 (प्रो.)
मीठा चावल/खीर					100 340 (कै.) 08 (प्रो.)	100 मिली. 187 (कै.) 06 (प्रो.)	30 105 (कै.)	632 (कै.) 14 (प्रो.)
पूरी सब्जी–सोयाबीन	100 267 (कै.) 08 (प्रो.)	14 126 (कै.)		60 30 (कै.) 05 (प्रो.)				423 (कै.) 13 (प्रो.)

परिशिष्ट -VI

(संदर्भ : प्रस्तर 6.1; पृष्ठ 21)

संयुक्त निरीक्षण के दिन पकाये गये खाद्यान्न की मात्रा और उससे प्राप्त कैलोरी और प्रोटीन

जिला	प्राथमिक विद्यालय / एनजीओ का नाम	बच्चों की संख्या (प्राथमिक विद्यालय की संख्या)	पके हुए खाद्यान्न की मात्रा (किलोग्राम)		मात्रा प्रति बच्चे (ग्राम)		कालम 5 के मात्रा से कैलोरी की प्राप्ति		कालम 5 की मात्रा से प्राप्त प्रोटीन
1.	2.	3.	4.		5.		6.		7.
			चावल / गेहूँ	दाल / बेसन	चावल / गेहूँ	दाल / बेसन	चावल / गेहूँ	दाल / बेसन	ग्राम में
लखनऊ	सरैया	354	6		17		57.8		1.36
	सैदपुर नवीन	132	7		53		180.2		4.24
	सैदपुर महेरी	107	5		47		159.8		3.76
	ताकिया	70	5		71		241.4		5.68
	खुशरई	181	3.5		19		64.6		1.52
रायबरेली	मलिक मऊआइमा	49	3		61		207.4		4.88
	मधुकरपुर प्राचीन	174	10		57		193.8		4.56
	जगदीशपुर	239	13		54		183.6		4.32
	शेखवारपुर	98	5		51		173.4		4.08
कानपुर नगर	सेवा एन.जी.ओ	33000(395विद्यालय)	2399		73		248.2		5.84
	प्रा. वि. सरसौल	221	15		68		231.20		5.44
आगरा	भारतीय ग्रामोत्थान समिति (एनजीओ)	6000(72 विद्यालय)	135		23		78.2		1.84
	ज्ञानीराम अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा निकेतन (एनजीओ)	2400(36 विद्यालय)	75	12	31	5	105.4	14	3.48 (2.48+1)
	मायादेवी आदर्श शिक्षा समिति (एनजीओ)	5000(43 विद्यालय)	300	30	60	6	204	16.8	6.00 (4.80+1.2)
कन्नौज	प्रा. वि. नखरपुर	204	08	02	39	10	132.60	28.00	5.12(3.12+2.00)
एटा	खुशरई	181	03	0.5	17	3	57.8	2.1	1.78 (1.36+0.42)

जिलों की संख्या : 6
विद्यालयों की संख्या : 558
छात्रों की संख्या : 48410

परिशिष्ट -VII

(संदर्भ : प्रस्तर 8; पृष्ठ 29)

नमूना जांच किये गये जिलों में स्वयंसेवी संस्थाओं की सूची

(1) लखनऊ (16)

(i) छत्तीसगढ़ सामाजिक जन चेतना मंच
(ii) विश्वेश्वर दयाल माध्यमिक विद्यालय समिति
(iii) ललिता भारतीय ग्रामोद्योग संस्थान
(iv) पहल
(v) जनता सेवा संस्थान
(vi) छंगाराम बहुद्देशीय जन कल्याण समिति
(vii) हेल्प हैण्ड्स सामाजिक सेवा संस्थान
(viii) सावित्री ग्रामोद्योग सेवा संस्थान
(ix) ग्रामीण एवं निर्बल विकास संस्थान
(x) नवसृष्टि
(xi) राम महिला कल्याण समिति
(xii) महिला उत्थान एवं ग्रामीण संस्थान
(xiii) सेवा सहायता समिति
(xiv) प्रियादर्शिनी ज्ञानोदय प्रशिक्षण समिति
(xv) निर्बल वर्ग महिला शक्ति उत्थान
(xvi) उत्तम कल्याण ट्रस्ट

(2) कानपुर नगर (01)

(i) सेवा संस्थान

(3) कन्नौज (08)

(i) मानव कल्याण एवं ग्रामीण विकास
(ii) स्व. सुभाष चन्द्र शिक्षण संस्थान
(iii) नेहरू ग्रामोद्योग आश्रम
(iv) एस. के. ग्रामोद्योग सेवा संस्थान
(v) डा. राम मनोहर लोहिया महिला उत्थान
(vi) जनता समाज सेवा संस्थान
(vii) बापू ग्रामीण विकास संस्थान
(viii) हरि ओम ग्रामोद्योग सेवा संस्थान

(4) आगरा (05)

(i) भारतीय ग्रामोत्थान समिति
(ii) ज्ञानी राम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान
(iii) मायादेवी आदर्श शिक्षा समिति
(iv) सुप्रभात एजुकेशनल सोसायटी, कैलाशपुरी

(v) उत्थान

(5) शाहजहांपुर (05)

(i) उसनापुरी वेलफेयर सोसायटी
(ii) ग्राम विकास सेवा संस्थान
(iii) भारतीय चेतना समिति
(iv) अशोक शिक्षा संस्थान
(v) पं. प्यारे लाल समिति

(6) बरेली (04)

(i) राष्ट्रीय निर्बल उत्थान संस्थान
(ii) अमन सेवा संस्थान
(iii) चेतना सेवा संस्थान
(iii) सिंह ऋषि सेवा संस्थान

(7) जे. पी. नगर (03)

(i) रायल मानव मित्रा सेवा समिति
(ii) सघन क्षेत्र विकास समिति
(iii) आर्य नवयुग शिक्षा समिति

(8) एटा (08)

(i) आदर्श ग्रामोद्योग सेवा संस्थान
(ii) शिव ग्रामोद्योग सेवा संस्थान
(iii) स्वदेशी विचार मंदिर कृषि विकास एवं ग्रामोद्योग
(iv) प्रोमूव सोशल वेलफेयर सोसायटी
(v) अशरफी ग्रामोद्योग संस्थान
(vi) श्याम ग्रामोद्योग संस्थान
(vii) जनहितकारी सेवा समिति
(viii) ग्रामीण विकास सेवा समिति

(9) बलिया (01)

(i) प्रयास

परिशिष्ट -VIII

(संदर्भ : प्रस्तर 8.1; पृष्ठ 29)

लखनऊ में स्वयंसेवी संस्थाओं को अधिक अवमुक्त खाद्यान्नों का विवरण

क्र. सं.	स्वयंसेवी संस्था का नाम	अवधि	लाभार्थी छात्र दिवस	उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा	आवश्यक खाद्यान्न की मात्रा	अधिक अवमुक्त खाद्यान्न की मात्रा
				(कुन्तल में)		
1	सावित्री ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	अप्रैल 05–मई 05	58998	83.31	58.998	**24.312**
		जुलाई 05–मई 06	691156	1084.6	691.156	**393.444**
		जुलाई 06–मई 07	662415	732.87	662.415	**70.455**
		योग	**1412569**	**1900.78**	**1412.569**	**488.211**
2	पहल	अप्रैल 05–मई 05	94481	105.57	94.48	**11.09**
		जुलाई 05–मई 06	611616	1001.19	611.62	**389.57**
		जुलाई 06–मई 07	466433	896.45	466.43	**430.02**
		योग	**1172530**	**2003.21**	**1172.53**	**830.68**
3	विश्वेश्वर दयाल माध्यमिक विद्यालय समिति	अप्रैल 05–मई 05	49349	62.58	49.35	**13.23**
		जुलाई 05–मई 06	342986	458.2	342.99	**115.21**
		जुलाई 06–मई 07	524224	638.2	524.22	**113.98**
		योग	**916559**	**1158.98**	**916.56**	**242.42**
4	ललिता भारतीय ग्रामाद्योग संस्थान	अप्रैल 05–मई 05	62423	61.98	62.42	**-0.44**
		जुलाई 05–मई 06	581271	823.4	581.27	**242.13**
		जुलाई 06–मई 07	552970	774.95	552.97	**221.98**
		योग	**1196664**	**1660.33**	**1196.66**	**463.67**
5	ग्रामीण एवं निर्बल विकास संस्थान	अप्रैल 05–मई 05	0	45.09	0	**45.09**
		जुलाई 05–मई 06	403638	480.8	403.638	**77.162**
		जुलाई 06–मई 07	384096	459.76	384.096	**75.664**
		योग	**787734**	**985.65**	**787.734**	**197.916**
6	राम महिला कल्याण समिति	अप्रैल 05–मई 05	86761	127.05	86.761	**40.289**
		जुलाई 05–मई 06	626672	862.2	626.672	**235.528**
		जुलाई 06–मई 07	489230	751.07	489.23	**261.84**
		योग	**1202663**	**1740.32**	**1202.663**	**537.657**

7	नवसृष्टि	अप्रैल 05–मई 05	0	42.96	0	**42.96**
		जुलाई 05–मई 06	411546	495.9	411.546	**84.354**
		जुलाई 06–मई 07	548914	556.51	548.914	**7.596**
		योग	**960460**	**1095.37**	**960.46**	**134.91**
8	हेल्प हैण्ड्स सामाजिक सेवा संस्थान	अप्रैल 05–मई 05	87306	82.38	87.306	**-4.926**
		जुलाई 05–मई 06	585946	748.56	585.946	**162.614**
		जुलाई 06–मई 07	578148	770.32	578.148	**192.172**
		योग	**1251400**	**1601.26**	**1251.4**	**349.86**
9	महिला उत्थान एवं ग्रामीण संस्थान	अप्रैल 05–मई 05	27922	56.16	27.922	**28.238**
		जुलाई 05–मई 06	0	0	0	**0**
		जुलाई 06–मई 07	0	0	0	**0**
		योग	**27922**	**56.16**	**27.922**	**28.238**
10	सेवा सहायता समिति	अप्रैल 05–मई 05	16947	24.81	16.947	**7.863**
		जुलाई 05–मई 06	0	0	0	**0**
		जुलाई 06–मई 07	0	0	0	**0**
		योग	**16947**	**24.81**	**16.947**	**7.863**
11	प्रियादर्शिनी ज्ञानोदय प्रशिक्षण समिति	अप्रैल 05–मई 05	52487	80.76	52.487	**28.273**
		जुलाई 05–मई 06	0	0	0	**0**
		जुलाई 06–मई 07	0	0	0	**0**
		योग	**52487**	**80.76**	**52.487**	**28.273**
12	निर्बल वर्ग महिला शक्ति उत्थान *	अप्रैल 05–मई 05	0	44.46	0	**44.46**
		जुलाई 05–मई 06	0	0	0	**0**
		जुलाई 06–मई 07	0	0	0	**0**
		योग	**0**	**44.46**	**0**	**44.46**
महायोग			**8997935**	**12352.09**	**8997.932**	**3354.158**

*अप्रैल 2005 से मई 2005 की अवधि में निर्बल वर्ग महिला शक्ति उत्थान को 44.46 कुन्तल खाद्यान्न अवमुक्त किया गया था, परन्तु संस्थान ने मध्यान्ह भोजन का वितरण नहीं किया था

परिशिष्ट– IX (अ)

(संदर्भ : प्रस्तर 9.7; पृष्ठ 39)

दिसम्बर 2005 से जनवरी 2008 की अवधि में विद्यालयों में दी गयी मध्यान्ह भोजन की खराब गुणवत्ता से संबंधित प्रेस क्लिपिंग / शिकायतों का विवरण

क्र. संख्या	जिला	विद्यालय का नाम	विषाक्त	खराब गुणवत्ता	कीड़े	विविध
1	लखनऊ	I प्रा. वि. जैतखेरा		1		
		II प्रा. वि. मौजामनगर		1		
		स्वयंसेवी संस्था				1
		III प्रा. वि. कुरौनी				1
		IV प्रा. वि. गुलाब खेरा				1
2	इलाहाबाद	I प्रा. वि. राजापुर		2		
		II प्रा. वि. साउथमलाका		2		
		III प्रा. वि. एलनगंज		2		
		IV प्रा. वि. मटियारा रोड		1		
		V प्रा. वि. हिम्मतगंज		1		
		VI उपलब्ध नहीं		1		
		VII उपलब्ध नहीं				1
		VIII उपलब्ध नहीं				1
		IX उपलब्ध नहीं				1
		X प्रा. वि. सोनौटी झूसी			1	
		XI प्रा. वि कासिमपुर			1	
		XII प्रा. वि. झरहा			1	
		XIII प्रा. वि. कौड़िहार			1	
		XIV उपलब्ध नहीं				1
		XV प्रा. वि. उजैहिनी आइमा				1
3	कानपुर नगर	I उपलब्ध नहीं		1		
4	उरई	I प्रा. वि. माजिथ				1
5	शाहजहांपुर	I प्रा. वि. मिनकीपुर				1
6	महाराजगंज	I प्रा. वि. सत्या				1
7	बिजनौर	I प्रा. वि. धोलनपुर			1	
8	वाराणसी	I प्रा. वि. दीपापुर			1	
		II उपलब्ध नहीं	1			
9	अम्बेडकर नगर	I प्रा. वि. सबीना				1
10	कानपुर देहात	I प्रा. वि. मंगता				1
		II उपलब्ध नहीं	1			
11	झांसी	I उपलब्ध नहीं				1
12	मधुरा	I प्रा. वि. मजरा बजरा				1
13	गोंण्डा	I उपलब्ध नहीं				1
14	मेरठ	I प्रा. वि. अन्दरकोट				1
		II प्रा. वि. करमअली				1
		III प्रा. वि. कन्या करम अली				1
15	मऊ	I उपलब्ध नहीं				1
16	आजमगढ़	I उपलब्ध नहीं				1
		II प्रा. वि. आत्मपुर				

17	उन्नाव	I उपलब्ध नहीं	1			
18	सुल्तानपुर	I उपलब्ध नहीं	1			
19	फिरोजाबाद	I प्रा. वि. मोइनुचीदपुर	1			
20	बरेली	I प्रा. वि. शाहगढ़	1			
21	मुरादाबाद	I प्रा. वि. शाहपुर आलम	1			
22	सीतापुर	I प्रा. वि. चांदपुर II प्रा. वि. हिलालपुर III प्रा. वि. जानीपुर	1 1 1			
23	मिर्जापुर	I प्रा. वि. धोबही गांव	1			
24	ज्योतिबा फूले नगर	I स्वयंसेवी संस्था	1			

शिकायतें

1	मेरठ	I प्रा. वि उचारवांदा I II प्रा. वि उचारवादा II	1 1			
2	बुलन्दशहर	I प्रा. वि कदरीबाग	1			
3	सहारनपुर	I प्रा. वि जैदपुर II प्रा. वि महाबीरन III प्रा. वि फतेहपुर दुल्हा	1			1 1
4	कौशाम्बी	I प्रा. वि जुगराजपुर I प्रा. वि सेवधा				1 1

परिशिष्ट– IX (ब)

(संदर्भ : प्रस्तर 9.7; पृष्ठ 39)

एम एम डी एम से संबंधित प्रेस क्लिपिंग का सार

क्रम सं.	दिनांक	समाचार पत्र	विवरण
अ	**अधोमानक गुणवत्ता का मध्यान्ह भोजन**		
1.	10.08.2007	हिन्दुस्तान	एम. डी. एम. में छात्रों को वितरित भोजन निम्न स्तर का था जिसे कोई नहीं खा सका। खीर एवम् कढ़ी के स्थान पर मीठा चावल और आटे का घोल दिया गया, जबकि हरी सब्जी कभी नहीं बनी।
2.	28.08.2007	द टाइम्स आफ इण्डिया	जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षित तीन प्राथमिक विद्यालयों राजापुर, साउथ मलाका और आवर्स एलेनगंज में एम. डी. एम. निम्न स्तर का था।
3.	30.08.2007	अमर उजाला	कानपुर में घटिया मिड डे मिल भोजन के खिलाफ पाषर्दों का धरना, प्रदर्शन।
4.	24.08.2007	दैनिक जागरण	खाने में एक रोटी वह भी कच्ची, सोयाबीन की पकौड़ी भी नहीं रहती और सब्जी पानी से भरी रहती है।
5.	26.08.2007	दैनिक जागरण	ए. सी. एम. द्वारा भोजन के निरीक्षण में पाया गया कि खीर में न तो दूध का स्वाद मिला और न ही चीनी।
6.	29.11.2007	अमर उजाला	प्राथमिक विद्यालय मछलीबाजार, कटरा, इलाहाबाद में निम्नकोटि की खीर
ब	**दलित छात्रों से अस्पृश्यता**		
1.	17.08.2007	हिन्दुस्तान	उरई जिले के रामपुरा विकास खण्ड के ग्राम मजीठ के प्रा. वि. के बच्चों से अध्यापकों द्वारा भेदभाव रखा जा रहा है। दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है और उन्हें मारने के लिए अलग डण्डा रखा जाता है तथा शिक्षक उन्हें पीटने के बाद हाथ धोते हैं। उन्हें रोटियां दूर से दी जाती हैं।
स	**एन. जी. ओ. द्वारा एम. डी. एम. के वितरण में अनियमितता**		
1.	15.06.2007	दैनिक जागरण	लखनऊ के तीन एन. जी. ओ. को परिवर्तन लागत तथा खाद्यान्न के दुरुपयोग के कारण काली सूची में डाला गया। उनके द्वारा एम. डी. एम. वितरण में भी अनियमितता बरती जा रही थी।
2.	17.11.2007	टाइम्स आफ इण्डिया	प्राथमिक विद्यालय बहरिया ब्लाक, इलाहाबाद
द	**मिड डे मील योजना में करोड़ों रुपये की हेराफेरी**		
1.	29.05.2007	दैनिक जागरण	इलाहाबाद में एम. डी. एम. योजना में 80 करोड़ की हेराफेरी की विजिलेंस (सतर्कता जांच)
2.	23.04.2007	दैनिक जागरण	जनपद शाहजहाँपुर के तिलहर विकास खण्ड के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान द्वारा अधिक नामांकन दर्शाकर हेराफेरी
3.	15.03.2007	दैनिक जागरण	जनपद महराजगंज के सिसवा विकास खण्ड सबया ग्रामसभा में एम. डी. एम. बने बिना धनराशि 50,000/– रुपया का उपभोग किया जाना।

य	**एम. डी. एम. में कीड़े**		
1.	13.04.2007	दैनिक जागरण	जनपद बिजनौर के जलीलपुर विकास खण्ड के मोकनपुर प्राथमिक विद्यालय में एम. डी. एम. में गोभी की सब्जी में कीड़े पाये गये।
2.	18.03.2007	अमर उजाला	जनपद वाराणसी के रोहनिया विकास खण्ड के प्राथमिक विद्यालय, दीयापुर के एम. डी. एम. में कीड़े पाये जाने के कारण बच्चों द्वारा भोजन करने से मना किया गया।
र	**एम. डी. एम. का वितरण न होना**		
1.	17.04.2007	दैनिक जागरण	जनपद अम्बेदकर नगर के अकबरपुर विकास खण्ड के प्राथमिक विद्यालय सेवरा में एम. डी. एम. एक पखवाड़ा से नहीं वितरित किया जा रहा था।
2.	20.04.2007	दैनिक जागरण	जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड सखन खेड़ा के प्राथमिक विद्यालय भंगटा में एम. डी. एम. एक माह से वितरित नहीं होने के कारण छात्रों की उपस्थिति प्रभावित हुई।
3.	27.04.2007	दैनिक जागरण	जनपद झांसी के पांच विद्यालयों में पिछले छः माह से एम. डी. एम. का वितरण न होना।
4.	16.01.2007	अमर उजाला	जनपद इलाहाबाद के 55 प्रतिशत प्रा. विद्यालयों में एम. डी. एम. का नहीं बँटना तथा 33 प्रतिशत विद्यालयों में रसोईयों का न होना।
5.	21.03.2007	दैनिक जागरण	जनपद मथुरा के छाता ब्लाक के गांव मदावल के मजरा वंजरा के प्रा. विद्यालय में पिछले एक वर्ष से एम. डी. एम. का वितरण नहीं किया जा रहा है।
6.	05.08.2007	हिन्दुस्तान	जनपद लखनऊ के प्रा. वि. कुरौनी एवं गुलाब खेड़ा में एम. डी. एम. का वितरण न होना
ल	**ग्राम पंचायतों को परिवर्तन लागत समय से उपलब्ध नहीं कराना**		
1.	27.03.2007	दैनिक जागरण	जनपद गोण्डा के विकास खण्ड रुपई डीह की ग्राम पंचायत पिपराबाजार में परिवर्तन लागत 6 माह से नहीं मिलने के कारण एम. डी. एम. में परेशानी
व	**एम. डी. एम. वितरण में भ्रष्टाचार**		
1.	मार्च 2007	इंटरनेट	जनपद मेरठ के बी. एस. ए. द्वारा निरीक्षण में शहरी क्षेत्र के तीन प्रा. वि. (अंदरकोट, करम अली, कन्या करमअली) में पाया कि परिवर्तन लागत और खाद्यान्न में धांधली किया जा रहा था। साथ ही छात्र संख्या फर्जी ढंग से अधिक दिखाया जा रहा था।
2.	09.03.2007	दैनिक जागरण	मऊ जनपद में एम. डी. एम. खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत में भ्रष्टाचार जिससे बच्चों को एम. डी. एम. मीनू के अनुसार नहीं दिया जा रहा है।
ह	**एम. डी. एम. में छिपकली**		
1.	14.03.2007	अमर उजाला	जनपद इलाहाबाद में प्रा. वि. सोनौटी झूंसी में एम. डी. एम. में छिपकली पायी गयी
2.	20.09.2007	दैनिक जागरण	प्राथमिक विद्यालय कासिमपुर, झरहा, कौड़िहार में खिचड़ी में छिपकली पायी गयी।
क्ष	**एम. डी. एम. की बैठक समिति**		
1.	16.03.2007	हिन्दुस्तान	जिलाधिकारी आजमगढ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एम. डी. एम. का क्रियान्वयन हर हाल में तय मीनू के अनुसार

			कराया जाये तथा टास्क फोर्स के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रतिमाह 5 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाये।
त्र	**विषाक्त**		
1.	10.12.2005	इण्डियन एक्सप्रेस	कानपुर देहात एम. डी. एम. भोजन करने के बाद एक पांच साल के छात्र का निधन हुआ और 24 छात्र बीमार हुए। रसोइये, प्रधानाचार्य और ग्राम प्रधान के खिलाफ मामले दर्ज हुए।
2.	27.12.2005	,,	जनपद उन्नाव में 200 बच्चे बीमार हुए। रसोइये, दुकानदार और स्टॉकिस्ट के खिलाफ मामले दर्ज हुए।
3.	03.01.2006	,,	जनपद सुल्तानपुर के प्रा. विद्यालय में 70 बच्चे बीमार हुए।
4.	03..1.2007	,,	वाराणसी के आदमपुर क्षेत्र में 10 बच्चे बीमार हुए, विभाग को जांच रिपोर्ट में बताया गया कि भोजन विषाक्त था।
5.	23.01.2006	,,	आजमगढ़ के आलमपुर ग्राम में 160 बच्चे बीमार, 15 की स्थिति गंभीर थी।
6.	28.01.2006	,,	फिरोजाबाद में मोइनूचीनपुर ग्राम में 250 बच्चे बीमार हुए, 40 बच्चों को जिला चिकित्सालय में भर्ती किये गये।
7.	09.10.2007	अमर उजाला	बरेली के प्रा. वि. शाहगढ़ में मध्यान्ह भोजन खाने के बाद 99 बच्चे बीमार हुए।
8.	27.09.2007	दैनिक जागरण	प्रा. पा. शाहपुर आलम, मुरादाबाद में मध्यान्ह भोजन खाने के बाद 120 बच्चे बीमार
9.	02.11.2007	दैनिक जागरण	प्रा. पा. चांदपुर और साजीपुर में एम. डी. एम. खाने से 200 छात्रों की हालत खराब हुई
10.	29.11.2007	अमर उजाला	मिरजापुर के अदलहाट के प्रा. वि. धोबहीं में भोजन में जहर
11.	09.01.2008	दैनिक जागरण	जनपद जे. पी. नगर में चावल खाने के बाद 18 छात्र बीमार हुए।
ज्ञ.	**टास्क फोर्स की अकार्यशीलता**		
1.	25.09.2007	हिन्दुस्तान	इलाहाबाद में टास्कफोर्स द्वारा भोजन की गुणवत्ता का जांच नहीं करना।
ज्ञ.1	**अस्वच्छता**		
1.	01.01.08	दैनिक जागरण	जनपद इलाहाबाद में प्रा. वि. उझानी आइमा में बच्चों ने भोजन करने से इनकार किया।

परिशिष्ट–X

(संदर्भ प्रस्तर 9.7; पृष्ठ 40)

सी ए जी की मार्च 1999 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (सिविल) में उल्लिखित लेखापरीक्षा परिणाम एवं उस पर लोक लेखा समिति की संस्तुतियां

प्रस्तर संख्या	लेखापरीक्षा परिणाम	लोक लेखा समिति की संस्तुतियां	कृत कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
3.1.5.1	योजना के लागू करने के दौरान *कभी भी पका हुआ* भोजन वितरित नहीं किया गया।	(48) समिति शासन द्वारा किए गये प्रयासों पर संतोष व्यक्त करती है *और विभाग* से अपेक्षा करती है कि सीमित साधनों के तहत बच्चों को पका भोजन दिये जाने के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर लिया जाये और इसकी कार्य योजना से यथाशीघ्र समिति को अवगत कराया जाये।	पके पकाये भोजन की योजना विद्यालयों में लागू कर दी गयी है।
3.1.5.2	वर्ष 1997–98 तक राज्य सरकार एक छात्र की पात्रता के लिए 80 प्रतिशत की उपस्थिति के मानक का अनुपालन नहीं कर रही थी। योजना से यथाशीघ्र समिति को अवगत कराया जाये।	(57) समिति विभाग द्वारा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करती है और अपेक्षा करती है कि गोरखपुर जनपद के सहजनवां विकास खंड के प्रकरण में की गयी कार्यवाही की अद्यतन सूचना से समिति को अवगत कराया जाय साथ ही महालेखाकार के विशिष्ट अभलेखों एवं जनपदों से . प्राप्त जांच आख्याओं का निरीक्षण कराया जाय तथा वस्तुस्थिति से समिति को भी अवगत कराया जाये।	सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जाँच गतिमान है।
3.1.6.1.1	लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या मात्र एक आगणित संख्या थी जो वास्तविक उपस्थिति पर आधारित नहीं थी।	(67) समिति द्वारा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करती है तथा विभाग से उपेक्षा करती है कि शेष जनपदों की जांच यथाशीघ्र पूर्ण की जाय तथा दोषी कर्मियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही से समिति को यथाशीघ्र अवगत कराया जाय।	सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जाँच गतिमान है।
3.1.6.1.2	नामांकन आंकड़ों में विभिन्नता	(76) समिति विभाग द्वारा कृत उक्त कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करती है तथा विभाग से अपेक्षा करती है कि शेष जनपदों की जांच यथाशीघ्र पूर्ण की जाय तथा दोषी कर्मियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही से समिति को अवगत कराया जाय।	सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जाँच गतिमान है।
3.1.6.2.1	खाद्यान्नों का आवंटन, अवमुक्ति, उठान, संग्रहण एवं वितरण	(94) शासन के उक्त स्तर पर विचारोपरांत समिति यह अपेक्षा करती है कि शेष जनपदों से सूचना प्राप्त हो जाने पर पूरी जानकारी से समिति	सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जाँच गतिमान है।

		को अवगत कराया जाय।	
3.1.6.2.2	अनधिकृत रूप से खाद्यान्नों का संचयन	(98) समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत होने तक जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई थी। समिति विभाग से अपेक्षा करती है कि जांचोपरांत विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही से समिति को यथाशीघ्र अवगत कराया जाय।	सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जाँच गतिमान है।
3.1.6.3.1	अनधिकृत निर्माण	(104) समिति विभागीय कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुए अपेक्षा करती है कि जांचोपरांत वस्तुस्थिति से समिति को अवगत कराया जाय।	सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जाँच गतिमान है।
3.1.6.3.2	गैर–शैक्षणिक महीनों में खाद्यान्नों का उठान	(114) समिति ने शासन के उत्तर पर संतोष व्यक्त किया। समिति विभाग से यह भी अपेक्षा करती है कि सतर्कता विभाग में लम्बित जांच को शीघ्र पूर्ण कराकर यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये तथा उससे समिति को भी अवगत कराया जाय।	सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जाँच गतिमान है।
3.1.6.3.3	2.56 करोड़ रुपये मूल्य का चावल एवं गेहूँ भारत सरकार के आवंटनानुसार निर्गत नहीं किया गया।	(119) समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत होने तक उक्त जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई थी। समिति विभाग से यह भी अपेक्षा करती है कि जांच शीघ्र पूर्ण करने हेतु शासन स्तर पर भी प्रयास किये जायें।	सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जाँच गतिमान है।
3.1.7.1	1.18 करोड़ रुपये मूल्य के 12695 कुन्तल खाद्यान्न का राज्य सरकार द्वारा वितरण बताया गया, परन्तु उसे विद्यालयों में वितरित नहीं किया गया।	(124) समिति यह अपेक्षा करती है कि इस विषय में शासन स्तर पर भी प्रभावी प्रयास किये जाने चाहिए ताकि जांच आख्या शीघ्र आ सके।	सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जाँच गतिमान है।
3.1.7.2	खाद्यान्न का वितरण प्रत्येक माह में नहीं किया गया जैसा कि योजना में परिकल्पित था।	(127) समिति विभाग से अपेक्षा करती है कि इस प्रकरण से संबंधित अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जाय तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही से समिति को अवगत कराया जाय।	सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जाँच गतिमान है।
3.1.8	खाद्यान्नों की हानि	(135) समिति विभाग से यह अपेक्षा करती है कि दोनों मामलों में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराकर प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक माह के	सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जाँच गतिमान है।

		अन्दर समिति को की गयी कार्यवाही से अवगत कराया जाये।	
3.1.9	गुणवत्ता नियंत्रण	(142) समिति विभाग से यह भी अपेक्षा करती है कि विभाग सतर्कता जांच पूर्ण करने हेतु अपनें स्तर से भी प्रयास करें और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय एवं कृत कार्यवाही से समिति को भी अवगत कराया जाय।	सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जाँच गतिमान है।
3.1.10	भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया।	(149) समिति ने उक्त प्रकरण पर संतोष व्यक्त किया एवं विभाग से यह अपेक्षा की कि उपयोगिता प्रमाण–पत्र अवश्य लिय जायें और इसकी जिम्मेदारी नोडल अधिकारी की रहे ताकि किसी हद तक वितरण पर अंकुश लगाया जा सके।	सम्प्रति योजना का प्रारूप बदल गया है तथा पका पकाया भोजन उपलब्ध कराये जाने की योजना लागू कर दी गयी है। जिला अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है एवं पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने का दायित्व ग्राम पंचायत को सौंपा गया है। नगरीय क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्था को एवं नगर पालिकाओं को सौंपा गया है। समप्रति खाद्यान्न का उपयोग ग्राम पंचायत के माध्यम से हो रहा है। तथा नगरीय क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाएं तथा नगर पंचायतो के स्तर से किया जा रहा है।
3.1.11	परिवहन लागत का अनियमित भुगतान	(155) समिति विभाग से अपेक्षा करती है कि इस प्रकरण की जांच जो सतर्कता विभाग द्वारा करायी जा रही है उसे यथाशीघ्र कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये और समिति की वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाये।	सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जाँच गतिमान थी।
3.1.12	कोटेदारों को अनुचित लाभ	(160) समिति ने विभाग से यह जानकारी चाही थी कि जिस प्रकार पी डी एस में बोरों का मूल्य चीनी मूल्य के साथ जुड़ा होता है तो क्या इस योजना में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। विभाग द्वारा इस प्रकरण की स्थिति स्पष्ट करने में असमर्थ	नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर स्थिति स्पष्ट करते हुए भारत सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जहां पी. डी. एस. के माध्यम से खाद्यान्न

		रहा। समिति विभाग से अपेक्षा करती है कि इस प्रकरण की जानकारी प्राप्त कर समिति का वस्तुस्थिति से शीघ्र अवगत कराया जाय।	वितरण किया जा रहा है वहां खाली बोरे पी. डी. एस. योजना के प्रावधान के अंतर्गत कोटेदार रख सकते हैं।
3.1.13	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	(170) समिति ने विभाग से यह जानकारी चाही थी कि जिस प्रकार पी डी एस में बोरों का मूल्य चीनी मूल्य के साथ जुड़ा होता है तो क्या इस योजना में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। विभाग द्वारा इस प्रकरण की स्थिति स्पष्ट करने में असमर्थ रहा। समिति विभाग से अपेक्षा करती है कि इस प्रकरण की जानकारी प्राप्त कर समिति का वस्तुस्थिति से शीघ्र अवगत कराया जाय।	योजना का अनुश्रवण विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों द्वारा सुनिश्चित किया गया था। राज्य स्तर पर सचिव (बेसिक शिक्षा) जनपद स्तर पर जिलाधिकारी एवं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की समिति गठित की गयी। इसके अलावा टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण / पर्यवेक्षण किया गया और जहां कमी पायी गयी, तथा शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की गयी। योजना विशाल है तथा इसके सुव्यवस्थित रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। इस संदर्भ में बेसिक शिक्षा मंत्री एवं सचिव, बेसिक शिक्षा द्वारा समय–समय पर वीडियो कान्फ्रेंन्सिंग के द्वारा योजना का अनुश्रवण कराया जाता है तथा जनपदीय/ मण्डलीय अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की समस्या बताने पर उसका निराकरण तत्काल कर दिया जाता है। योजना की व्यापकता को देखते हुए राज्य सरकार इस विषय में संवेदनशील है।
3.1.13.2	स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा जांच	(189) समिति इस बात से संतुष्ट है कि विभाग ने समिति की जिज्ञासाओं के अनुरूप अनेक बिन्दुओं के निष्पादन में गतिशीलता दिखायी और	सतर्कता विभाग द्वारा जांच गतिमान थी।

		सतर्कता विभाग को जांच देकर समिति के समक्ष अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की लेकिन समिति के मत में गैर शैक्षणिक माहों में खाद्यान्न के उठान होने की धटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और खाद्यान्न के वितरण में हुई अनियमितता के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। विभाग द्वारा इस प्रकार के गंभीर मामले में जिला प्रशासन का भी यथावश्यक सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।	
3.1.13.2	स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा जांच	(190) अतः समिति यह संस्तुति करती है कि बच्चों को उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन का स्तर उत्तम हो उसे सफाई से पकाया गया हो और उसका विवरण भी सुचारु रूप से किया जाये। समिति विभाग से यह अपेक्षा है कि उक्त सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए विभाग पूरी गंभीरता के साथ इस योजना को सफल दिशा में कार्यवाही करे। ताकि जिस गभीर उद्देश्य यह योजना भारत सरकार द्वारा चलायी गयी है उसका लक्ष्य प्राप्त हो सके। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से समिति को अवगत भी कराया जाये।	माननीय समिति के निर्देशानुसार बच्चों को पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करने के उपरान्त योजना लागू कर दी गयी है तथा भोजन पकाने में स्वच्छता रखने हेतु विस्तृत निर्देश शासन स्तर से जारी किये गये हैं। इस संदर्भ में समय–समय पर विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक कर अनुश्रवण किया जाता है।

पारिभाषिक शब्द कोष

ई जी एस/ए आई ई का तात्पर्य राज्य सरकार, स्थानीय निकाय अथवा अशासकीय संस्थाओं के द्वारा चलाये जाने वाले केन्द्रों से है जो मानव संसाधन व विकास मंत्रालय के ई जी एस/ए आई ई योजना के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं। मदरसों/मकतबों जो सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों अथवा ई जी एस/ई जी एस के अंतर्गत आते हैं, में पढ़ने वाले बच्चे भी मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत आच्छादित होंगे।

सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय से तात्पर्य ऐसे विद्यालयों से है जो राज्य सरकार, से नियमित वार्षिक आवर्ती सहायता प्राप्त करते हैं, या योग्य स्थानीय निकायों एवं सहायता प्राप्त विद्यालय के रूप में स्वीकृत/वर्गीकृत किये गये हैं।

ए

ए आई ई	:	वैकल्पिक एवं नवीनतापरक शिक्षा केन्द्र (अल्टरनेटिव एजुकेशन स्कीम)

बी

बी आर सी	:	ब्लाक संसाधन केन्द्र (ब्लाक रिसोर्स सेन्टर)
बी एस ए	:	बेसिक शिक्षा अधिकारी
बी एस पी	:	बेसिक शिक्षा परिषद्

सी

सी ए जी	:	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कम्पट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल आफ इण्डिया)
सी एफ सी एस	:	आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग (कमिश्नर, फूड एण्ड सिविल सप्लाई)
सी एम ओ	:	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चीफ मेडिकल आफिसर)

डी

डी एम	:	जिलाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट)
डी आर डी ए	:	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेन्ट एजेंसी)
डूडा	:	जिला शहरी विकास अभिकरण (डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेन्ट एजेंसी)

इ

ई जी एस	:	शिक्षा गॉरंटी योजना (एजुकेशन गारण्टी स्कीम)

एफ

एफ ए क्यू	:	औसत अच्छी गुणवत्ता (फेयर एवरेज क्वालिटी)
एफ सी	:	वित्त नियंत्रक (फाइनेन्स कन्ट्रोलर)
एफ सी आई	:	भारतीय खाद्य निगम (फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया)
एफ ई सी सी	:	खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (फूड एण्ड एसेंशियल कमोडिटीज़ कारपोरेशन लिमिटेड)
एफ पी एस	:	उचित दर दुकान (फेयर प्राइज़ शाप)
एफ पी एस के	:	उचित दर दुकानदार (फेयर प्राइज़ शाप कीपर्स)

जी

जी ओ आई	:	भारत सरकार (गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया)

आई

आई ई सी	:	सूचना, शिक्षा व संचार (इनफार्मेशन, एजूकेशन एण्ड कम्युनिकेशन)
आई क्यू	:	बुद्धिमत्ता (इन्टेलिजेन्स कोसेन्ट)

एम

एम डी एम	:	मध्यान्ह भोजन योजना (मिड–डे मिल)
एम डी एम ए	:	मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण (मिड–डे मिल अथारिटी)
एम एम ई	:	प्रबंधन, अनुश्रवण व मूल्यांकन (मैनेजमेन्ट मानीटरिंग एण्ड इवैल्यूएशन)
एम पी आर	:	मासिक प्रगति आख्या (मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट)
एम टी	:	मीट्रिक टन

एन

एन जी ओ	:	स्वयंसेवा संस्था (नान गवर्नमेन्ट आर्गनाइजेशन)
एनपी–एनएसपीई	:	प्राथमिक शिक्षा को पोषकीय सहायता हेतु राष्ट्रीय योजना (नेशनल प्रोग्राम आन न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजूकेशन)
एन आर एच एम	:	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (नेशनल रूरल हेल्थ मिशन)
निदेशक	:	निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना प्राधिकरण

पी

पी एल ए	:	व्यक्तिक लेखा खाता (पर्सनल लेजर एकाउन्ट)
पी एम जी वाई	:	प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना
प्रा वि	:	प्राइमरी विद्यालय
पी टी ए	:	अभिभावक छात्र संघ (पैरेन्ट टीचर एसोशियेशन)

क्यू

क्यू पी आर	:	त्रैमासिक प्रगति आख्या (क्वाटरली प्रोग्रेस रिपोर्ट)

आर

आर एफ सी	:	मण्डलीय खाद्य नियंत्रक (रीजनल फूड कन्ट्रोलर)

एस

एस सी पी	:	अनुसूचित जाति के समाज कल्याण हेतु केन्द्रीय सरकार की योजना (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान)
एस सी	:	अनुसूचित जाति (शिड्यूल कास्ट)
एस डी एम	:	उप जिलाधिकारी (सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट)
एस एम सी	:	त्वरित सह अनुश्रवण समिति (स्टीयरिंग कम मानीटरिंग कमेटी)
एस एम डी सी	:	विद्यालय प्रबंधन सह विकास समिति (स्कूल मैनेजमेन्ट कम डेवलपमेन्ट कमेटी)
एस एस ए	:	सर्व शिक्षा अभियान

टी

तहरी	:	चावल व सब्जी से बना व्यंजन
यू सी	:	उपभोग प्रमाण पत्र (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट)

वी

वी ई सी	:	ग्राम्य शिक्षा समिति (विलेज एजूकेशन कमेटी)

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
सर्वाधिकार सुरक्षित

2008

मूल्य : रू. 65 डालर 5

आर्मी प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ से मुद्रित
33 नेहरू रोड, सदर कैन्ट, लखनऊ–226 002
फोन : 2481164